

# परिप्रेक्ष्य

शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

वर्ष 16, अंक 2, अगस्त 2009



राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय  
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

## 500 प्रतियां

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, 2009  
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3  
के अंतर्गत घोषित)

इस पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में किया जाता है। इसकी प्रतियां चुनिंदा और इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थानों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। यह न्यूपा की वेबसाइट: [www.nuepa.org](http://www.nuepa.org) पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति और संस्थान निम्नलिखित पते पर आवेदन करें :

अकादमिक संपादक

परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)  
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के लिए कुलसचिव, न्यूपा द्वारा प्रकाशित तथा बच्चन सिंह, बी-275, अवन्तिका, रोहिणी सेक्टर 1, नई दिल्ली द्वारा लेजर याइपसेट होकर बृजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, नौएडा, उत्तर प्रदेश में न्यूपा के प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित।

## विषय सूची

### आलेख

#### अश्वनी कुमार गर्ग

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

1

#### कुमार संजीव और सुधाकर प्रसाद सिंह

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में श्रमिक विद्यालयों की भूमिका और भावी कार्यनीतियां

15

#### शाइनी दुग्गल

भारतीय उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप और विकास

25

#### महेश कुमार मुछाल और सत्यवीर

दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के विभिन्न शिक्षण उपागमों की उपयुक्तता

39

#### राजेश कुमार चतुर्वेदी और सीमा सिंह

छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि और उनका समग्र व्यक्तित्व

63

### शोध टिप्पणी / संवाद

#### सरिता पांडेय

अध्यापक शिक्षा में प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

83

#### एन.पी. उनियाल और शशि किरन पांडे

उत्तराखण्ड में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत एड्स शिक्षा एवं जागरुकता अभियान

89

#### उषा खरे

सृजनात्मक और कम सृजनात्मक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति

101

<b>मधु साहनी</b> माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन	111
<b>चिंतक और चिंतन</b>	
<b>देवेंद्र सिंह और सीमा सिंह</b> पावलो फ्रेरे के शैक्षिक चिंतन का आलोचनात्मक मूल्यांकन	121
<b>समीक्षा लेख</b>	
<b>एस.एम.आई.ए.जैदी</b> आरक्षण नीति पर शिक्षकों का सम्यक दृष्टिकोण	135

## प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

अश्वनी कुमार गर्ग\*

शिक्षा विकास का मूल आधार हैं। शिक्षा के ही माध्यम से संसार की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति संभव हुई है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे देश तथा विश्व का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही हम आत्म निर्भर होकर स्वयं तथा अन्य को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। भूमंडलीकरण के इस युग में हो रहे तेजी से विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के चतुर्मुखी विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामाजिक सौहार्द एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना के विकास में शिक्षा के योगदान को विश्व स्तरीय शिक्षा सम्मेलनों में भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से जहां हमारे संशयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है वहीं जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति भी उत्पन्न होती है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण/सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की गई हैं और कुछ परियोजनाएं वर्तमान में संचालित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के फलस्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर विभिन्न परियोजनाएं संचालित की गईं जिनमें से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम और वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001-02 से देश में संचालित है।

\* प्रवक्ता (गणित) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रिवेट) शिलांग-793003

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जहां एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अंतर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं तथा जा रहे हैं। विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रूचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। समुदाय को जागरूक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको उनके अधिकारों एवं दायित्वों से अवगत कराया गया है। विषय वस्तु को बालकेंद्रित, गतिविधि आधारित एवं जेंडर/ सामाजिक भेद मुक्त बनाया गया है। शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है। संकुल संसाधन केंद्र एवं विकास खण्ड संसाधन केंद्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है। बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपी उपाय किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न हस्तक्षेपी उपाय कितने सफल रहे यह जानना वर्तमान संदर्भ में आवश्यक हो जाता है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर-प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए लगाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश के चार जिलों— इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर तक सीमित रखा गया। अध्ययन की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए लगाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव जानने तक सीमित किया गया है।

**शोध उद्देश्य :** प्रस्तुत शोध कार्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों का प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में क्या प्रभाव पड़ा है, को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गये :

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किए गए प्रयास का अध्ययन करना।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गए विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गए विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्ध स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना।
7. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक/प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
8. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना।
9. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के लिए किए गये प्रसास के प्रभाव का अध्ययन करना।

**शोध कार्य में प्रयुक्त चर :** प्रस्तुत शोध में स्वतंत्र चर के रूप में लिंग (पुरुष, महिला), क्षेत्र (शहरी, ग्रामीण), जिला, अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा आश्रित चर के अंतर्गत नामांकन, ठहराव, गुणात्मक शिक्षा, दृष्टिकोण आदि को लिया गया है।

**न्यायदर्श :** प्रस्तुत शोध में न्यायदर्श निम्नानुसार लिया गया-

- द्वितीय आंकड़े के रूप में राज्य के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों

का उपयोग किया गया। इसके अलावा प्राथमिक आंकड़े के रूप में 4 जिलों के यादृच्छिक विधि से चयनित विद्यालयों तथा वहाँ के प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों से उपकरण से जानकारी एकत्र की गई।

- प्रत्येक जिले से 40-40 विद्यालयों का चयन किया गया जिनमें से 20 प्राथमिक एवं 20 उच्च प्राथमिक स्तर के थे। चयनित विद्यालयों में से 40 प्रतिशत शहरी तथा 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के थे।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 15 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय से 10 बच्चों का चयन किया गया जिसमें बालक एवं बालिका दोनों की संख्या समान थी।
- संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों, अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, संकुल समन्वयकों, बी.आर.सी.सी., जिला एवं राज्य स्तर के आकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों का साक्षात्कार किया गया। न्यार्दश का विवरण निम्नानुसार है :

5.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	13	12	11	10	46
		शहरी (महिला)	11	12	13	14	50
6.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	18	22	25	23	88
		ग्रामीण (महिला)	18	14	11	13	56
7.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	12	11	10	11	44
		ग्रामीण (महिला)	12	13	14	13	52
8.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	19	15	10	13	57
		शहरी (महिला)	17	21	26	23	87
9.	प्रशासनिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	8	6	5	6	25
		पुरुष (ग्रामीण)	4	3	3	3	13
		महिला (शहरी)	4	3	2	3	12
		महिला (ग्रामीण)	1	1	1	1	4

क्रमशः

परिप्रेक्ष्य

10.	अकादमिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	10	9	9	10	38
		पुरुष (ग्रामीण)	8	8	6	8	30
		महिला (शहरी)	8	9	7	10	34
		महिला (ग्रामीण)	4	2	2	4	12
11.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	पुरुष	23	21	19	21	84
		महिला	15	11	11	9	44
12.	अभिभावक	पुरुष	40	40	40	40	160
		महिला	20	20	20	20	80

**प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी :** प्रस्तुत शोध समस्या से संबंधित संकलित प्रदत्तों के सारणीयन करने के उपरांत, उद्देश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापन कर उनसे उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए “प्रतिशत”, “माध्य”, “प्रमाप विचलन”, “प्रमाप त्रुटि”, “प्रसरण विश्लेषण” (F' परीक्षण) सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

**निष्कर्ष एवं व्याख्या :** शोध अध्ययन में उत्तर-प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सर्व शिक्षा कार्यक्रम अभियान कार्यक्रम मार्गदर्शिका, राज्य एवं जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट, राज्य परियोजना कार्यालय मार्गदर्शिका, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फोड़बैक के आधार पर उद्देश्यवार निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुआ :

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों के सभी बस्तियों में आवश्यकता आधारित विभिन्न हस्तक्षेप किये गये हैं। इन हस्तक्षेपों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। इस प्रगति में जिले और क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण) सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

2. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता आधारित भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पड़ा है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता आवश्यकता आधारित है न कि जिले/क्षेत्र आधारित। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अतंगत उलब्धत कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं उसकी प्रगति में जिला एवं क्षेत्र में कोई सार्थक अंतर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन के क्षेत्र में प्रगति हुई है।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अतंगत नामांकन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का नामांकन बढ़ा है और इसकी वृद्धि में जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है। अर्थात् वृद्धि सभी क्षेत्रों में हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अतंगत नामांकन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से निम्नानुसार मत प्राप्त हुए :

  - 95.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में लगभग शत प्रतिशत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।
  - 92.21 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतंगत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
  - 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक विद्यालय में भेजने लगे हैं।
  - 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है।
  - 81.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अंतर 5 प्रतिशत से कम है।
  - 95.83 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार

निर्धारित मादण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है।

- 94.64 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
  - 83.93 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है।
  - 73.81 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी हैं जिनसे बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
  - 85.12 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते हैं जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते हैं।
  - 79.76 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अंतर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।
  - 76.56 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार विद्यालय की मूल -भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुए हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं।
  - 93.75 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है।
  - 96.25 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है।
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का विद्यालय में ड्राप आडट दर घटी है। इस प्रकार विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से बच्चों

का ठहराव बढ़ा है और ड्राप आडट दर कम हुई है और इसकी वृद्धि में जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगावार कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अधिभावकों से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ :

- 87.29 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रु. 500/- से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है।
- 88.54 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते हैं।
- 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलने के कारण अधिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजते हैं।
- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है।
- 86.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रशिक्षण से शिक्षकों के कार्य कौशल में बदलाव आने से बच्चों का ठहराव काफी बढ़ा है।
- 81.25 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण विधा में बदलाव आने से बच्चों का ड्राप आउट दर 5 प्रतिशत या इससे कम हुई है।
- 81.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।

- 85.12 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते हैं जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते हैं।
- 71.43 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अंतर 5 प्रतिशत से कम रहता है।
- 81.55 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अंतर 5 प्रतिशत से कम रहता है।
- 76.56 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं।
- 93.75 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है।
- 87.92 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की उपलब्ध स्तर हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों में वर्षवार काफी प्रगति हुई है दिखाई देती है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का जिलेवार विद्यालय की स्थिति, क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कक्षा पांच एवं आठ के बच्चों के उपलब्ध स्तर का विश्लेषण करने पर जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हस्तक्षेप आवश्यकता आधारित हैं। अतः ये हस्तक्षेप सभी जगह लगाये गये हैं। विश्लेषण के आधार पर जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्ध स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में नियमित शिक्षक के साथ स्थानीय शिक्षक विभिन्न वर्षों में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराये गये हैं और जा रहे हैं। अध्ययन के दौरान यह बात निकल कर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अपर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं। सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को विभिन्न वर्षों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा। अतः हम कह सकते हैं कि जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं लेकिन नगर क्षेत्र अभी उपेक्षित है जबकि क्षमता सवर्द्धन में नगर एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों की उपलब्धता एवं उनके प्रशिक्षण हेतु किये गये प्रयास के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ :

- 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षामित्र उपलब्ध कराये गये हैं।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा के लिए किए गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अंतर 5 प्रतिशत से कम है।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए हैं जिससे बच्चों का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है।
- 88.54 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते हैं।
- 81.67 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय के शिक्षण कार्य में प्रगति हुई है।
- 80.36 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण

विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे हैं।

- 94.05 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रूचिकर हुआ है।
  - 82.14 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्ध स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।
  - 86.31 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तकों बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित हैं जिससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं।
  - 76.79 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड एवं संकुल संसाधन केंद्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है।
  - सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर सभी का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया। जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों, अकादमिक अभिकर्मियों, प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये हस्तक्षेपों पर जिले, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु लगाये गए हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ :

- 97.50 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- 75.60 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे करायें के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रुचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते हैं।
- 80.95 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अर्थात् विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय लाने में सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये प्रयास सभी स्तर पर किये गये हैं। इस प्रकार जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

7. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु लगाये गए हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के अनुसार :

- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए हैं जिससे बच्चों का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है।
- 74.40 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है।

- 94.53 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख-रेख अच्छी हुई है।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता हेतु नगरीय एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में शिक्षा समितियों का गठन कर उनके सदस्यों का उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। गठित समितियां भी अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करते हुए शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम मार्गदर्शिका, राज्य एवं जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट, राज्य परियोजना कार्यालय मार्गदर्शिका, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीडबैक से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों के सभी बस्तियों में आवश्यकता आधारित विभिन्न हस्तक्षेप लगाये गये हैं। इन हस्तक्षेपों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत जहां सभी बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर विभिन्न शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं वहाँ बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्ष, अतिरिक्त शिक्षक, स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय, विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान, शिक्षक एवं शैक्षिक कार्य से संलग्न विभिन्न अधिकर्मियों को समय-समय पर विभिन्न आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, नवाचार को प्रोत्साहन, विकलांग एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन आदि दिये जा रहे हैं। इन विभिन्न हस्तक्षेपों से शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। ये हस्तक्षेप किसी जिले, क्षेत्र अथवा किसी विशेष समुदाय के लिए न होकर सभी की शिक्षा हेतु लगाए गये हैं। लेकिन शिक्षा की उपलब्धता के क्षेत्र में नगर क्षेत्र में आवश्यकता आधारित शिक्षक अभी तक नहीं उपलब्ध कराये गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अधिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर सभी का धनात्मक दृष्टि कोण पाया गया।

### संदर्भ

- अग्रवाल, जे.सी. (1966), एजूकेशनल सिसर्च इन इन्ट्रोडक्शन  
 एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली (2005), सेवन्थ आल इण्डिया स्कूल एजूकेशन सर्वे  
 कपिल, एच.के. (1990), अनुसंधान की विधियां, हरप्रसाद भार्गव प्रकाशन आगरा  
 कौल, लोकेश (1988), मैथलाजी ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, विकास पब्लिसिंग हाउस प्राइवेट  
 लिमिटेड, नई दिल्ली
- बेस्ट, से. डब्ल्यू. एण्ड कहन, जे.व्ही. (1992), रिसर्च इन एजूकेशन प्रेट्रिय-हाल ऑफ इण्डिया  
 प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- एम.एच.आर.डी., डी.एस.ई. एण्ड एल, (2006), ए मैनुअल फार प्लानिंग एण्ड इम्पलीमेंटेशन  
 ऑफ इनकिलसिव एजूकेशन इन एस.एस.ए.
- मेहता, न्यूपा, (2005-06), डिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, एलीमेंटरी एजूकेशन इन इण्डिया, प्रोगेस  
 ट्रुअर्ड, यू.ई.ई.
- सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना, (2005), वार्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला झांसी,  
 सीतापुर, इलाहाबाद, सिद्धार्थ नगर (उ.प्र.),
- सी.आर. कोठारी (2004), रिसर्च मैथडालाजी, मैथडस् एण्ड टेक्निक्स, न्यू एजीई इंटरनेशनल  
 पब्लिसर्स, नई दिल्ली
- सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए कार्यक्रम, कार्यान्वयन के लिए  
 कार्यतंत्र (2002), मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता  
 विभाग नई दिल्ली
- लाल एण्ड यादव (2004), माइयूल ऑन क्वालिटी डाइमेंशन ऑफ एलीमेंटरी एजूकेशन अन्डर  
 एस.एस.ए. एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन
- प्रो. मदन, डॉ. मालती सारस्वत, भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, विनोद प्रकाशन  
 मंदिर, इलाहाबाद

## प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में श्रमिक विद्यालयों की भूमिका और भावी कार्यनीतियाँ

कुमार संजीव\* और सुधाकर प्रसाद सिंह\*\*

### सारांश

86वें संविधान संशोधन के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा तो मिल गया लेकिन देश में ऐसे लाखों बालश्रमिक हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। बालश्रमिक विशेष विद्यालय ऐसे ही वंचित बच्चों को शिक्षा मुहैया कराती है। बिहार के गया जिले में किये गये शोध सर्वेक्षण के बाद शोधकर्ता ने पाया कि इन विद्यालय के 98.8 प्रतिशत बालश्रमिक बच्चों का उपलब्धि स्तर संतोषजनक है।

प्राथमिक शिक्षा 06 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। इसलिए संविधान के 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21 'A' के तहत प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। इसके तहत 06-14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व हो गया है लेकिन सभी के लिए शिक्षा और सर्वशिक्षा अभियान सरीखे प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए चलाये जा रहे वृहत् कार्यक्रमों के बावजूद इस आयु वर्ग के बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी घरों, कल-कारखानों, दुकानों आदि में बाल श्रम करने को मजबूर है।

ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में न जाकर विभिन्न पेशों में कार्यरत हो जाते हैं जिनका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य और मानस पर पड़ने लगता। जिन नौनिहालों को विद्यालय में जाकर पढ़ना-लिखना था वे विभिन्न कारखानों में कार्यरत होकर मुरझाने लगते हैं। इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय

\* व्याख्याता, स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना-800004

\*\* अध्यापक, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना-800004

बाल श्रम नीति बनाई जिसमें प्रावधान किया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से देश के प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा से वंचित तथा गरीबी के कारण बाल श्रम करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराकर पुनर्वासित किया जाय। इसके तहत हरेक जिला में सर्वे कर उपलब्ध बाल श्रम के आबादी के फलस्वरूप बाल श्रमिकों के आबादी के अनुरूप विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई ताकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो सके।

बिहार राज्य के गया जिले में भी अनेक विशेष विद्यालय की स्थापना की गई। गया में कुल 34530 बाल श्रमिक हैं जिसमें से बालक 18562 और बालिका 15968 है। इस जिले की साक्षरता दर 51.07% है जिनमें महिलाओं का प्रतिशत 48.36% तथा पुरुषों का प्रतिशत 51.64% है। इस विशाल आबादी जिले में कुल 2221 प्राथमिक विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय 323 हैं जिनमें 10572 शिक्षक कार्यरत हैं।

आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे गया जिले में उपलब्ध संसाधनों और विद्यालयों से पढ़ने वाले आबादी की समस्या का समाधान करना ही कठिन है। बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए इन विद्यालयों में व्यवस्था करना अत्यंत कठिन है फिर उनकी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश भी भिन्न होने के कारण उनका सामान्य विद्यालयों में करना उपयोगी नहीं होता है। इस लिए बाल श्रमिक विशेष विद्यालय खोले गये।

### शोध का उद्देश्य

1. बालश्रमिक विद्यालयों की दशा एवं दिशा का आकलन करना।
2. बालश्रमिक विद्यालयों की शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करना।
3. बालश्रमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के उपलब्ध स्तर का पता लगाना।
4. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में बालश्रमिक विशेष विद्यालयों की भूमिका का आकलन करना।

### शोध विधि

#### प्रतिदर्श का आकार

(क) गया जिले में संचालित 05 बाल श्रमिक विद्यालयों का अध्ययन।

(ख) 200 छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार ।

**प्रतिदर्शन :** प्रस्तुत लघुशोध के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि से प्रतिदर्श का चयन किया गया है। यह एक ऐसा असंभावित विधि (प्रतिदर्शन) है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह समझता है कि वह जनसंख्या का सही-सही प्रतिनिधित्व करता है ।

**शोध उपकरण :** शोध-समस्या से संबंधित आँकड़ा संग्रह करने के लिए निम्नलिखित शोध उपकरणों का प्रयोग प्रस्तुत शोध के लिए किया गया है—

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (क) साक्षात्कार | (ख) प्रश्नावली |
| (ग) सर्वेक्षण   |                |

**शोध तकनीक :** शोध उपकरण से प्राप्त आँकड़े का विश्लेषण उपर्युक्त सांख्यकीय तकनीक से किया गया है। आँकड़े को सारणीवद्ध कर उसका माध्य (Mean) एवं प्रतिशत (Percentage) निकाला गया ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित शोध-प्रश्नों को तैयार किया गया :

- (क) गया जिले में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की स्थिति क्या है?
- (ख) गया जिले में बालश्रमिकों की शैक्षिक स्थिति क्या है?
- (ग) बालश्रमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में क्या भूमिका निभा रही है?
- (घ) बालश्रमिक बच्चों के शिक्षण अधिगम की क्या-क्या बाधाएँ हैं?
- (ङ) बालश्रमिक बच्चों के शैक्षिक बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है?
- (च) बालश्रमिक बच्चों और शिक्षकों के बीच कैसा संबंध है?
- (छ) बालश्रमिक बच्चों के शिक्षण स्तर क्या है?

**आँकड़ों का विश्लेषण :** प्रस्तुत शोध समस्या के निदान तक पहुँचने के लिए आँकड़े एकत्र किए गए। एकत्रित आँकड़े का सांख्यकीय जाँच की गई। यह जाँच सर्वेक्षण विधि के माध्यम से की गई।

**तालिका-1**  
**बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (गोदावरी) में नामांकित बच्चों की**  
**उपलब्धि का विवरण**

नामांकित बच्चों की संख्या	कुल योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुर्तीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
वर्ग-1	19	26	45	10	14	05	09	04	03	—
वर्ग-2	09	12	21	05	07	02	04	02	01	—
वर्ग-3	04	09	13	02	05	02	02	00	02	—
वर्ग-4	12	09	21	04	06	05	01	03	02	—
योग	44	56	100	21	32	14	16	09	08	—
महायोग	53	30	17							
माध्य प्रतिशत	53%	30%	17%	NIL						

तालिका-1 से पता चलता है कि बाल श्रमिक विशेष विद्यालय, गोदावरी में नामांकित 100 छात्र/छात्राओं में से 53 छात्र/छात्राओं ने प्रथम श्रेणी, 30 छात्र/छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी तथा 17 छात्र/छात्राओं ने तृतीय श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है जिसका माध्य प्रथम श्रेणी 53% और द्वितीय श्रेणी 30% तथा तृतीय श्रेणी 17 प्रतिशत पाया गया जो गुणवत्ता की दृष्टि से स्तरीय और उपलब्धि की दृष्टि से बहुत उच्च है। इससे प्रमाणित होता है कि इस श्रमिक विद्यालय में छात्रों की नियमितता अनुशासन और सक्रियता अधिक है साथ ही शिक्षकों का अध्यापन स्तर सटीक और प्रभावकारी है जो विद्यालय की भूमिका को प्रशंसनीय ढंग से रेखांकित करती है और अपनी सभी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ शत-प्रतिशत सफलता विद्यालय की बहुत अच्छी व्यवस्था का द्योतक है।

तालिका-2 के विश्लेषण से पाया गया कि बाल श्रमिक विशेष विद्यालय, ईकबालनगर में भी निमांकित 100 छात्र/छात्राओं में से प्रथम श्रेणी में 53, द्वितीय 32, तृतीय में 15 छात्र/छात्राओं ने उत्तीर्णक प्राप्त की हैं। जिसका माध्य प्रथम श्रेणी 53 प्रतिशत, द्वितीय

### तालिका-2

#### बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (ईंकबाल नगर) में नामांकित बच्चों की उपलब्धि का विवरण

नामांकित बच्चों की संख्या	कुल योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुत्तीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
वर्ग-1	13	18	31	06	10	04	06	03	02	—
वर्ग-2	13	14	27	08	07	02	06	03	01	—
वर्ग-3	17	09	26	10	03	06	04	01	02	—
वर्ग-4	09	07	16	06	03	02	02	01	02	—
योग	52	48	100	30	23	14	18	08	07	—
महायोग	53	32	15							
माध्य प्रतिशत	53%	32%	15%		NIL					

श्रेणी 32 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत पाया गया। इस विश्लेषण से भी पता चलता है कि गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था स्तरीय है। विद्यालय की व्यवस्था जैसे—माध्याह्न भोजन, खेलकूद, अनुशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षकों की नियमितता तथा कुशल प्रबंधन का ही परिणाम है कि इतनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई हैं जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में आकर्षक पहल है। इस विद्यालय ने भी छात्रों की शत-प्रतिशत सफलता से प्रमाणित किया गया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में इसकी भूमिका अत्यंत सकारात्मक है।

तालिका-3 से स्पष्ट है कि बाल श्रमिक विशेष विद्यालय, माड़नपुर में नामांकित 100 छात्र/छात्राओं में से 50 प्रथम श्रेणी, 28 द्वितीय श्रेणी में तथा 18 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की। कुल 04 छात्र/छात्राओं ने परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त की है इस प्रकार कुल छात्र/छात्राओं का माध्य 96% पाया गया है जिससे पता चलता है कि विद्यालय में योजना के सभी प्रावधानों के साथ चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था भी है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

### तालिका-3

**बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (माड़नपुर) में नामांकित बच्चों की उपलब्धि का विवरण**

नामांकित बच्चों की संख्या	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुत्तीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
वर्ग-1	26	28	54	12	16	05	09	09	02	01
वर्ग-2	14	11	25	05	06	03	04	07	01	—
वर्ग-3	06	03	09	02	04	01	02	03	—	—
वर्ग-4	05	07	12	21	03	02	02	01	—	—
कुल योग	51	49	100	21	29	11	17	16	03	01
महायोग	50	28	18		04					
माध्य प्रतिशत	50%	28%	18%	04%						

### तालिका-4

**बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (अहियापुर) में नामांकित बच्चों की उपलब्धि का विवरण**

नामांकित बच्चों की संख्या	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुत्तीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
वर्ग-1	19	26	45	09	11	07	14	03	01	—
वर्ग-2	20	10	30	08	08	07	02	05	00	—
वर्ग-3	07	03	10	03	03	02	00	02	00	—
वर्ग-4	09	06	15	06	03	02	02	01	01	—
योग	55	45	100	26	25	18	18	11	02	—
महायोग	51	36	13							
माध्य प्रतिशत	51%	36%	13%							

परिप्रेक्ष्य

तालिका-4 से स्पष्ट है कि बाल श्रमिक विद्यालय, अहियापुर में नामांकित 100 छात्र/छात्राओं में से सभी छात्रों ने उत्तीर्णता प्राप्त की जिसका सफलता प्रतिशत 100 है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। विद्यालय के कुल नामांकित छात्रों में से 51 प्रथम श्रेणी, 36 द्वितीय श्रेणी तथा 13 तृतीय श्रेणी से सफलता प्राप्त कर कृतिमान स्थापित किया है। इस प्रकार तीनों श्रेणियों का मध्यमान 51 प्रतिशत प्रथम, 36 प्रतिशत द्वितीय एवं 13 प्रतिशत तृतीय होता है जो विद्यालय की कुशल व्यवस्था को इंगित करता है।

#### तालिका-5

##### बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (बारा) में नामांकित बच्चों की उपलब्धि का विवरण

नामांकित बच्चों की संख्या	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुतीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
वर्ग-1	20	18	38	08	10	07	05	04	02	01
वर्ग-2	09	20	29	05	11	03	06	01	03	—
वर्ग-3	20	06	26	10	04	08	02	02	00	—
वर्ग-4	07	00	07	05	00	02	00	00	00	—
योग	56	44	100	28	25	20	13	07	05	01
महायोग	53	33	12		02					
माध्य प्रतिशत	53%	33%	12%		02%					

तालिका-5 से स्पष्ट है कि इस विद्यालय में से निर्मांकित 100 छात्रों में से 98 प्रतिशत छात्र/छात्राओं ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। केवल 2 प्रतिशत छात्र/छात्रा उत्तीर्ण होने से वंचित रह गए हैं। इस प्रकार माध्य मान प्रथम श्रेणी 53%, द्वितीय श्रेणी 33% तथा तृतीय श्रेणी 12% है जिससे यह प्रमाणित होता है कि पोषाहार, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सारी व्यवस्थाओं को कुशल प्रबंधन के कारण ही विद्यालय को यह सफलता हासिल हुई है जो शिक्षा की दिशा में प्रशंसनीय पहलू है।

### तालिका-6

**बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के कक्षावार परीक्षाफल प्रतिशत का माध्य**

	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		अनुत्तीर्ण	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
गोदावरी	21	32	14	16	09	08	—	—
ईकबालनगर	30	23	14	18	08	07	—	—
माड़नपुर	21	29	11	17	16	02	03	01
अहियापुर	26	25	18	18	11	02	—	—
बारा	28	25	20	13	07	05	01	01
<b>योग</b>	<b>260</b>	<b>159</b>	<b>75</b>	<b>06</b>				
<b>माध्य प्रतिशत</b>	<b>52%</b>		<b>31.8%</b>		<b>75.15%</b>		<b>1.6%</b>	

कुल पाँच विद्यालयों के छात्र/छात्रा की संख्या 500 है जिसमें 52 प्रतिशत बच्चों ने प्रथम श्रेणी में, 31.8 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी एवं 75.15 प्रतिशत बच्चे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण बच्चों की प्रतिशतता मात्र 1.6 प्रतिशत रही।

उपरोक्त वर्णित पाँचों बाल श्रमिक विद्यालयों में 500 छात्र/छात्राएं नामांकित किए गए थे जिनमें से प्रथम श्रेणी में 260 छात्राओं ने, द्वितीय श्रेणी में 159 छात्राओं ने तथा तृतीय श्रेणी में 75 छात्राओं ने उत्तीर्णता प्राप्त की। इस प्रकार 494 छात्र/छात्राओं ने सफलता हासिल की जिसका माध्य 98.8 प्रतिशत होता है जिसमें प्रथम श्रेणी 52% माध्य, द्वितीय श्रेणी 31.8% माध्य तथा तृतीय श्रेणी 15% माध्य पाया गया। केवल 1.2% माध्यमान के छात्र सफलता से वंचित हुए। सभी प्रावधानों का कुशलतापूर्वक प्रबंध करते हुए बाल श्रमिक विद्यालय ने बहुत ही आकर्षक भूमिका प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में निभाई है जो योजना के उद्देश्यों को शत-प्रतिशत पूरा करता है।

**निष्कर्ष :** प्राप्त आँकड़ों के अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, जातीय भेदभाव, विकास और अवसर की समानता का अभाव आदि कारणों से 'गया' जिले में ढेर सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से वंचित थे। रोजी-रोटी के लिए बालपन में खतरनाक और अस्वस्थ्यकर पेशों से

जुड़कर बाल श्रमिक बन गए थे। राष्ट्रीय बाल विकास नीति के तहत सरकार ने परियोजना चलायी। इस परियोजना के आधार पर गया जिले में विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में से चयनित प्रतिदर्श विद्यालयों के अध्ययन और उपलब्ध आँकड़े से प्रस्तुत शोध में पाया। गया कि सर्वेक्षण के आधार पर चिह्नित सभी बाल श्रमिकों के लिए विशेष बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना और उसकी संचालन पद्धति प्रावधान के अनुरूप की गई है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है कि ताकि वे पूरी अवधि तक विद्यालयों में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए पोषाहार की व्यवस्था समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच विद्यालय का कुशल प्रबंधन, अभिभावकों की मदद, उनकी रुचि में वृद्धि आदि के माध्यम से श्रमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा की दिशा में पहल की जो सार्थक हैं।

96.2 प्रतिशत बच्चों ने परीक्षा के आधार पर सफलता पायी है जिनमें श्रमिक छात्रों का सफल प्रतिशत 98.8% है। यह परिणाम दर्शाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वजनीकरण पहले से बेहतर हुआ है। पूरे सत्र तक विद्यालय में बच्चे टिके रहे जिससे प्रमाणित होता है कि विद्यालय का प्रबंध सार्थक प्रावधान के अनुरूप सारे कार्यक्रमों को लागू करता जा रहा है।

श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर दयनीय रहने के बावजूद उनके बीच जागरूकता में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि अभिभावकों, समाज सेवकों तथा समाज के अन्य वर्ग का सहयोग अपेक्षित रूप से विद्यालय को मिला है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का यह अभियान उत्साहवर्धक प्रतीत हुआ है। इसमें श्रमिक परिवारों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। पोषाहार से छात्रों का स्वास्थ्य में सुधार तो हुआ ही है साथ ही छात्रवृत्ति से उनके अभिभावकों को आर्थिक मदद मिलेगी। इस प्रकार जन-जन तक शिक्षा की पहुँच साकार होती नजर आ रही है जो नामांकित बच्चों के परीक्षा परिणाम से प्रमाणित होता है कि शिक्षक छात्रों, अभिभावकों के बीच समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। छात्रों में अनुशासन और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने से उनके अभिभावक बच्चों के भविष्य के प्रति आशान्वित नजर आए हैं। इस प्रकार कर्मचारियों और सभी वर्गों के बीच मधुर संबंध और दायित्व की भावना विकसित हुई है। कुल मिलाकर श्रमिक विद्यालयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित किया है जो शिक्षा के सार्वजनीकरण में उनके योगदान को सार्थक रूप से दर्शाता है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि—प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में श्रमिक विद्यालयों की भूमिका खासकर गया जिले में सफल होता दिख रहा है। विद्यालय का संचालन सुचारू और जागरूकता पूर्ण है। कमियों की दिशा में पहल कर उसे दूर किया जाय तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का यह अभियान निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

### संदर्भ

- सत्यार्थी, एस. (2008) : नो मोर टूल्स इन टिनी डैंडस, योजना, वाल्यूम – 52। पृ. 13-15
- कुमारी, रूपम (नवम्बर – 2008) बाल विकास एवं पोषण, योजना, अंक-11ए पृ. 23
- तीर्थ प्रकाश व संतोष कुमार सिंह (सितम्बर – 2007) प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी आवश्यकता, योजना, अंक-11, पृ. 4.6
- अखिलेश आर्येन्दु (सितम्बर 2007), प्राथमिक शिक्षा और सरकारी योजना, योजना, अंक – 11. पृ. 10.14
- डॉ. अनिता मोदी (नवंबर 2008), बाल श्रम समस्या और निदान योजना, अंक – 1, पृ. 35.37
- ऋतु सारस्वत (मई –2006), बाल श्रम मानवता पर एक अभिशाप, पृ. 6.7, श्रमिक कानून, पृ. सं. 10
- अखिलेश आर्येन्दु (मई – 2006), बाल श्रम समस्या और समाधान, योजना अंक – 7. पृ. 14
- द चाईल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, माइरॉन वाइनर, बाल श्रमिक, नेहरू युवा केंद्र परियोजना, कोषांग, मुजफ्फरपुर, पृ. 3
- रमेश कनबारंगी, चाईल्ड लेवर इन द इंडिया, सवकन्नेन्ट, पृ. 33

## परिप्रेक्ष्य

वर्ष 16, अंक 2, अगस्त 2009

# भारतीय उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप और विकास

शाइनी दुग्गल\*

## प्रस्तावना

भारत में उच्च शिक्षा का समृद्ध इतिहास विद्यमान है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा के केन्द्रों जैसे तक्षशिला तथा नालन्दा आदि ने पूरे विश्व में भारत को ख्याति प्रदान की। इस समृद्ध परम्परा की अवहेलना आधुनिक युग की अनेक विसंगतियों में से एक है। भारतीय आधुनिक उच्च शिक्षा प्राचीन धरोहर के विपरीत, पाश्चात्य विश्व की देन है। 1854 में, अंग्रेजों की औपनिवेशिक सरकार ने, भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखी। वूड्स डिस्पेच 1954, में पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा तैयार की जिसके फलस्वरूप कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई। अगले चरण में, 1913 की शिक्षा नीति ने अनेक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की नींव रखी। कालांतर में 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट (Sargent Report) ने उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन तथा नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना दिया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यह विदित हुआ कि विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यह आवश्यक है विभिन्न देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। जिस देश के पास ज्ञान-विज्ञान की शक्ति होगी वही विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्स्टेन चर्चिल के शब्दों में-

“The Empires of future will be empires of the mind”

Winston  
Churchil (1943)

\* परामर्शदाता, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, ई-मेल: shyniduggal@yahoo-co-in

देश की प्रगति में उच्च शिक्षा की महत्ता को समझते हुए आधुनिक भारत के निर्माताओं ने शिक्षा पर उचित ध्यान देते हुए समय-समय पर अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अभूतपूर्व विस्तरण हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से वर्तमान तक उच्च शिक्षा के प्रसार के विभिन्न घोतक संख्यात्मक (Quantitative) वृद्धि दर्शाते हैं। 1947 में, विश्वविद्यालयों की संख्या 18 थी जो अब लगभग 415 है। उसी प्रकार, महाविद्यालयों की संख्या 519 से बढ़ कर 20,676 तथा विद्यार्थियों की संख्या 2,28,804 से बढ़कर 1,15,00,000 हो गई है। परन्तु वर्तमान भारत में, अन्य देशों की अपेक्षा उच्च शिक्षा के प्रार्थी (आयु वर्ग 18-23 वर्ष) के केवल 11 प्रतिशत छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच है। कनाडा में इस आयु वर्ग के 100 प्रतिशत छात्रों को ये सुविधा प्राप्त है। अन्य विकसित देशों में 55 प्रतिशत तथा संक्रमणशील देशों में 37 प्रतिशत तथा विश्व औसत 33 प्रतिशत छात्रों की भागदारी उच्च शिक्षा में है जो कि 11 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति का स्पष्ट प्रस्तुतीकरण होता है। एक ओर केवल 11 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी ओर भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर कई सवालिया निशान लगाए जाते हैं। भारत, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़े देशों में से एक होने के कारण भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी छात्रों को गुणवत्ता आधारित उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। XI पंचवर्षीय योजना (जिसे शिक्षा केन्द्रित होने के कारण शिक्षा योजना भी कहा जा रहा है) के दौरान लगभग 15 प्रतिशत 18-23 वर्ष के आयुवर्ग के प्रार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है जिसके प्लानस्वरूप 8-9 लाख अतिरिक्त छात्रों का समूह दाखिले को तैयार है।

भारतीय उच्च शिक्षा में कई आधारभूत अभावों के कारण विश्व-स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षा का स्थान काफी नीचे माना जाता है। विश्व के 500 सर्वोत्तम उच्च शिक्षण संस्थानों की फेहरिस्त में केवल चंद भारतीय संस्थान (IITs/kIIMs) ही स्थान बना पाते हैं। ये संस्थान भी कठिन प्रतियोगिता तथा अधिक फीस के कारण, साधारणतः आम छात्रों की पहुँच से परे हैं। इस महंगी शिक्षा का कारण भारत की विभिन्न सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा की उपेक्षा है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए GDP का अल्पांश 0.65% (2008) ही उपलब्ध करवाया जाता है जो कि थाइलैंड (5.0%) तथा किनिया (6.2%) जैसे देशों से भी काफी कम है।

उच्च शिक्षा का सीधा संबंध देश के आर्थिक विकास से है। पुन्डीर तथा सिंह (2004) के मतानुसार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के कम से कम 20 प्रतिशत 18-23 वर्ष आयु वर्ग के कुल उच्च शिक्षा प्रार्थियों (Aspirants), के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त संस्थानों में हो। भारत में मुश्किल से 11 प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त है।

GDP का अधिकांश भाग शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाता है। शिक्षण संस्थानों में ढांचागत सुविधाओं के नवीनकरण तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के उपलब्धिकरण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जिससे भारतीय छात्र अपने अन्य वैश्विक साथियों से अपेक्षाकृत पिछड़ जाते हैं। उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कम्प्यूटर तथा वाल्ड वाइड वेब आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना एक न्यूनतम आवश्यकता समझा जाना चाहिए जिनसे उनके बौद्धिक विकास के साथ-साथ अन्य सामाजिक गुणों का भी विकास हो सके।

उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का अभाव भी उच्च शिक्षा की बड़ी समस्याओं में एक है। औसतन उच्च शिक्षण संस्थानों में 65-70 हजार शिक्षकों की प्रतिवर्ष आवश्यकता है जिसे उपलब्ध करवाना लगभग असंभव सा है। उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा मुक्तीकरण ने इस समस्या को और विकट बना दिया है। कुशल तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव का सीधा संबंध शिक्षा की गुणवत्ता से है जिसके चलते शिक्षण व अनुसंधान कार्यों के स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर का सीधा संबंध रोजगार से है। कई उत्तीर्ण छात्र – स्नातक, स्नातकोत्तर आदि उपधि प्राप्त करने के पश्चात भी या तो बेरोजगार हैं अथवा अपनी क्षमताओं के प्रतिकूल तथा कमतर रोजगार करने के लिए विवश हैं। उपाधि अनुकूल रोजगार न करने के पीछे एक कारण – उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का परम्परागत अप्रासंगिक तथा अव्यवहारिक होना भी है। वर्तमान में ज्ञान-विज्ञान में अभूतपूर्व गति से विकास हो रहा है। इसके चलते पाठ्यक्रम का नवीनीकरण तथा व्यावहारिक होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा समितियों ने शिक्षा तथा रोजगार के संबंध को सुदृढ़ करने के सुझाव दिए हैं परन्तु आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिकतर परम्परागत विषय, परम्परागत शिक्षण प्रक्रिया द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं जिससे भारतीय युवा शक्ति अपनी क्षमताओं को पूर्णरूपेण विकसित नहीं कर पाती जिससे वह देश के विकास में पूर्णतः भागीदार नहीं बन पाती।

नब्बे के दशक से उच्च शिक्षा के निजीकरण से भी उच्च शिक्षा जनसामान्य की पहुँच से परे हो गई है। 2001 में कुल संस्थानों में 43 प्रतिशत निजी संस्थान 33 प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा रहे थे जो कि 2008 में बढ़ कर 63 प्रतिशत निजी संस्थान कुल छात्रों में से 51 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। मुंगेर (2008) के अनुसार एक ओर तो उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ परन्तु दूसरी ओर उच्च शिक्षा कुछ वर्गों के लिए सीमित हो गई। विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विस्तार भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। ग्रामीण भारतीय उच्च शिक्षा से वर्चित ही रहे।

**इसके अतिरिक्त सामान्यतः** उच्च शिक्षा विभिन्न पिछड़े वर्गों के लिए भी एक स्वप्न अधिक है। जनसांख्यिकीय (Demographic) आधार पर यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का विश्लेषण (Analysis) किया जाए तो पता चलता है कि समाज के विभिन्न पिछड़े वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच अत्यंत सीमित है। उदाहरणार्थ केवल 6 प्रतिशत स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। अन्य वर्गों की संख्या और भी दयनीय है। इसके अतिरिक्त 25–30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनके लिए प्राथमिक शिक्षा पाना ही एक स्वप्न है। उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी नगण्य है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के असामान्य प्रसार से भी उच्च शिक्षा में छात्रों की पहुँच प्रभावित होती है। कुछ क्षेत्रों में अनेक तथा विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों का जमाव होगा जिसमें सामान्य, तकनीकी, व्यवसायिक आदि प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होती है और कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थानों का पूर्णतया अभाव होता है। ग्रामीण तथा भौगोलिक दृष्टि से दूरगामी क्षेत्रों के छात्र मुख्यतः इस असामान्य प्रसार से प्रभावित होते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने स्वाभाविक पर्यावरण से निकल कर शहरों का रुख करना पड़ता है जो कालांतर में उन्हें अपने समाज व पर्यावरण से अपरिचित बनाने तथा अलगाव का एक मुख्य कारण बनता है जिसका दुष्प्रभाव क्रमशः उस क्षेत्र के पिछड़े रह जाने में दर्शित होता है।

### उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका

परम्परागत उच्च शिक्षा की निम्नलिखित समस्याओं तथा अक्षमताओं ने प्रारंभिक रूप से दूरस्थ शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। परम्परागत उच्च शिक्षा की विभिन्न समस्याएँ हैं :

- उच्च शिक्षा का निरन्तर गिरता स्तर
- महंगी उच्च शिक्षा
- ढांचागत सुविधाओं का अभाव
- अप्रासंगिक तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रम
- कुशल तथा प्रशिक्षित अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं का अभाव
- शिक्षा का निजीकरण तथा व्यावसायीकरण
- सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहुँच से दूर
- भौगोलिक सीमाकरण

सांख्यिकीय प्रसार तथा गुणवत्ता के विकास के उद्देश्य हेतु दूरस्थ शिक्षा परम्परागत प्रणाली के विकल्प के रूप में विशिष्ट स्थिति प्राप्त है। चाहे प्रश्न उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का हो या शिक्षकों को, चाहे प्रश्न भौगोलिक सीमाकरण का हो अथवा सामाजिक तथा आर्थिक सीमाकरण का दूरस्थ शिक्षा की लोकतांत्रिक रूप में अधिक से अधिक शिक्षा प्रार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूरस्थ शिक्षा द्वारा विभिन्न उच्च शिक्षा प्रार्थी अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी गति से, स्वानिर्देशित शिक्षण सामग्री द्वारा ज्ञान प्राप्त कर विभिन्न शैक्षणिक तकनीक तथा व्यावासिक उपाधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को एक समान शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा कर दूरस्थ शिक्षा द्वारा गुणवत्ता, समरूपता तथा समानता की नींव रखी जाती है। अर्थात् दूरस्थ शिक्षा लोकतांत्रिकीकरण की विचारधारा पर आधारित है। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में – ‘‘शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गागत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।’’

शिक्षा के विभिन्न आयामों विषय, उपाधि स्तर (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षण सामग्री) आधारभूत सुविधाएँ, मूल्यांकन प्रक्रिया इत्यादि में छात्रों को छूट तथा स्वनिर्णय के आधार पर विभिन्न विकल्पों के चयन का अधिकार दूरस्थ शिक्षा में प्राप्त होता है।

भारत जैसे विकासशील देश में दूरस्थ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के कोसों के लिए विभिन्न उपाधि स्तर की शिक्षा को उपलब्ध करवाना एक निरंतर चुनौती है। प्रत्येक वर्ष अनेकोनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाती

है परन्तु सतत बढ़ती जनसंख्या तथा ‘ज्ञान क्रांति’ जनसंख्या तथा ज्ञान विस्फोट के चलते, परम्परागत शिक्षा प्रणाली द्वारा उच्च शिक्षा लगभग असंभव सा था। अतएव भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों - मानव तथा अतिएतर की कमी के चलते दूरस्थ शिक्षा को एक सक्षम विकल्प के रूप में अपनाया गया जिसमें अधिक से अधिक छात्रों को मूल्य-उपयुक्त (cost-effective) रूप में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में Life long Education अथवा जीवनपर्यन्त शिक्षा दर्शन को अपनाया जा रहा है। दीक्षित आदि (2002) के अनुसार अब “we offer” के स्थान पर “what you need” का चलन है तथा 1998 विश्व शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार अब सम्पूर्ण जीवन सीखने का समय है।

### दूरस्थ उच्च शिक्षा की संकल्पना तथा आयाम

दूरस्थ उच्च शिक्षा का सामान्य शब्दों में अर्थ है शिक्षकों तथा शिक्षण संस्थानों से दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना। इसमें छात्रों को अपनी रुचि, गति, क्षमताओं तथा सहुलियत के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें या तो छात्रों का शिक्षकों से face-to-face interaction कुछ समय के लिए या फिर बिल्कुल नहीं होता। इसमें मुख्यतः शिक्षण सामग्री प्रिंट तथा मल्टीमीडिया ही शिक्षक की भूमिका निभाती है। छात्रों की प्रगति को स्वमूल्यांकन तथा विभागीय मूल्यांकन द्वारा निरन्तर जांचा तथा प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रणाली पूर्णतः छात्र-केन्द्रित (student-oriented) है जिसमें विभिन्न शिक्षण संबंधी नियमों तथा आयामों में लचीलापन है।

दूरस्थ शिक्षा छात्रों को क्या, कब, कैसे और कहाँ सीखे - इसमें स्वनिर्णय का अधिकार देती है। दूरस्थ शिक्षा के दर्शन शास्त्र के अनुसार शिक्षण-सामग्री में छात्र तथा शिक्षक के आदृश्य वार्तालाप होता है। छात्र स्वयं से तथा छात्र शिक्षण सामग्री द्वारा अदृश्य शिक्षक के साथ वार्तालाप करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है। माइकल मूर इसे ‘टू-वे डिडिक्टिक’ वार्तालाप कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा को छात्र केन्द्रित होने के कारण व्यैक्तिनिष्ठ (Individualized) प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें छात्र को सम्पूर्ण स्वायतता प्राप्त होती है। छात्र स्वनिर्णय के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है।

दूरस्थ शिक्षा में मुख्यतः मुद्रित (Print) सामग्री द्वारा शिक्षण अध्ययन होता है। परन्तु संचार क्रांति के चलते विभिन्न अन्य साधनों तथा उपकरणों का प्रयोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यी.वी., रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर

आधारित – ई-मेल, इंटरनेट, टेलिकांफ्रैंसिंग आदि सुविधाओं का प्रयोग शिक्षण के विभिन्न उपागमों के लिए होता है। आजकल तो e-learning तथा virtual universities का चलन बहुत बढ़ गया है जिसमें छात्र दूरस्थ स्थान से ही शिक्षक तथा शिक्षण-सामग्री को उपग्रह आधारित उपकरणों द्वारा face-to-face विधि के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। इन सभी प्रकार के प्रिंट अथवा अन्य साधनों द्वारा छात्र अपनी शंकाएँ, सुझाव तथा प्रगति की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है।

### दूरस्थ उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शुरूआत 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार कोर्स के रूप में हुई। भारत में दूरस्थ उच्च शिक्षा मुख्यतः दो प्रकारों से उपलब्ध करवाई जाती है। पहले, मुक्त विश्वविद्यालय जिसमें केवल दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की ही व्यवस्था होती है। दूसरे परम्परागत विश्वविद्यालयों में face-to-face शिक्षण के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा का भी एक विभाग/संकाय होता है जिसमें दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इन्हें ड्यूल मोड विश्वविद्यालय (Dual Mode Universities) कहते हैं।

भारत में दूरस्थ प्रणाली द्वारा कुल 140 संस्थान उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं – एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 13 राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा 126 ड्यूल मोड विश्वविद्यालय।

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (1985)
2. डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, (1982)
3. वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राज्यस्थान (1987)
4. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, विहार (1987)
5. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश (1991)
6. यशवंत राव चक्षाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक (1989)
7. डा. बाबा साहेब अम्बेडर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात (1994)
8. नेताजी सुभाष चन्द्र मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (1997)
9. यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (1998)
10. तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु (2002)

11. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक (1996)
12. प. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपूर, छत्तीसगढ़ (2005)
13. उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तरांचल
14. के. के. हन्दीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम

11वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान आठ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा विभिन्न परम्परागत विश्वविद्यालयों में 100 दूरस्थ शिक्षा विभाग/संकाय और स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत में कुल उच्च शिक्षा के छात्रों में से 25 प्रतिशत छात्र दूरस्थ प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जल्द ही यह आंकड़ा बढ़ कर 40 प्रतिशत होने की आशा है। पांडा आदि (2006) के अनुसार भारत में 14 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 126 परम्परागत विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग/संकायों में प्रतिवर्ष 28 लाख छात्र, 429 प्रोग्रामों (Programmes) के 3,817 कोर्सों (Courses) में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह तंत्र 105 क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Centres) तथा 4,229 अध्ययन केन्द्र (Study Centres) तथा 62,000 ट्यूटरों (Tutors) द्वारा संचालित हैं। भारत में कुछ विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष एक लाख से भी अधिक छात्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। जॉन डेनियल (1996) ऐसे संस्थानों को 'मेगा यूनिवर्सिटी' (Mega Universities) पुकारते हैं। इग्नू (नई दिल्ली), डा. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश) तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (महाराष्ट्र) डेढ़ लाख से अधिक छात्रों को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं।

दूरस्थ उच्च शिक्षा में सभी सामाजिक वर्गों के छात्रों तथा तथाकथित पिछले वर्गों के छात्रों - ग्रामीण, विकलांग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, महिलाएँ, अल्पसंख्यकों आदि के लिए अनेक प्रकार के विकल्प प्राप्त हैं। वे कोई भी शैक्षण, तकनीकी, व्यावसायिक आदि कोर्स इस प्रणाली द्वारा करके अपने ज्ञान तथा क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। दूरस्थ उच्च शिक्षा में विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स से लेकर पी-एच.डी. स्तर के विकल्प मौजूद हैं। सामान्य डिग्री कोर्स जैसे बी.ए. पास आदि से लेकर बी.एड., एल.एल.बी., एम.बी.ए., एम.टेक आदि व्यावसायिक तथा तकनीक आधारित कोर्सों को करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान में, दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग क्षमता-निर्माण (capacity building) में भी अधिक हो रहा है। विभिन्न

व्यावसायिक (प्रोफेशनल) लोग अपने ज्ञान तथा क्षमताओं के संवृद्धि तथा बेहतर रोजगार के उद्देश्य से कई कोर्स करके आज के चुनौतीपूर्ण समाज में बेहतर स्थान के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। विभिन्न शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, सेना अधिकारी, बैंकर आदि दूरस्थ शिक्षा का लाभ उठाते हैं।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्रों की सुविधा तथा सम्पर्क के लिए विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्र (regional centres) तथा अध्ययन केन्द्र (study centres) की स्थापना की जाती है। क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय तथा अध्ययन केन्द्र के बीच के कड़ी होते हैं जिसका मुख्य ढांचा प्रशासनिक होता है। अध्ययन केन्द्र छात्र तथा क्षेत्रीय केन्द्र की बीच की कड़ी होते हैं जहाँ छात्र को शिक्षण संबंधी संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ शिक्षक के स्थान पर ट्यूटर/काउंसलर होता है जो छात्रों की विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा व्यैक्तिक समस्याओं के समाधान में योगदान करता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र में छात्रों के लिए पुस्तकालय तथा विभिन्न आधुनिक तकनीकी यंत्रों आदि की व्यवस्था की जाती है जिससे उनको सीखने तथा ज्ञान प्राप्त करने में अतिरिक्त सहायता मिल सके।

**दूरस्थ शिक्षा में मुख्यतः मुद्रित (Print) सामग्री द्वारा शिक्षण अध्ययन होता है।** परन्तु संचार क्रांति के चलते विभिन्न अन्य साधनों तथा उपकरणों का प्रयोग शिक्षण प्राप्त करने हेतु किया जाता है। टी.वी., रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, फोन, कम्प्यूटर आधारित – ई-मेल, इंटरनेट, टेलिकानफ्रेन्सिंग आदि सुविधाओं का प्रयोग शिक्षण को विभिन्न उपागमों के लिए होता है। आजकल तो e-learning तथा virtual universities का चलन बहुत बढ़ गया है जिसमें छात्र दूरस्थ स्थान से ही शिक्षक तथा शिक्षण-सामग्री को उपग्रह आधारित उपकरणों द्वारा face-to-face विधि के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। इन सभी प्रकार के प्रिंट अथवा अन्य साधनों द्वारा छात्र अपनी शंकाएं, सुझाव तथा प्रगति की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है।

### दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रकार

दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को विभिन्न प्रकार से उपलब्ध करवाया जाता है। इनमें मुख्य प्रकार निम्नलिखित है :

- डाक द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले पत्राचार कोर्स

- इंटरनेट द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सिन्क्रोनस अथवा असिन्क्रोनस तकनीक पर आधारित कोर्स
- रेडियो अथवा टेलीविजन द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले टेली कोर्स तथा ब्रॉडकास्ट कोर्स
- कम्प्यूटर आधारित CD-ROM द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले कोर्स
- पॉकेट पी सी/ मोबाइल लर्निंग आधारित कोर्स
- विभिन्न उपरोक्त कोर्सों का अन्य फेस टू फेस माध्यम को सम्मिलित करवाए जाने वाले कोर्स

### **दूरस्थ शिक्षा में अपनाई जानेवाली तकनीक**

दूरस्थ शिक्षा में प्रायः दो प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सिन्क्रोनस (Synchronous) तथा असिन्क्रोनस (Asynchronous)। सिन्क्रोनस तकनीक में अधिगम प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर एक समय पर होती है। सिन्क्रोनस तकनीक के अन्तर्गत निम्नलिखित तकनीकों को वर्गीकृत किया जाता है :

- टेलिफोन
- विडियो क्रोनफ्रेन्सिंग
- वेब क्रोनफ्रेन्सिंग

असिन्क्रोनस तकनीक में अधिगम प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न समय पर होती है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तकनीकों को वर्गीकृत किया जाता है :

- ओडियो कैसेट्स
- ई-मेल
- मैसज बोर्ड
- प्रिंट (मुद्रित) सामग्री
- वाइस मेल/फैक्स
- विडियो कैसेट्स

टेलर (1998) ने तकनीक के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के क्रमिक विकास को चार चरणों में वर्गीकृत किया है :

- प्रथम चरण - पत्राचार मॉडल जिसमें प्रिंट मिडिया की प्रधानता होती है।

- द्वितीय चरण – मल्टीमीडिया मॉडल – प्रिंट, ओडियोटेप, वीडियो टेप, कम्प्यूटर आधारित प्रणाली तथा इंटरएक्टिव वीडियो।
- तृतीय चरण – टेली लर्निंग मॉडल – ओडियो टेलिक्रोनफेसिंग तथा वीडियो टेलिक्रान्प्रफर्सिंग।
- चतुर्थ चरण-फ्लैक्सबल लर्निंग मॉडल – इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरनेट-बेस्ड एक्सस तथा कम्प्यूटर केन्द्रित संचार व्यवस्था।

इन चरणों के आधार पर भारतीय दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को भी वर्गीकृत किया जा सकता। अधिकतर परम्परागत विश्वविद्यालयों के दूरस्थ विभाग/संकाय अभी भी प्रथम चरण में, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय द्वितीय चरण में तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तृतीय चरण में कहे जा सकते हैं। यद्यपि सभी दूरस्थ संस्थानों को चतुर्थ चरण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

### **दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता**

दूरस्थ शिक्षा के बढ़ते हुए क्षेत्र को देखते हुए गुणवत्ता का प्रश्न यकायक उत्पन्न होता है। दूरस्थ शिक्षा का व्यावसायीकरण इतना न हो जाए कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने लगे। इस प्रणाली पर नियंत्रित करने तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्‌नू की दूरस्थ शिक्षा परिषद् (Distance Education Council) उत्तरदायी है। यह परिषद् विभिन्न दूरस्थ संस्थानों तथा कोर्सों को मान्यता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। यह एक रेगुलेटरी संस्था है जो दूरस्थ शिक्षा के संबंध में नियम, अधिनियम, मानक, निर्देश आदि की रूपरेखा तैयार करती है तथा यह भी देखती है कि इन्हीं सभी का पालन भली भाँति हो रहा या नहीं। इस परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ संस्थानों तथा कोर्सों को ही भारत में मान्यता प्राप्त है अन्यथा नहीं। दूरस्थ शिक्षा परिषद् इन संस्थानों तथा कोर्सों की गुणवत्ता का निर्धारण, देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान के आधार पर भी करती है।

दूरस्थ शिक्षा परिषद् द्वारा गुणवत्ता तथा मानक दूरस्थ उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के मुख्यतः दो आधार हैं :

- स्वनिर्देशित पठन सामग्री का मूल्यांकन तथा
- संस्थान संबंधित आवश्यकताएँ।

स्वनिर्देशित सामग्री अन्य पाठ्यपुस्तकों से अलग होती है। इस सामग्री में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :

- स्वपर्याप्त
- स्वविवरणीय
- स्वनिर्देशित
- स्वप्रोत्पाहित
- स्वमूल्यांकित
- स्वअधिगमित

संस्थान की संबंधित आवश्यकताएँ :

- शिक्षकगण
- स्वनिर्देशित सामग्री
- आधारभूत सुविधाएँ तथा उपकरण
- पुस्तकालय
- कम्प्यूटर
- सूचना तथा संचार तकनीक की व्यवस्था

दूरस्थ शिक्षा की स्थापना दूरस्थ शिक्षा को संचालित तथा नियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में 1991 में की गई। यह देश में दूरस्थ शिक्षा के विकास, समन्वयन तथा मानकता के लिए उत्तरदायी है। यह सभी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं - मुक्त विश्वविद्यालय तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के विभाग/संकाय को विभिन्न प्रकार से तकनीकी तथा मानवीय संसाधन उपलब्ध करवा कर उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन करती है। परिषद् दूरस्थ शिक्षा तथा परम्परागत उच्च शिक्षा के समन्वयन का अवसर भी प्रधान करती है।

परिषद् के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

- नियमों तथा निर्देशनों की रूपरेखा तैयार करना,
- दूरस्थ शिक्षा तथा शिक्षण संस्थानों की विषय में जानकारी देना,
- सेमिनार/गोष्ठी तथा प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता देना,
- दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षकों की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देना,
- अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध करवाना,

- दूरस्थ शिक्षा संबंधी जानकारी के डाटाबेस को निरंतर अपडेट करना,
- दूरस्थ शिक्षा के कर्मचारियों के लिए तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना,
- मल्टीमीडिया तथा अन्य तकनीक प्रधान सामग्री का निर्माण करवाना,
- दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, तथा मूल्यांकन करना तथा विभिन्न शैक्षिक प्रोग्रामों का भी मूल्यांकन करना,
- शिक्षण संस्थानों को व्यवसायीकरण से रोकना,
- विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के बीच कोर्स तथा प्रोग्रामों का अदान-प्रदान करवाना,
- विभिन्न कोर्स तथा प्रोग्रामों का विभिन्न संस्थानों द्वारा सामूहिक रूप से विकसित करवाना।

दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अतिरिक्त, दूरस्थ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा मानकता के लिए NAAC – National Assessment and Accreditation Council उत्तरदायी है जिसकी स्थापना 1994 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के प्रोग्राम आफ एक्शन (1992) के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुई थी। NAAC द्वारा उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थाओं तथा संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन करके ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तीन चरणों में की जाती है :

- संस्थानों द्वारा स्वमूल्यांकन
- NAAC द्वारा संस्थानों में जाकर विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन
- उपरोक्त दोनों मूल्यांकन की रिपोर्टें के आधार पर संस्थानों को ग्रेड प्रदान करना जो कि पांच वर्ष तक मानित रहता है।

संस्थानों का मूल्यांकन निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित होता है :

- पाठ्यक्रम
- शिक्षण तथा मूल्यांकन प्रक्रिया
- अनुसंधान, परामर्श तथा विकास
- आधारभूत तथा शैक्षिक सुविधाएँ
- छात्र की सहायता के लिए उपलब्ध सेवाएँ
- प्रशासनिक व्यवस्था
- सफल प्रयोग अथवा विधियाँ

हालांकि दूरस्थ शिक्षा परिषद् की गुणवत्ता तथा मानकता की परिधि में सभी दूरस्थ उच्च शिक्षा संस्थानों का समावेश है चाहे वे मुक्त विश्वविद्यालय हों चाहे परम्परागत विश्वविद्यालय का दूरस्थ विभाग/संकाय हों परन्तु गुणवत्ता तथा मानकता के आधार पर स्वयं को ग्रेड दिलवा कर वर्गीकृत करना अभी बहुत सी संस्थानों द्वारा अपनाया जाना बाकी है। उच्च शिक्षा की भारतीय उन्नति तथा विकास में भूमिका को देखते हुए यह कहना अतिश्योक्ति न होगी की मानक तथा गुणवत्ता आधारित उच्च शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भूमिका दूरस्थ उच्च शिक्षा के संबंध में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह प्रणाली तथाकथित शिक्षा के पिछड़े वर्गों को भी अपनी परिधि में लाने में सक्षम है तथ उन्हें भी देश के विकास में भागीदार बनाने का अवसर देती है।

### **संदर्भ**

- दीक्षित, एच.पी. (2002) एक्सैस एंड इक्विटी : चैलेंजे फार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, नई दिल्ली: कोगन पेज इंडिया
- नाक (2001): नाक-दिस मैनुअल फार सेल्फ स्टडी फार ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन यूनिट्स, बंगलौर : नाक
- नाक (2007): हैंडबुक आन एसैसमेंट एंड एक्रीडेशन, बंगलौर: नाक
- पांडा, एस. गर्ग, एस. पुराणिक, सी., एंड वैकेया, वी, (सं.) (2006) फोर डिकेड्स आफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया : रिफ्लेक्शन आन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, नई दिल्ली : विवा बुक्स
- पुंडीर, जे.के. एंड सिंह, आर.पी. (2004), इंगेजमेंट आफ युनिवर्सिटी विद सोसायटी : न्यू सिस्टम फुलफिलिंग नीड्स एंड फोर्सिंग एक्प्लोडिंग, यूनिवर्सिटी न्यूज, वाल्यूम 42, नं.. 46 (41-43)।
- टेलर, जेम्स (1998): फ्लैक्सीबल डेलिवरी : द ग्लोबलाजेशन आफ लाइफ लांग लर्निंग, इंडियन जर्नल आफ ओपन लर्निंग, 1(7)

### **वेब-बेस्ड संदर्भ**

- [www-dec-ac-in](http://www-dec-ac-in)  
[www-ignou-ac-in](http://www-ignou-ac-in)  
[www-naacindia-org](http://www-naacindia-org)  
[www-planningcommission-nic-in](http://www-planningcommission-nic-in)

## दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के विभिन्न शिक्षण उपागमों की उपयुक्तता

महेश कुमार मुछाल\* और सत्यवीर\*\*

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दूरस्थ विद्यालयी अधिगमकों की गणित विषय की विभिन्न उपागमों जैसे मुद्रित अध्ययन, वीडियो पाठ अध्ययन, चर्चा अध्ययन एवं गणित प्रयोगशाला अध्ययन की उपयुक्तता का अध्ययन करना है। वर्तमान शोध में राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय बी-ब्लाक नन्द नगरी दिल्ली-93 अध्ययन केंद्र पर पंजीकृत वर्ष 2007-08 सत्र के कक्षा 10 के गणित विषय के 160 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। इस प्रयोगात्मक अध्ययन में चारों समूहों को अग्रलिखित उपचार दिया गया। प्रथम समूह को मुद्रित पाठ अध्ययन, द्वितीय समूह को मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन, तृतीय समूह हो मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन तथा चतुर्थ समूह को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन कराया गया। इसके पश्चात प्रत्येक उपागम से संबंधित कथनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। अलग-अलग शिक्षण उपागमों का प्रयोग करने वाले अध्ययन समूहों की प्रतिक्रिया हेतु डा. महेश कुमार मुछाल द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया मापनी का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पना यह थी कि गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विभिन्न शिक्षण अधिगम उपागमों पर विद्यार्थियों की अनुक्रिया में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। विद्यार्थियों की अनुक्रिया मापने हेतु प्रत्येक उपागम से संबंधित कथनों पर वैकल्पिक उत्तर रखे गये थे। परिकल्पना यह थी कि वैकल्पिक स्थानों पर प्रत्येक कथन के संदर्भ में छात्र समान रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग मूल्य

\*वरिष्ठ प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, दिग्म्बर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश

\*\*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, दिग्म्बर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश

का उपयोग किया गया। विभिन्न कथनों के जिस विकल्प पर अधिकांश आवृति व आवृति प्रतिशत हो उस कथन को मान्यता दी गई है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री के विभिन्न घटकों पर अधिकांश विद्यार्थी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तथा सभी विद्यार्थी यह भी मानते हैं कि मुद्रित अध्ययन सामग्री स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी के अध्ययन हेतु अधिक सक्षम नहीं है। अतः अधिकांश विद्यार्थी मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ, चर्चा व गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता समझते हैं।

वीडियो पाठ की विषय वस्तु समझने के लिए उपयुक्त थी क्योंकि आडियो-वीडियो प्रस्तुतीकरण तथा पाठ की व्याख्या छात्रों की समझ के अनुरूप थीं। वीडियो पाठ में चित्रों का प्रस्तुतीकरण एवं जीवन से संबंधित उदाहरण समझने योग्य थे जिनके आधार पर विषय वस्तु छात्रों की समझ में आ जाती है इसीलिए विद्यार्थी सभी विषय का अध्ययन वीडियो पाठ द्वारा चाहते हैं।

मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा समूह छात्रों के लिए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उपयोगी थे क्योंकि समूह में अलग-अलग योग्यता के छात्र थे जो आपस में चर्चा करते हैं। इससे उनमें स्वयं चिन्तन की क्षमता एवं तर्क शक्ति का विकास होता है जो पाठ को विस्तार पूर्वक समझने में सहायता करता है एवं प्रयोगात्मक कार्य हेतु दिशा-निर्देश भी चर्चा के दौरान ही दिये जाते हैं।

मुद्रित पाठ वीडियो पाठ एवं चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला विषय के कठिन एवं सभी प्रकरणों के अध्ययन हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थी। गणित प्रयोगशाला द्वारा प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन संभव था तथा गणित प्रयोगशाला विषय वस्तु को समझने के लिये उपयुक्त थी क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा गणित विषय के प्रकरणों को रोचक एवं सरल तरीके से समझाया जा सकता है। रूचि के अनुरूप होने में एवं सोपानयुक्तता के कारण छात्रों का अधिगम लम्बे समय तक याद रखने वाला होता है। क्रियाशीलता छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। बिल्कुल खर्चीली नहीं है अपितु आस-पास की अनुपयोगी वस्तुओं का सदुपयोग गणित प्रयोगशाला द्वारा संभव है।

### प्रस्तावना

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान या देश तक ही सीमित नहीं रहती अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर

बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उनके शिक्षक हैं जिन्हें वह सिखाता है वे सब उसके शिष्य हैं तथा जिस स्थान पर सीखने या सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि को सफल बनाने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है।

शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सभी के लिए शिक्षा आदि योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6-14 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क व आवश्यक रूप से शिक्षा की व्यवस्था की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सीमित संसाधनों व औपचारिकता विद्यालय के द्वारा संभव नहीं हो सकी। इस कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 में स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की। जो छात्र व छात्राएं औपचारिक साधनों के द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में कार्य कर रहा है। अध्ययनरत विद्यार्थियों की आम विद्यालयों की तरह नियमित कक्षाएं नहीं होती हैं लेकिन अध्ययन केन्द्र पर सप्ताह के अंत में रविवार एवं अवकाश के दिनों में कुल 30 संपर्क कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन संपर्क कक्षाओं में शिक्षण प्रशिक्षण की समस्त विधायें उपयोग में लायी जाती हैं जैसे मुद्रित पाठ सामग्री, आडियो पाठ प्रस्तुतीकरण, वीडियो पाठ प्रस्तुतीकरण, चर्चा या अध्यापक अन्तःक्रिया, गणित प्रयोगशाला एवं शैक्षिक दूरदर्शन इत्यादि।

### पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में परम्परागत शिक्षण, मौखिक शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, मुद्रित सामग्री, वीडियो पाठ, अध्यापक चर्चा एवं संपर्क कार्यक्रमों की गतिविधियों पर अनेक अध्ययन हुए हैं। उनमें उल्लेखनीय आनंद (1979), खान (1983), सिंह (1983) तथा साहू (1985) ने अपने अध्ययनों में पाया कि पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का मूल कारण शैक्षिक स्तर को सुधारना है। सुब्रमण्यम (1986) ने अध्ययन में पाया कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के महत्व को सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया है। डार्टर (1990) पैन (1991), सिंह (1995) ने अपने अध्ययनों में पाया कि सीखने की शैली एवं आदतों का शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साहू एवं मलिक (1994), साहू,

पडिहारी एवं मुछाल (1996) ने अपने अध्ययनों में पाया कि वीडियो पाठ के पश्चात् पुनः वार्ता (अध्यापक चर्चा), वाले समूह की उपलब्धि अधिक थी। साहू एवं खान (1999), ने अपने अध्ययन ‘‘म.प्र. में पत्राचार सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता’’ में पाया कि अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अधिक वांछनीय पाते हैं। अधिकांश छात्र वर्तमान प्रदत्त कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। खान (2005) द्वारा सेवाकालीन अध्यापकों पर दूरस्थ माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन, जिसके न्यादर्श बी.एड. एवं बी.टी.सी. स्तर के सेवाकालीन अध्यापक थे, में पाया कि दोनों स्तरों के अध्यापकों के व्यवहार पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ रहा है। प्रशिक्षण उनकी दक्षता बढ़ाने में सहायक हुआ है तथा उनकी सेवा से संबंधित आवश्यकताओं पर भी प्रशिक्षण प्रभावी हुआ है।

### अध्ययन की आवश्यकता

दूरस्थ शिक्षा में जितने भी शोध हुए हैं उनमें प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण प्रदत्त कार्य संतुष्टि, दूरस्थ शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम के स्वरूप विद्यार्थियों की समस्याएं एवं वीडियो कार्यक्रम पर हुए हैं। अध्ययन केन्द्र पर चलने वाली गतिविधियों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण उपागमों में कौन सा उपागम छात्रों के अधिगम एवं समाधान हेतु किस सीमा तक उपयुक्त है तथा गणित जैसे विषय में गणित प्रयोगशाला किस सीमा तक अधिगम में सहायक है। अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा इसकी उपयोगिता को खोजने का प्रयास किया गया है।

### उद्देश्य

1. गणित विषय के विद्यार्थियों की मुद्रित अध्ययन सामग्री पर प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
2. गणित विषय के विद्यार्थियों की मुद्रित पाठ के पश्चात् वीडियो पाठ पर प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
3. गणित विषय के विद्यार्थियों की मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात् चर्चा पर प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
4. गणित विषय के विद्यार्थियों की मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात् गणित प्रयोगशाला पर प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।

### परिकल्पना

गणित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विभिन्न शिक्षण अधिगम उपागमों पर विद्यार्थियों की अनुक्रिया में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों की अनुक्रिया मापने हेतु प्रत्येक उपागम से संबंधित कथनों पर वैकल्पिक उत्तर रखे गये थे। परिकल्पना यह थी कि वैकल्पिक स्थानों पर प्रत्येक कथन के संदर्भ छात्र समान रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। परिकल्पना के परीक्षण हेतु काइ वर्ग मूल्य का उपयोग किया गया।

### न्यादर्श

वर्तमान शोध में राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय बी-ब्लॉक, नन्द नगरी, दिल्ली-93 अध्ययन केन्द्र पर पंजीकृत वर्ष 2007-08 सत्र के कक्षा 10 के गणित विषय के 160 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया।

### उपकरण

अलग-अलग शिक्षण उपागमों का प्रयोग करने वाले समूह जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह तथा मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूहों की प्रतिक्रिया हेतु डा. महेश कुमार मुछाल द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया मापनी का प्रयोग किया गया है।

### तथ्यों का एकत्रीकरण

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श की प्रकृति के आधार पर मुद्रित अध्ययन सामग्री पर प्रतिक्रिया मापनी, मुद्रित पाठ के पश्चात वीडियो एवं चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला पर प्रतिक्रिया मापनी को चारों समूहों को अलग-अलग भरने हेतु प्रशासित किया गया।

उपरोक्त चारों समूहों में अलग-अलग शिक्षण अधिगम उपागमों द्वारा अध्ययन किया गया था जैसे मुद्रित पाठ, मुद्रित पाठ के पश्चात वीडियो पाठ, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला।

### तथ्यों का सारणीयन

मुद्रित स्व-अध्ययन सामग्री की उपयुक्तता पर प्राप्त तथ्यों की आवृति, आवृति प्रतिशत

एवं काई वर्ग मूल्य को तालिका-1 में प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रित पाठ के बाद वीडियो पाठ की उपयुक्तता पर प्राप्त तथ्यों की आवृति, आवृति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य को तालिका-2 में प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा समूह की उपयुक्तता पर प्राप्त तथ्यों की आवृति, आवृति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य को तालिका-3 में प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला समूह की उपयुक्तता पर प्राप्त तथ्यों की आवृति, आवृति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य को तालिका-4 में प्रस्तुत किया जाता है।

विभिन्न कथनों के जिस विकल्प पर अधिकांश आवृति व आवृति प्रतिशत हो उस कथन को मान्यता दी गई है।

### **तालिका-1 की विवेचना**

तालिका-1 से स्पष्ट है कि मुद्रित सामग्री की अध्ययन हेतु चारों अध्ययन समूह के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं। जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 70% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह में 80% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला समूह में 70% विद्यार्थी पाठ सामग्री को उपयुक्त पाते हैं क्योंकि सामग्री में विषय वस्तु को विश्लेषित कर सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में संकल्पना समझ को चारों अध्ययन समूह के विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 55%, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी मुद्रित पाठ सामग्री में संकल्पना समझ को उपयुक्त पाते हैं क्योंकि संकल्पना विद्यार्थियों की समझ में आती है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में स्वयं की प्रगति हेतु स्व-मूल्यांकन को चारों अध्ययन समूह अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 62.5%

**तालिका-1 भाग-1**  
**पुरित पाठ अध्ययन कथनों से संबंधित कथनों पर समूहों की कक्षनानुसार आवृत्ति, आवृत्ति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य दर्शाने वाली तालिका**  
(केवल पुरित पाठ समूह एवं पुरित पाठ के साथ वीडियो समूह)

कथन	पुरित पाठ समूह					पुरित पाठ के साथ वीडियो समूह				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. आपने पुरित सामग्री को अख्यन हेतु किस सीमा तक पर्याप्त पाया है	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*	27(67.5)	8(20)	5(12.5)	40(100)	21.92*
2. आपने पुरित सामग्री में निम्न बिन्दुओं को किस सीमा तक पर्याप्त पाया है										
(अ) संकलनात् समझ	23(57.5)	12(30)	5(12.5)	40(100)	12.69*	22(55)	14(35)	4(10)	40(100)	12.54*
(ब) स्वयं की प्रगति हेतु स्व-मूल्यांकन	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.62*	31(77.5)	7(17.5)	2(5)	40(100)	37*
(स) लिखित प्रदर्श कार्य	25(62.5)	11(27.5)	4(10)	40(100)	17.62*	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.62*
(द) परीक्षा को तैयारी हेतु	21(52.5)	12(30)	7(17.5)	40(100)	7.77**	27(67.5)	11(27.5)	2(5)	40(100)	24.69*
3. आपने पुरित सामग्री में निम्न बिन्दुओं को किस सीमा तक उपयोग पाया है										
(अ) विषय-क्रमसु विश्लेषण	22(55)	15(37.5)	3(7.5)	40(100)	14.23*	27(67.5)	10(25)	3(7.5)	40(100)	23.46*
(ब) प्रस्तावना	24(60)	14(35)	2(5)	40(100)	18.69*	26(65)	8(20)	6(15)	40(100)	18.69*
(स) स्व-परीक्षण प्रश्न	23(57.5)	11(27.5)	6(15)	40(100)	12.54*	23(57.5)	12(30)	5(12.5)	40(100)	12.69*
(द) दृश्य सामग्री (चित्र, चार्ट, ग्राफ़, सारणी)	21(52.5)	10(25)	9(22.5)	40(100)	6.85**	29(72.5)	6(15)	5(12.5)	40(100)	28.38*
(इ) स्व-परीक्षण प्रश्नों के आवश्य उत्तर	22(55)	12(30)	6(15)	40(100)	10.08*	25(62.5)	12(30)	3(7.5)	40(100)	18.85*
(फ) स्व-अनुदर्शन प्रश्नों का प्रत्युतीकरण	23(57.5)	14(35)	3(7.5)	40(100)	15.46*	26(65)	7(17.5)	7(17.5)	40(100)	13.92*
4. आप पुरित सामग्री के साथ वीडियो पाठ एवं चर्चा को किस सीमा तक उपयुक्त पाते हैं	24(60)	13(32.5)	3(7.5)	40(100)	17*	23(57.5)	11(27.5)	6(15)	40(100)	11.77*
5. पुरित पाठ्य सामग्री को आप किस सीमा तक उपयुक्त पाते हैं	26(65)	12(30)	2(5)	40(100)	22.38*	27(67.5)	10(25)	3(7.5)	40(100)	23.46*

1. अधिक सीमा तक 2. कम सीमा तक 3. बिल्लुल नहीं 4. कुल 5. काई वर्ग मूल्य  
\*0.01 के स्तर पर सार्थक \*\*0.05 के स्तर पर सार्थक

**तालिका-1 भाग-1**  
**मुद्रित पाठ अध्ययन कथनों से संबंधित कथनों पर समूहों की कथनानुसार आवृत्ति, आवृत्ति प्रतिशत एवं काहि॒र्वा मूल्य दर्शने वाली तालिका**  
 (केन्द्रल मुद्रित पाठ समूह एवं मुद्रित पाठ के साथ वीडियो समूह की प्रतिक्रिया दर्शन हेहु)

कथन	मुद्रित पाठ समूह					मुद्रित पाठ के साथ वीडियो समूह				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. आपने मुद्रित सामग्री को अध्ययन हेहु किस सीमा तक पर्याप्त पाया है	32(70)	6(15)	2(10)	40(100)	40.85*	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*
2. आपने मुद्रित सामग्री में निम्न बिन्दुओं को किस सीमा तक पर्याप्त पाया है										
(अ) संकलना समझ	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*	29(72.5)	6(15)	5(12.5)	40(100)	28.38*
(ब) स्वयं को प्रगति हेहु स्व-मूल्यांकन	29(72.5)	7(17.5)	4(10)	40(100)	28.69*	26(65)	10(25)	4(10)	40(100)	19.92*
(स) लिखित प्रदत्त कार्य	29(72.5)	6(15)	5(12.5)	40(100)	28.38*	32(80)	6(15)	2(5)	40(100)	40.85*
(द) परीक्षा की तैयारी हेहु	23(57.5)	12(30)	5(7.5)	40(100)	12.69*	31(77.5)	5(12.5)	4(10)	40(100)	36.08*
3. आपने मुद्रित सामग्री में निम्न बिन्दुओं को किस सीमा तक उपयुक्त पाया है										
(अ) विषय-वस्तु विश्लेषण	27(67.5)	11(27.5)	2(5)	40(100)	24.69*	27(67.5)	7(17.5)	6(15)	40(100)	21.62*
(ब) प्रस्तावना	26(65)	10(25)	4(10)	40(100)	22*	23(57.5)	10(25)	7(17.5)	40(100)	11.15*
(स) स्व-परीक्षण प्रश्न	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*	21(52.5)	14(35)	5(12.5)	40(100)	9.92**
(द) दृश्य सामग्री (चित्र, चार्ट, ग्राफ, सारणी)	24(60)	10(25)	6(15)	40(100)	13.77*	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.52*
(इ) स्व-परीक्षण प्रश्नों के आदर्श उत्तर	26(65)	9(22.5)	5(12.5)	40(100)	19.15*	26(65)	11(27.5)	3(7.5)	40(100)	21*
(फ) स्व-अनुदेशन प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण	25(62.5)	10(25)	5(12.5)	40(100)	16.69*	29(72.5)	8(20)	3(7.5)	40(100)	29.31*
4. आप मुद्रित सामग्री के साथ वीडियो पाठ एवं चर्चा को किस सीमा तक उपयुक्त पाते हैं	24(60)	10(25)	6(15)	40(100)	13.71*	30(75)	6(15)	4(10)	40(100)	32.23*
5. मुद्रित पाठ्य सामग्री को आप किस सीमा तक चर्चा के अनुरूप पाते हैं	30(75)	8(20)	2(5)	40(100)	33.46*	29(72.5)	11(27.5)	2(5)	40(100)	29.31*

1. अधिक सीमा तक 2. कम सीमा तक 3. बिल्कुल नहीं 4. कुल 5. काहि॒र्वा मूल्य ..... कोइँ वांग में हैं।

\*0.01 के स्तर पर सार्थक \*\*0.05 के स्तर पर सार्थक

विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 60% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रश्न दिये जाते हैं जिससे विद्यार्थी स्व-मूल्यांकन कर आगे बढ़ते हैं।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में लिखित प्रदत्त कार्य को चारों अध्ययन समूह अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 60% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 77% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी सामग्री उपयुक्त पाते हैं क्योंकि पाठ्यवस्तु में लिखित प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन हेतु स्व-मूल्यांकन उत्तर पाठ के अंत में दिये जाते हैं।

मुद्रित अध्ययन सामग्री की परीक्षा हेतु तैयारी की उपयुक्तता पर चारों अध्ययन समूह अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 52.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 77.5% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि मुद्रित सामग्री का उद्देश्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी करना होता है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में विषय-वस्तु विश्लेषण की उपयुक्ता पर चारों समूह के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 67.5% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि मुद्रित पाठ्य सामग्री में विषय-वस्तु का विश्लेषण उचित होता है जो छात्रों की समझ में आसानी से आ जाता है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में प्रस्तावना के चारों समूह के विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 60% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा

अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि प्रस्तावना विषय वस्तु के स्पष्टीकरण में सहायक होती है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में स्व-परीक्षण प्रश्नों को चारों अध्ययन समूह के विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 52.5% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि प्रत्येक विषय-वस्तु के पश्चात स्व-परीक्षण प्रश्न पूछे जाते हैं।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में दृश्य सामग्री (चार्ट, ग्राफ, चित्र एवं सारणी) को चारों अध्ययन समूह के विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 52.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 72.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 60% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि मुद्रित पाठ्य सामग्री में विषय-वस्तु को समझाने की दृष्टि से दृश्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में स्व-परीक्षण प्रश्नों के आदर्श उत्तर को चारों समूह के अधिकांश विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 55% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 62.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि विद्यार्थी स्व-परीक्षण प्रश्न हल करने के बाद आदर्श उत्तर से पुष्टि कर लेते हैं।

मुद्रित अध्ययन सामग्री में अनुदेशन प्रश्नों के प्रस्तुतीकरण को चारों अध्ययन समूहों के विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 62.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 72.5% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि प्रश्न उस विषय-वस्तु में से ही होते हैं जिन्हें छात्रों ने पढ़ा है।

मुद्रित अध्ययन के साथ वीडियों, चर्चा व गणित प्रयोगशाला को चारों अध्ययन समूह अधिक सीमा तक आवश्यक मानते हैं जैसे पाठ अध्ययन समूह में 60% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 57.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 75% विद्यार्थी अधिक सीमा तक आवश्यक मानते हैं क्योंकि बहुत सी बातों का प्रस्तुतीकरण उदाहरण द्वारा हो जाता है जो मुद्रित सामग्री में नहीं हो पाता। बहुत सीमा तक वह वीडियो द्वारा स्पष्ट हो जाता है तथा वीडियो पाठ के पश्चात कोई कठिनाई हो तो वह चर्चा एवं गणित प्रयोगशाला द्वारा हल हो जाती है।

मुद्रित अध्ययन समूह की रुचि की सीमा चारों अध्ययन समूहों के विद्यार्थी अधिक सीमा तक रुचि के अनुरूप पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन समूह में 65% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह में 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के 75% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह में 72.5% विद्यार्थी रुचि के अनुरूप पाते हैं क्योंकि मुद्रित पाठ सामग्री में दृश्य सामग्री को प्रयोग करके रुचिकर बनाया जाता है।

### तालिका-1 का परिणाम

मुद्रित अध्ययन सामग्री को अध्ययन हेतु एवं परीक्षा हेतु चारों अध्ययन समूहों के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि मुद्रित सामग्री में विषय वस्तु को सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सम्पूर्ण पाठ को कई भागों में विभाजित करके बीच-बीच में स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं लिखित प्रदर्शन कार्य दिया जाता है इसलिए छात्र विषय वस्तु को पढ़कर स्व-मूल्यांकन आदर्श उत्तर द्वारा मिलान कर स्व प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते हैं। मुद्रित अध्ययन सामग्री में संकल्पना एवं प्रस्तावना छात्रों की समझ में आ जाती हैं क्योंकि विषय वस्तु को विश्लेषित कर प्रस्तुत किया जाता है साथ ही आवश्यकतानुसार दृश्य सामग्री (चार्ट, ग्राफ, तालिका) की प्रस्तुतीकरण होने से छात्र की पढ़ने में रुचि होती है।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मुद्रित अध्ययन सामग्री के विभिन्न घटकों पर अधिकांश विद्यार्थी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तथा सभी विद्यार्थी यह भी मानते हैं कि मुद्रित अध्ययन सामग्री स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी के अध्ययन हेतु अधिक सक्षम नहीं

**वीडियो पाठ अध्ययन से संबंधित कथर्नों पर समूहों के कथर्नानुसार आवृत्ति, आवृत्ति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य दर्शानेवाली तालिका**

कथर्न	मुद्रित पाठ के साथ वीडियो समूह					मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा समूह					मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ एवं चर्चा के बाद गणित प्रयासाला समूह				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. वीडियो पाठ की विषय-कस्तु सम्पूर्ण प्रकरण को समझने के लिए उपयुक्त थी।	27(67.5)	11(27.5)	2(5)	40(100)	21.61*	27(67.5)	12(30)	1(2.5)	40(100)	26.23*	32(80)	6(15)	2(5)	40(100)	40.85*
2. आईयो वीडियो रुचिकर था।	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*	29(72.5)	9(22.5)	2(5)	40(100)	30.23*	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.62*
3. वीडियो पाठ की व्याख्या आपके समझ के अनुरूप थी।	26(65)	10(25)	4(10)	40(100)	19.92*	23(57.5)	10(25)	7(17.5)	40(100)	11.15*	30(75)	8(20)	2(5)	40(100)	32.69*
4. वीडियो पाठ में प्रयुक्त विवरों में उपयुक्तता थी।	29(72.5)	6(15)	5(12.5)	40(100)	23.77*	26(65)	8(20)	6(15)	40(100)	18.69*	24(60)	14(35)	2(5)	40(100)	18.69*
5. वीडियो पाठ में प्रस्तुत उदाहरण समझने योग्य थे।	28(70)	8(20)	4(10)	40(100)	25.46*	25(62.5)	9(22.5)	6(15)	40(100)	16.08*	28(70)	8(20)	4(10)	40(100)	25.46*
6. वीडियो पाठ के बिना मुद्रित पाठ अध्ययन अशुआ था।	08(20)	27(67.5)	5(12.5)	40(100)	21.92*	4(10)	32(80)	4(10)	40(100)	40.23*	8(20)	30(75)	2(5)	40(100)	32.69*
7. प्रत्येक वीडियो पाठ की अवधि उपयुक्त थी।	27(67.5)	11(27.5)	2(5)	40(100)	24.69*	26(65)	8(20)	6(15)	40(100)	18.69*	28(70)	8(20)	4(10)	40(100)	25.46*
8. वीडियो पाठ में प्रस्तुत विषय-कस्तु अध्ययन हेतु उपयोगी थे।	28(70)	10(25)	2(5)	40(100)	27.31*	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.62*	22(55)	16(40)	2(5)	40(100)	17.77*
9. वीडियो पाठ में मुख्य विवरों को लिखने हेतु पर्याप्त समय था।	04(10)	6(15)	30(75)	40(100)	32.23*	6(15)	14(35)	20(50)	40(100)	7.61**	2(5)	14(35)	24(60)	40(100)	15.62*
10. सभी विषयों के पाठ का अध्ययन वीडियो पाठ संभव है।	30(75)	8(20)	2(5)	40(100)	33.46*	28(70)	7(17.5)	5(12.5)	40(100)	25*	24(60)	14(35)	2(5)	40(100)	15.62*

1. अधिक सीमा तक 2. कम सीमा तक 3. बिल्कुल नहीं 4. कुल 5. काई वर्ग मूल्य ..... कोष्ठक में लिखी गई संख्या प्रतिशत में है।  
\*0.01 के स्तर पर सार्थक      \*\*0.05 के स्तर पर सार्थक

हैं। अतः अधिकांश विद्यार्थी मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ, चर्चा व गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता समझते हैं।

### तालिका-2 की विवेचना

वीडियो अध्ययन पाठ की विषय-वस्तु सम्पूर्ण प्रकरण को समझने हेतु उपयुक्त थीं, इस कथन पर तीनों अध्ययन समूहों के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि वीडियो पाठ के द्वारा विषय-वस्तु समझ में आ जाती है।

आडियो वीडियो प्रस्तुतीकरण रुचिकर था। इस कथन पर मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 45% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी अधिक सीमा तक रुचिकर पाते हैं क्योंकि वीडियो पाठ से कुछ अंश डबिंग किये गये थे। इस कारण एक समूह कम सीमा तक रुचिकर पाते हैं, जबकि दूसरे समूह में चर्चा के बाद विषय वस्तु प्रस्तुतीकरण रुचिकर लगता है।

वीडियो पाठ की व्याख्या आपकी समझ के अनुरूप थी, इस कथन पर तीनों अध्ययन समूह अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 57.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 75% विद्यार्थी व्याख्या को समझ के अनुरूप पाते हैं क्योंकि वीडियो पाठ में विषय वस्तु को अलग-अलग उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

वीडियो पाठ की प्रयुक्ति चित्रों की उपयुक्तता पर तीनों अध्ययन समूहों के विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह

के 60% विद्यार्थी उपयुक्त पाते हैं क्योंकि चित्रों एवं दृश्यों के द्वारा विषय वस्तु या प्रकरण स्पष्ट हो जाता है।

वीडियो पाठ की प्रयुक्त उदाहरण समझने योग्य थे। इस कथन पर तीनों अध्ययन समूहों के अधिकांश विद्यार्थी उपयुक्तता को अधिक सीमा तक पाते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 62.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी उदाहरणों को समझने योग्य मानते हैं क्योंकि उदाहरणों के द्वारा विषय वस्तु स्पष्ट हो जाता है।

वीडियो पाठ के बिना मुद्रित पाठ अध्ययन अधूरा था। इस कथन पर तीनों अध्ययन समूह कम सीमा तक उपयुक्त मानते हैं। जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 75% विद्यार्थी कम सीमा तक अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मुद्रित सामग्री पर अधिकांश विद्यार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतीत होती है।

प्रत्येक वीडियो पाठ की अवधि उपयुक्त थी। इस कथन पर तीनों अध्ययन समूहों के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा अनुक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी पाठ की अवधि को उपयुक्त पाते हैं। प्रत्येक वीडियो पाठ की अवधि 15-20 मिनट तक थी।

वीडियो पाठ की प्रस्तुत विषय वस्तु पर विद्यार्थियों ने अधिक सीमा तक अनुक्रिया व्यक्त की जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 55% विद्यार्थी प्रस्तुत विषय वस्तु को अधिकांश सीमा तक उपयोगी मानते हैं क्योंकि विषय-वस्तु को अलग-अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया था, इसलिए विषय वस्तु अध्ययन हेतु उपयोगी थी।

वीडियो पाठ में मुख्य बिन्दुओं को लिखने हेतु समय की पर्याप्तता के लिए तीनों अध्ययन समूहों के विद्यार्थी नकारात्मक अनुक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे मुद्रित पाठ के

साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 75% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 50% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि वे पर्याप्त समयावधि में मुख्य बिन्दुओं को लिख नहीं पाए।

सभी विषयों का अध्ययन वीडियो पाठ द्वारा संभव है। इस कथन पर तीनों अध्ययन समूहों के अधिकांश विद्यार्थी अधिक सीमा तक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन समूह के 75% विद्यार्थी, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी सभी विषयों का अध्ययन वीडियो पाठ द्वारा संभव मानते हैं।

### **तालिका-2 का परिणाम**

वीडियो पाठ की विषय वस्तु समझने के लिए उपयुक्त थी क्योंकि आडियो-वीडियो प्रस्तुतीकरण तथा पाठ की व्याख्या छात्रों की समझ के अनुरूप थीं। वीडियो पाठ में चित्रों का प्रस्तुतीकरण एवं जीवन से संबंधित उदाहरण समझने योग्य थे जिनके आधार पर विषय-वस्तु छात्रों की समझ में आ जाती है इसीलिए विद्यार्थी सभी विषय का अध्ययन वीडियो पाठ द्वारा चाहते हैं।

कुछ कथनों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त है जैसे वीडियो पाठ में मुख्य बिन्दुओं को लिखने हेतु समय पर्याप्त था इस कथन पर अधिकांश विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वीडियो पाठ के बिना मुद्रित पाठ का अध्ययन अधूरा था इस कथन पर अधिकांश कम सीमा तक उपयुक्त पाते हैं जिससे छात्रों की मुद्रित पाठ के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

### **तालिका-3 की विवेचना**

मुद्रित एवं वीडियो पाठ के साथ-साथ की गई चर्चा विद्यार्थी के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में उत्तर हेतु मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी अधिक सीमा तक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालक थे इसलिए अलग-अलग प्रश्नों के लिए चर्चा उपयोगी थी।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के बाद चर्चा को विस्तार से समझने हेतु मुद्रित पाठ

**तालिका-३**  
**मुद्रित पाठ से संबंधित कथनों पर समूहों के कथनानुसार आवृत्ति, आवृत्ति प्रतिशत एवं काई वर्ग मूल्य दर्शने वाली तालिका**

कथन	मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा समूह					मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ एवं चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला समूह	
	1	2	3	4	5		
1. मुद्रित एवं वीडियो के साथ-साथ की गई चर्चा निम्न विन्डओं पर किस सीमा तक उपयोगी थी (अ) विद्युर्धी के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हेतु (ब) पाठ को विष्टार से समझने में (स) कठिन विद्युओं पर स्वयं चिन्तन विकास (द) विषय से सर्वाधित जानकारी बढ़ाने हेतु (इ) प्रयोगात्मक कार्य हेतु दिशा निर्देश (फ) तर्क शक्ति विकास हेतु (ज) समूह में एक दूसरे की प्रशंसा हेतु	27(67.5) 29(72.5) 26(65) 28(70) 31(77.5) 26(65) 24(60)	12(30) 8(20) 7(17.5) 6(15) 8(20) 12(30) 13(32.5)	1(2.5) 3(7.5) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 3(5)	26.23* 29.31* 18.54* 24.85* 37.92* 22.38* 17*	27(67.5) 26(65) 26(65) 28(70) 32(80) 29(72.5) 23(57.5)	4(10) 2(5) 5(12.5) 7(17.5) 5(12.5) 5(12.5) 2(5)	40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100)
2. चर्चा के दौरान पूछे गये प्रश्न अलग-अलग थे।	20(50)	17(42.5)	3(7.5)	40(100)	12.69*	27(67.5) 1(2.5)	
3. चर्चा के दौरान सहायियों द्वारा पूछे गये प्रश्न अर्थात् आयोगी था।	22(55)	11(27.5)	7(7.5)	40(100)	9.31*	24(60) 4(10)	
4. चर्चा के दौरान अध्यापक का व्यवहार प्रेरणादारी था।	24(60)	12(30)	4(17.5)	40(100)	15.62*	26(65) 3(7.5)	
5. प्रश्नोत्तर गतिविधि को अध्यापक द्वारा रोचक हो गा से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	30(75)	8(20)	2(10)	40(100)	33.46*	25(62.5) 3(7.5)	
6. प्रत्येक पाठ के पश्चात् समूह चर्चा आवश्यक है	32(80)	6(15)	2(5)	40(100)	40.85*	23(57.5) 8(20)	
7. दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ एवं चर्चा पाठक्रम को पूरा करने हेतु आवश्यक है	24(60)	9(22.5)	7(17.5)	40(100)	13.31*	22(55) 7(17.5)	
8. चर्चा में अवधि पर्याप्त थी।	6(15)	24(60)	1(0/25)	40(100)	13.77*	3(7.5) 20(50)	
9. चर्चा रचितपूर्ण थी।	28(70)	9(22.5)	3(7.5)	40(100)	26.23*	24(60) 4(10)	
10. समूह में छात्रों की संख्या पर्याप्त थी।	22(55)	12(30)	6(15)	40(100)	10.08*	26(65) 2(5)	

1. अधिक सीमा तक 2. कम सीमा तक 3. बिलकुल नहीं 4. कुल 5. काई वर्ग मूल्य ..... कोट्टक में लिखी गई संख्या प्रतिशत में है।

\*0.01 के स्तर पर सार्वक \*\*0.05 के स्तर पर सार्वक

व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के बाद चर्चा को अधिक सीमा तक उपयुक्त समझते हैं क्योंकि वीडियो पाठ द्वारा अस्पष्ट जानकारी भी चर्चा द्वारा स्पष्ट हो जाती है अर्थात् विषय-वस्तु समझ में आ जाती है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के बाद चर्चा कठिन बिन्दुओं पर स्वयं चिन्तन विकास हेतु मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 65% छात्रों के अनुसार अधिक सीमा तक उपयोगी थी क्योंकि चर्चा में छात्रों की स्वयं चिन्तन करने की योग्यता का विकास होता है। ये विषय-वस्तु पर चिंतन कर अपना उत्तर प्रस्तुत करते हैं।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 70% विद्यार्थियों के अनुसार विषय से संबंधित जानकारी बढ़ाने हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थी क्योंकि मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ से कठिन विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है तथा चर्चा में अलग-अलग छात्रों के द्वारा विचार प्रस्तुत होने पर विषय-वस्तु से संबंधित जानकारी बढ़ती है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 77.5% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थियों के अनुसार कार्य एवं दिशा निर्देश हेतु यह अधिक सीमा तक उपयोगी थी क्योंकि विद्यार्थी सम्पर्क कक्षाओं में उपस्थित होते हैं तब उन्हें प्रयोगात्मक कार्य हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा छात्रों में तर्क शक्ति के विकास हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थी। इस कथन पर मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 72.5% विद्यार्थी अधिक सीमा तक अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं अर्थात् चर्चा में छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं तब वह चिंतन करता है। स्वयं के विचार रखने से पूर्व वह अपने पक्ष में उदाहरण सोचता है अर्थात् शक्ति के विकास हेतु चर्चा उपयोगी है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 60% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 57.5% विद्यार्थियों के अनुसार चर्चा समूह में एक-दूसरे की प्रशंसा हेतु उपयोगी हैं क्योंकि सही उत्तर पर उसे प्रोत्साहन छात्रों एवं अध्ययन द्वारा प्राप्त होता है। वह अभिप्रेरणा पाकर अपना विकास करता है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात पूछे गये प्रश्न अलग-अलग थे। इस कथन पर मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के लिए 50% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 67.5% विद्यार्थी अधिक सीमा तक अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि चर्चा में विभिन्न योग्यता आयु एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के छात्र होते हैं इसलिए अलग-अलग प्रश्नों से सभी छात्रों का विकास होता है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 55% छात्रों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% छात्रों के अनुसार चर्चा के दौरान सहपाठियों द्वारा पूरे किये गये प्रश्न अध्ययन हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थे क्योंकि चर्चा से पूर्व छात्रों ने उसे पढ़ रखा था।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 55% छात्रों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% छात्रों के अनुसार चर्चा के दौरान सहपाठियों द्वारा पूरे किये गये प्रश्न अध्ययन हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थे क्योंकि चर्चा से पूर्व छात्रों ने उसे पढ़ रखा था।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 75% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 62.5% विद्यार्थियों के अनुसार प्रश्नोत्तर गतिविधि को अध्यापक द्वारा रोचक ढंग से अधिक सीमा तक प्रस्तुत किया गया था।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 80% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 57.5% विद्यार्थियों के अनुसार प्रत्येक पाठ के पश्चात समूह चर्चा अधिक सीमा तक आवश्यक थी क्योंकि चर्चा से कठिन विषय वस्तु समझ में आती है।

दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ एवं चर्चा पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु आवश्यक है, इस कथन पर मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह

के 60% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 55% विद्यार्थी अधिक सीमा तक अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि मुद्रित पाठ की कठिनाई वीडियो पाठ द्वारा स्पष्ट हो जाती है तथा वीडियो पाठ की कठिनाई चर्चा द्वारा स्पष्ट हो जाती है।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा में समय अवधि पर्याप्त थी, इस कथन पर मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थी एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 50% छात्रों ने कम सीमा तक, पर अनुक्रिया व्यक्त की। प्रयोग के दौरान प्रत्येक वीडियो पाठ के पश्चात 30 मिनट की चर्चा रखी गयी जो विद्यार्थियों के अनुसार कम उपयुक्त थी।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 70% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% विद्यार्थियों के अनुसार अधिक सीमा तक चर्चा रुचि पूर्ण थी क्योंकि अध्यापक का व्यवहार प्रेरणादायी था तथा छात्रों को नई जानकारी प्राप्त हो रही थी।

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन समूह के लिए 55% विद्यार्थियों एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 65% विद्यार्थियों के अनुसार चर्चा में छात्रों की संख्या अधिक सीमा तक पर्याप्त थी क्योंकि प्रस्तुत प्रयोग के दौरान चर्चा समूह में 25% विद्यार्थी थे। इससे अधिक छात्र संख्या होने पर छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई होती है।

### तालिका-3 का परिणाम

मुद्रित पाठ एवं वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा समूह छात्रों के लिए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उपयोगी थे क्योंकि समूह में अलग-अलग योग्यता के छात्र थे जो आपस में चर्चा करते हैं। इससे उनमें स्वयं चिन्तन की क्षमता एवं तर्क शक्ति का विकास होता है जो पाठ को विस्तारपूर्वक समझने में सहायता करता है एवं प्रयोगात्मक कार्य हेतु दिशा निर्देश भी चर्चा के दौरान ही दिये जाते हैं। साथ ही एक ही वर्ग एवं आयु के छात्र होते हैं इसलिए सही उत्तर पर एक दूसरे की प्रशंसा कर अभिप्रेरित करते हैं। चर्चा के दौरान प्रश्न अलग-अलग प्रकरण से संबंधित थे इसलिए अध्ययन हेतु उपयोगी थे। चर्चा की सफलता अध्यापक के प्रेरणादायी व्यवहार एवं प्रश्नोत्तर गतिविधि के रोचक प्रस्तुतीकरण पर निर्भन करती है। दूरस्थ शिक्षा में अधिकांश विद्यार्थी मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के बाद चर्चा उपागम को चाहते हैं क्योंकि वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा

**तालिका-4**  
**मुद्रित पाठ अध्ययन से संबंधित कथनों पर समूहों के कथनानुसार आवृति, आवृति प्रतिशत एवं  
काई वर्ग मूल्य दर्शाने वाली तालिका**

कथन	मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ एवं चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला समूह				
	1	2	3	4	5
1. गणित विषय के सभी अध्यायों के अध्ययन हेतु गणित प्रयोगशाला को आप किस सीमा तक सरल पाते हैं	32(80)	4(10)	4(10)	40(100)	40.23*
2. मुद्रित पाठ्य सामग्री वीडियो पाठ एवं चर्चा के साथ गणित प्रयोगशाला की किस सीमा तक अनुकूलता थी	29(72.5)	6(15)	5(12.5)	40(100)	28.38*
3. विषय के सभी अध्यायों का अध्ययन गणित प्रयोगशाला द्वारा संभव था।	26(65)	8(20)	6(15)	40(100)	18.69*
4. गणित प्रयोगशाला के बिना गणित शिक्षण अधूरा था।	30(75)	6(15)	4(10)	40(100)	32.23*
5. गणित प्रयोगशाला विषय वरस्तु को समझने के लिए उपयुक्त थी।	24(60)	12(30)	4(10)	40(100)	15.62*
6. गणित प्रयोगशाला को आप किस सीमा तक रुचि के अनुरूप पाते हैं	36(90)	2(5)	2(5)	40(100)	51.62*
7. गणित प्रयोगशाला में प्रश्न को हल करने के सोपन उपयुक्त थे	26(65)	12(30)	2(5)	40(100)	22.38*
8. तर्क शिक्षित के विकास हेतु गणित प्रयोगशाला किस सीमा तक उपयोगी थी।	32(80)	6(15)	2(5)	40(100)	40.85*
9. अधिगम को दृष्टि से गणित प्रयोगशाला में प्रयुक्त सामग्री किस सीमा तक खर्चाली थी	6(15)	6(15)	28(70)	40(100)	24.85*
10. अधिगम की दृष्टि से गणित प्रयोगशाला किस सीमा तक उपयुक्त है।	29(72.5)	7(17.5)	4(10)	40(100)	28.69*

1. अधिक सीमा तक 2. कम सीमा तक 3. बिल्लुल नहीं 4. कुल 5. काई वर्ग मूल्य ..... कोछक में लिखी गई संख्या प्रतिशत में है।  
\*0.01 के त्वर पर सार्थक \*\*0.05 के त्वर पर सार्थक

द्वारा विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। चर्चा में अवधि की कम सीमा पर विद्यार्थी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि चर्चा में 25-30 मिनट का समय दिया गया था एवं चर्चा प्रकरण से संबंधित होने के कारण रुचिपूर्ण थी।

#### **तालिका-4 की विवेचना**

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ एवं चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थी गणित विषय के सभी अध्यायों के अध्ययन हेतु अधिक सीमा तक सरल पाते हैं क्योंकि विषय की गहराई तक समझने के लिए गणित प्रयोगशाला अत्यन्त प्रभावशाली उपागम है।

मुद्रित पाठ समूह, वीडियो पाठ एवं चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 75.5% विद्यार्थी अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा विषय वस्तु अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 65% छात्र विषय के अध्यायों तथा प्रकरणों को समझने के लिए अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि कठिन से कठिन प्रकरण को भी गणित प्रयोगशाला द्वारा सरलता से समझना संभव है।

गणित प्रयोगशाला के बिना गणित शिक्षण अधूरा था, इस कथन पर मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 75% छात्रों ने अपनी अनुक्रिया अधिक सीमा तक व्यक्त की है क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा विषय को सरलता से समझा जा सकता है।

गणित प्रयोगशाला विषय वस्तु को समझाने के लिए उपयुक्त थी। इस कथन पर 60% छात्रों ने अपनी-अपनी अनुक्रिया अधिक सीमा तक व्यक्त की है क्योंकि करके सीखने में विषय वस्तु सरल एवं रोचक हो जाती है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% छात्र रुचि के अनुरूप पाते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा गणित जैसे कठिन विषय को रोचक एवं सरल तरीके से छात्रों को समझाया जा सकता है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला के सोपानों को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 60% छात्र अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि सोपानयुक्त हल ही छात्रों की समझ में अच्छी प्रकार से आता है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 80% विद्यार्थी तर्क शक्ति के विकास हेतु अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि करके सीखने में छात्र स्वयं क्रियाशील रहता है तथा उसमें उसे प्रत्येक क्यों का उत्तर देना पड़ता है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला में प्रयुक्त सामग्री को मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 70% छात्र बिल्कुल खर्चीली नहीं मानते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला के अन्तर्गत अपनी आस-पास की वस्तुओं का प्रयोग होता है क्योंकि गणित प्रयोगशाला सदुपयोगिता पर आधारित होती है।

मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला को अधिगम की दृष्टि से मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन समूह के 72.5% छात्र अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा अध्ययन लम्बे समय तक याद रहता है एवं करके सीखे गये ज्ञान को छात्र कभी नहीं भूलता।

#### तालिका-4 का परिणाम

मुद्रित पाठ वीडियो पाठ एवं चर्चा के पश्चात गणित प्रयोगशाला विषय के कठिन एवं सभी प्रकरणों के अध्ययन हेतु अधिक सीमा तक उपयोगी थी। गणित प्रयोगशाला द्वारा प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन संभव था तथा गणित प्रयोगशाला विषय-वस्तु को समझने के लिए उपयुक्त थी क्योंकि गणित प्रयोगशाला द्वारा गणित विषय के प्रकरणों को रोचक एवं सरल तरीके से समझाया जा सकता है। रूचि के अनुरूप होने में एवं सोपानयुक्तता के कारण छात्रों का अधिगम लम्बे समय तक याद रखने वाला होता है। क्रियाशीलता छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। बिल्कुल खर्चीली नहीं है अपितु आस-पास की अनुपयोगी वस्तुओं का सदुपयोग गणित प्रयोगशाला द्वारा संभव है।

#### निष्कर्ष

चारों उपागमों में सम्मिलित विद्यार्थियों द्वारा चारों उपागमों के अधिकांश कथनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ लेकिन प्रत्येक उपागम जैसे मुद्रित पाठ अध्ययन

समूह, मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ समूह, मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा समूह एवं मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला समूह में कुछ कथनों पर कुछ कमी महसूस हुई है जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि चारों समूह के अधिकांश विद्यार्थी मुद्रित सामग्री को अधिक सीमा तक उपयुक्त पाते हैं क्योंकि मुद्रित सामग्री में विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा वह जब चाहे अध्ययन कर सकता है। साथ ही कुछ विद्यार्थी मुद्रित सामग्री को पूर्ण नहीं मानते हैं। वे इसके साथ वीडियो पाठ, चर्चा तथा प्रयोगशाला की आवश्यकता भी प्रदर्शित करते हैं। वीडियो पाठ की योजना को अधिकांश छात्रों ने सराहा है क्योंकि वीडियो पाठ से विषय वस्तु या प्रत्ययों की समझ आसानी से हो जाती है लेकिन छात्र वीडियो पाठ के साथ मुद्रित पाठ की महत्ता को स्वीकार करते हैं साथ ही वे चर्चा व प्रयोगशाला की भी आवश्यकता महसूस करते हैं। मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अधिकांश छात्रों के लिए आनंददायी व उपयोगी साबित हुई। छात्रों की लगभग समान आयु हाने के कारण वे चर्चा द्वारा विभिन्न कौशलों का विकास तथा प्रत्ययों की गहन जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे उनकी चिन्तनशीलता व तर्क शक्ति का भी विकास होता है। चर्चा को अधिकांश छात्रों ने रुचिकर माना तथा इसके साथ ही मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ को महत्वपूर्ण बताया। तीनों उपागमों के उपरान्त प्रयोगशाला विधि के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण व कठिन प्रत्ययों को समझने की उपयोगिता को स्वीकार किया। प्रस्तुत अध्ययन में चारों समूहों में सम्मिलित विद्यार्थियों द्वारा चारों उपागमों के अधिकांश कथनों पर छात्रों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप में मिली। इन उपागमों में मुद्रित पाठ अध्ययन समूह के साथ वीडियो पाठ तथा इसके पश्चात् चर्चा समूह में कुछ कथनों में नकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई। मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ तथा चर्चा के बाद प्रयोगशाला समूह द्वारा प्रतिक्रिया अधिक सीमा तक सकारात्मक है।

प्रस्तुत अध्ययन नन्दनगरी बी-ब्लॉक के अध्ययन केन्द्र के छात्रों पर किया गया है। इस प्रयोगात्मक अध्ययन में चारों समूहों को अग्रलिखित उपचार दिया गया। प्रथम समूह को मुद्रित पाठ अध्ययन, द्वितीय समूह को मुद्रित पाठ के साथ वीडियो पाठ अध्ययन, तृतीय समूह को मुद्रित पाठ व वीडियो पाठ के पश्चात चर्चा अध्ययन तथा चतुर्थ समूह हो मुद्रित पाठ, वीडियो पाठ व चर्चा के बाद गणित प्रयोगशाला अध्ययन कराया गया। इसके पश्चात प्रत्येक उपागम से संबंधित कथनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।

### संदर्भ

- बुच, एम.बी. (1978-83): थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, सोसाइटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डिवलपमेंट, बड़ौदा।
- बुच, एम.बी. (1983-88): फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, वॉल्यूम-2, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- कपिल, एच.के. (1988): सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- साहू, एन. (1991): ए स्टडी ऑफ यू.जी.सी. कंट्रीवाइड क्लासरूम (ई.टी.वी.), प्रोग्राम इन टर्म आफ देयर कन्टेन्ट प्रजेन्टेशन एंड इफेक्टिवनेस : विद एंड विदआउट यक बैक अनपब्लिशेड डिजरटेशन एम.एड. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- मोहन्ती, जे. (1992): एजुकेशनल टेक्नालॉजी, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- चौधरी, एस.एस. (1992): टेलिविजन इन डिस्टेन्स एजुकेशन द इंडियन सीन जनरल ऑफ लर्निंग वॉल्यू-1।
- अग्रवाल, जे.सी. (1995): असेन्सियल ऑफ एजुकेशन टेक्नालॉजी, टीचिंग लर्निंग, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., नई दिल्ली
- मलिक, प्रभाकर (1995): इवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल टेलिविजन प्रोग्राम फार उडिया मिडियम प्राइमरी स्कूल चिल्डन इन टर्म आफ प्रजेन्टेशन एचिवमेंट विद एंड विदआउट यक बैक स्कूल एचिवमेंट एंड एटीट्यूड टूवार्डस एजुकेशनल टेलिविजन, अनपब्लिश पी.एच.डी. थीसिस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- साहू, पठिहारी एवं मुछाल (1996): इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल ओपन स्कूल वीडियो इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल प्रजेन्टेड विद एंड विदआउट यक बैक मोड एट सेकण्डरी स्टेज, क्वार्टली जनरल एजुकेशनल हेरल्ड, शाह गोवर्धन लाल काबरा, टीचर्स कालिज, जोधपुर
- सिंह, मंजूषा (1996): औपचारिक एवं दूरस्ति माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी आदतों एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, एम.एड. शोध प्रबंध, दयाल शिक्षण संस्थान आगरा
- शर्मा, संतोष: अध्यापक शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 20, अंक-1, जुलाई 2001।
- साहू, व मुछाल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अधिगमकों की उपलब्धि पर अध्ययन संबंधी आदतों का प्रभाव, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाई 2003।
- खान (2005): सेवाकालीन अध्यापकों पर दूरस्थ माध्यम से प्राप्त शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 23, अंक-3, जनवरी 2005।

## छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि और उनका समग्र व्यक्तित्व

राजेश कुमार चतुर्वेदी\* और सीमा सिंह\*\*

प्राचीन भारतीय वांगमय में गुरु की महिमा का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति के जीवन पर भी गुरु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में गुरु की भूमिका का निर्वहन अध्यपकों द्वारा किया जा रहा है। वह कक्षा में नेतृत्वकर्ता के रूप में होने के साथ-साथ, छात्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। एक अच्छा गुरु वही होता है जो, अपने छात्रों में पुनर्जन्म लेता है। वह छात्रों के लिए ब्रह्माण्ड का निर्माता होता है। अच्छी आदतों का निर्माता व परिपोषक होने के साथ-साथ, बुरी आदतों का ध्वंसकर्ता होता है। इस प्रकार वह छात्रों के लिए ब्रह्म, विष्णु, व शिव तीनों की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इसी कारण कहा गया है कि-

गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः।  
गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥

गुरु की भूमिका पर बल देते हुए कहा गया है कि-

अखण्ड मण्डलाकारं, व्याप्तम् येन चराचरम्।  
तत्पदम् दर्शितम् येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥

इसी प्रकार प्रसिद्ध भक्ति सन्त कबीर ने कहा है कि-

बलिहारी गुरु आपणै, द्यौहाड़ी कै बार।  
जिन मानस तै देवता, करत न लागी बार॥

अर्थात् हे गुरु आपकी बार-बार बलिहारी है, जिन्होने क्षण मात्र में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया।

\* शोध छात्र, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र.

\*\* उपाचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र.

चूंकि आज गुरु द्वारा एक शिष्य को अच्छा नागरिक बनाने की बात की जाती है, इस हेतु-एक अच्छे अध्यापक को 'स्व प्रत्यय' का अच्छा ज्ञान होने के साथ-साथ अच्छी संवेगात्मक बुद्धि भी होनी चाहिए तभी वह अपने विद्यार्थियों को ठीक ढंग से समझ सकेगा और उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'स्व-प्रत्यय' और संवेगात्मक बुद्धि किसी अच्छे अध्यापक की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं।

बालक से वयस्क तक की यात्रा में तरूणाई के कठिन वर्षों का भी समावेश होता है। झंझावत के इन दिनों में जीवन के कुछ कठोर सत्यों जैसे, निराशा, असफलता, हताशा, सफलता आदि से साक्षी होने का व्यक्ति पर कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है। वह इन तथ्यों से जिस प्रकार दो-चार होता है, उसी से उसके 'स्व-प्रत्यय' का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के कार्य करने का ढंग उसके स्व प्रत्यय से प्रभावित होता है और खुद के बारे में उसका दृष्टिकोण उसके कार्य करने के ढंग से प्रभावित होता है। इस प्रकार 'स्व प्रत्यय' के दो अर्थ उभरकर सामने आते हैं- 1. स्व एक वस्तु या संप्रत्यय या अभिकर्ता के रूप में। 2. स्व एक व्यक्ति के रूप में जैसा कि उसे खुद को ज्ञात है। पाश्चात्य साहित्य में एक संप्रत्यय के रूप में स्व को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम रेने देकार्त ने कहा 'Cogito, Ergo Sum' मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। एक मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय के रूप में 'स्व प्रत्यय' के उद्य में 'जेम्स (1890), कूली (1902) इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्विया और हरडाईक (1953) ने 'स्व-प्रत्यय' को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्व प्रत्यय खुद के बारे में किसी के द्वारा महसूस किए जाने का तरीका है। यह वह परिघटना (Phenomenon) है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है तथा उसके व्यक्तित्व और निर्णयों को दिशा प्रदान करती है। जबकि एरिक्सन (1968) के अनुसार स्व-प्रत्यय वह मूल मनो-सामाजिक फलन है जो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को समाकलित व संश्लेषित करती है। शरावत (1981) के अनुसार स्व-प्रत्यय संगठित बहुपक्षीय, पदानुक्रमित, स्थायी, विकासमान, बहुपक्षीय, पदानुक्रमित, स्थायी, विकासमान, विभेदनीय व मूल्यांकनीय होता है। व्यक्ति का स्वप्रत्यय उसके कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है और उसके कार्य करने का तरीका उसके खुद के बारे में दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। लेविन (1951) के अनुसार 'स्व-प्रत्यय' व्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करता है। आलपोर्ट (1961) कहते हैं कि "यह हमारे होने में किसी प्रकार का मूल (Core) है।"

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि ‘स्व-प्रत्यय’ की परिकल्पनात्मक अवधारणा के रूप में निम्न तीन प्रमुख विमायें हैं- “स्व, जैसा कि वह खुद के द्वारा देखा जाता है” इस प्रकार के विश्वासों और भावनाओं का व्यक्ति के कार्यों और कार्य करने के तरीकों पर गहरा असर पड़ता है। स्कूल में कमज़ोर (कमलब्धि प्राप्त करने वाले) बच्चे या वो व्यक्ति जो जीवन में गलत व्यवसायिक निर्णय लेते हैं, वे स्व के बारे में अपर्याप्त दृष्टिकोण रखते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं तथा व्यवहार करते हैं।

दूसरी विमा है- “स्व जैसा कि दूसरे देखते हैं या ऐसा मैं सोचता हूँ, कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं” यह ध्यातव्य है कि स्व की खुद स्वयं के बारे में अवधारणा इस तथ्य से गहराई से जुड़ी हुई है कि व्यक्ति उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तियों के प्रत्यक्षण को किस सटीकता तक पहचान लेता है।

स्व की तीसरी विमा है ‘आदर्श स्व या वह आदर्श व्यक्तित्व जो वह व्यक्ति बनना चाहता है। ‘आदर्श स्व’, जीवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अप्राप्त लक्ष्य व्यक्ति के अन्दर निराशा और भग्नाशा पैदा करते हैं और इस प्रकार अस्वास्थ्यकर स्व प्रत्यय का विकास करते हैं। इस प्रकार स्व-प्रत्यय स्व के बारे में ज्ञानात्मक या चिंतन पक्ष है।

इस विश्लेषण के आलोक में यह कहा जा सकता है कि स्व का विकास बालक के वातावरण और व्यक्तियों के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। ‘स्व बालक को कार्य करने समायोजित होने, और किसी विशेष उद्दीपन की प्रतिक्रिया से परे जाकर भी क्रिया करने हेतु बाध्य करते हैं। स्व बालक को निर्णय लेने और उसकी प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत पुट प्रदान करने हेतु बाध्य करता है। इस प्रकार का ‘स्व’ वास्तविकता में सामाजिक उत्पाद है जो कि व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदारों, मित्रों और समुदाय के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया के अनुभवों से सृजित होता है। स्व-प्रत्यय एक विकासमान प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से प्रारम्भ होकर जीवन पर्यन्त चलती रहती है। बालक अपने अनुभवों को खुद के संदर्भ में परिभाषित करता है तथा यहीं ‘स्व-प्रत्यय’ की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

स्व-व्यक्ति का आन्तरिक विश्व है जो उसके विचारों, भावनाओं, खुद के (भौतिक स्व) शरीर के बारे में उसकी अवधारणाओं, उसके व्यवहार आदि वह सबकुछ जिसे वह

अपना कह सकता है से निर्मित होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने 'स्व' को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह '‘व्यक्ति को ज्ञात व्यक्ति’' है। व्यक्ति के कार्य व उसकी उपलब्धियाँ एक सीमा तक इस तथ्य से निर्धारित होती हैं कि व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। दूसरे शब्दों में उसके अन्दर किस प्रकार का 'स्व-प्रत्यय' है।

आज से चार दशक पूर्व स्टैगरन (1948) ने कहा कि बालक के 'स्व प्रत्यय' की सफलता उसकी वास्तविक उपलब्धि आदि बड़ों/वयस्कों द्वारा उसके वर्णन, दूसरों के साथ तुलना और आन्तरिक तनावों पर निर्भर करती है। वास्तविक योग्यताओं (Real Characteristion) से तात्पर्य बालक के, शरीर सौष्ठव, तौर-तरीके उसकी बुद्धि, संवेगिकता आदि से है। बड़ों के द्वारा किये जाने वाले वर्णन की 'स्व-प्रत्यय' के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अन्दर विभिन्न भूमिकाओं और समुदाय का दृष्टिकोण समाहित करता है। वह खुद को, (मैं) दूसरों को सामान्यीकृत अवधारणात्मक दृष्टिकोण से देखना प्रारम्भ करता है, जैसा कि दूसरे उसके बारे में रखते हैं।

मागरिट मीड (1995) 'स्व-प्रत्यय' को सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक संरचना के संदर्भ में परिभाषित करती है। इनके अनुसार एक बालक खुद को समूह में प्रदर्शित होने वाले विचारों के संदर्भ में महसूस करता है।

एक व्यक्ति का 'स्व-प्रत्यय' उसके अनुभवों का प्रभाव है तथा उसके वर्तमान व्यवहार का कारण है। यह कारण इस संदर्भ में है कि स्व-प्रत्यय का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर, उसकी वस्तुस्थिति की अपेक्षा अधिक होता है।

इस प्रकार स्व-प्रत्यय उन जटिल, संगठित, सीखे गये विश्वासों, अभिवृत्तियों और विचारों का गत्यात्मक संगठन है जो प्रत्येक व्यक्ति खुद के बारे में सत्य समझता है।

लेकिन विश्वासों का निर्माण प्रत्यक्षीकरण और भावनाओं की समझ पर आधारित होता है। भावनाओं की समझ तादात्मीकरण और भावनाओं के प्रबन्ध पर निर्भर करती है, इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि पर विश्वासों का निर्धारण एक बड़ी सीमा तक निर्भर करता है। संवेगात्मक बुद्धि पर बल देते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि '‘प्रत्येक

सीख का भावनात्मक आधार होता है”। तभी से समस्त पाश्चात्य दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों आदि ने भावनाओं के महत्व को प्रमाणित करने या खण्डित करने का प्रयास किया है। पिछले कुछ दशकों से चलने वाले शोधों ने भावनाओं के महत्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है।

संवेगात्मक बुद्धि (सं.बु.) के सम्प्रत्यय के दार्शनिक आधार को स्पिनोजा (1677) के लेखों में देखा जा सकता है। स्पिनोजा के अनुसार ‘बुद्धि और भावना दोनों ही बोध के आधार हैं। 1920 में थार्नडाइक ने संवेगात्मक बुद्धि को मानव संबंधों में बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। पाइने (1980) ने संवेगात्मक बुद्धि को आधारभूत बुद्धि के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि तथ्य, अर्थ, सत्य, संबंध इत्यादि वे हैं जो भावनाओं की दुनिया में होते हैं। इस प्रकार भावनाएँ ही तथ्य हैं; अर्थ वह अर्थ है जो महसूस किया जा सकता है; सत्य भावनात्मक सत्य है; संबंध अन्तर्वैयक्तिक संबंध हैं; हम भावनात्मक समस्याएँ ही हल करते हैं, और जिस संदर्भ में हम महसूस करते हैं समस्याएँ उन्हीं संदर्भों में होती हैं।

1950 में अब्राहम मास्लो ने भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की विधियों के बारे में बताया। मानव क्षमताओं की वृद्धि के लिए 70 और 80 के दशक में, विशेषकर भावनाओं और बुद्धि के क्षेत्र में गंभीर शोध हुए। एक प्रमुख शोधकर्ता पीटर सेलोवी के अनुसार पिछले कुछ दशकों में बुद्धि और भावनाओं के बारे में विश्वासों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जहां पहले बुद्धि को सम्पूर्णता का आधार माना जाता था वहीं अब लोग मानने लगे हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है और लोगों ने अब भावनाओं को महत्व देना प्रारम्भ किया है।

संवेगात्मक बुद्धि (सं.बु.) शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में यह आम गय है कि पीटर सेलोवी तथा जासन जैक मेयर द्वारा 1990 में प्रकाशित ‘संवेगात्मक बुद्धि’ नामक प्रपत्र द्वारा हुई। इस प्रपत्र में सं.बु. को वैज्ञानिक रूप में परीक्षणीय बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। सं.बु. को परिभाषित करते हुए कहा गया है, कि “‘संवेगात्मक बुद्धि, भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण, विचारों को सहायता देने के लिए भावनाओं को उत्पन्न करने तथा भावनाओं तक पहुंचने, भावनाओं को समझने और विचारपूर्वक भावनाओं को नियंत्रित करने की योग्यता है; ताकि भावनात्मक और ज्ञानात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके’ दूसरे शब्दों में सं.बु. के चार भाग हैं:

1. भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण या भावनाओं को महसूस करना।
2. विचारों को सहायता प्रदान करने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना।
3. भावनाओं को समझना
4. भावनाओं का प्रबन्धन

सलोबी तथा मेयर के सहयोगी डेविड कार्ल्सो का कहना है कि “यह समझना महत्वपूर्ण है कि संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि की विरोधी नहीं है। यह (दिमाग) मस्तिष्क पर दिल की जीत है बल्कि यह दोनों का एक अद्वितीय प्रतिच्छेदन है।”

डेनियल गोलमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ को लिखने के लिए सैलोबी, मेयर, कार्ल्सो और अन्य प्रसिद्ध शोधकर्त्ताओं के शोधों का सहारा लेने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाले प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं की समीक्षा भी की। उन्होंने दो कार्यक्रमों का विशेष रूप से जिक्र किया है। वह 6-सेकेण्ड के ‘स्व-विज्ञान’ और न्यू हैवेन स्कूल के सामाजिक विकास कार्यक्रम का। 1997 में सिक्स सेकेण्ड की टीम ने सं.बु. के व्यवहारिक मूल्यों को शिक्षण के अधिगम के योग्य बनाने के लिए स्थापित परिभाषाओं से अलग एक परिभाषा को मान्यता दिया है। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य उन क्षमताओं से है, जो व्यक्ति का स्वयं के साथ व दूसरों के साथ संबंधों में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कराती है। 6-सेकेण्ड ने एक प्रतिमान का विकास भी किया है जो तीन क्षेत्रों “स्व-ज्ञान (Know yourself) Lo p;u (Choose yourself) और स्वयं को कार्य में तल्लीन कर लेना (Give yourself), में आठ विशिष्ट क्षमताओं व योग्यताओं के विकास स्तर पर बल देता है। 6-सेकेण्ड का दृष्टिकोण डेविड कार्ल्सो के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। इसके अनुसार सं.बु. का उद्देश्य बुद्धि और भावनाओं का ऐसा समन्वय जो प्रभावपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक है।

गोलमैन और सिक्स सेकेण्ड्स की टीम के एक अन्य महत्वपूर्ण शोधकर्त्ता एन्टोनियो-डमेसियो के विचारों से यह अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होती है। डेमोसियो ने ‘देकार्त की त्रुटि’ में इस तथ्य को उल्लिखित किया है तथा व्याख्या की है कि किस प्रकार ‘भावनायें’ मस्तिष्क में कार्य करती हैं और व्यक्ति की पहचान का संदर्भ और तार्किक निर्णयन की प्रक्रिया को दिशा-निर्देशित करती हैं। डेमोसियो के अनुसार चिन्तन और भावना का विभाजन ही कृत्रिम है।

जान होपकिन्स विद्यालय के प्रोफेसर और प्रसिद्ध तंत्रिका विज्ञानी कैण्डेस पर्ट जो भावनाओं के अणु (Molecules of Emotion) नामक पुस्तक के लेखक भी हैं, का मानना है कि 'चिन्तन की प्रक्रिया मस्तिष्क और शरीर दोनों में सम्पन्न होती है। प्रत्येक प्रकार की 'सूचना' जैसे विचार, अनुभूतियों, आध्यात्मिक अनुभूतियों, भावनाओं आदि का प्रसंस्करण पूरे शरीर में होता है। जबकि मस्तिष्क प्रसंस्करण का सर्वाधिक शक्ति रखता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह सम्पूर्ण तन्त्र का नेतृत्व कर रहा हो। यह मान्यता, "तार्किक मस्तिष्क, मनुष्य के सार का केन्द्र है" विचार का खण्डन करती है।

र्यूवेनबार आन की परिभाषा के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि गैर संज्ञानात्मक (Non Cognitive) योग्यताओं, क्षमताओं कौशल का एक समूह है जो व्यक्ति की पर्यावरणीय तनावों, दबावों व आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। डा. बार आन के अनुसार उनका कार्य, सैलोवी और मेयर के कार्य के समान भी है तथा उनसे अलग भी है। दोनों ही एक संज्ञानात्मक स्कीमाट्य के सम्प्रत्यय को मानते हैं तथा भौतिक दृष्टि से (प्रयोगात्मक दृष्टि से) यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि यह सम्प्रत्यय व्यक्तित्व की अवधारणा से अलग है। संज्ञानात्मक स्कीमाट्य के सम्प्रत्यय को मेयर और सैलोवी मुख्य रूप से भावनात्मक योग्यताओं और व्यवहार की क्षमताओं (संवेगात्मक बुद्धि) से जोड़ते हैं जबकि डा. बार-आन संज्ञानात्मक स्कीमाट्य के सम्प्रत्यय को भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार से जोड़ते हैं।

एक अन्य परिभाषा में मेयर और कोब (2000) ने संवेगात्मक बुद्धि को संवेगात्मक सूचनाओं को प्रसंस्कृत करने की योग्यता जिसके अन्तर्गत भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण, भावनाओं का समन्वीकरण (Assimilation) भावनाओं की समझ और भावनाओं का प्रबन्धन समाहित है, के रूप में परिभाषित किया है। यहां भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य उन योग्यताओं से है जो भावनाओं को चेहरों, कहानियों, ध्वनियों और संगीत में पहचान करने में सहायता देती है या पहचानती है। भावनाओं के सम्मिलनीकरण (Assimilation) से तात्पर्य भावनाओं का अन्य दूसरी मानसिक अनुभूतियों जैसे रुचि, रंग, स्वाद आदि के साथ संबंध स्थापित करने तथा भावनाओं को तर्क और समस्या हल करने के संदर्भ में प्रयोग करने की योग्यता से है। भावनाओं की समझ का अर्थ भावनात्मक समस्याओं को हल करने की योग्यता जैसे यह जानना कि कौन सी भावनाएं

समान हैं और कौन सी विरोधी है तथा इनका आपस में क्या संबंध है और ये किन परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही हैं आदि तथा भावनात्मक प्रबंधन का अर्थ, सामाजिक कार्यों का भावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा भावनाओं को स्वयं तथा दूसरों के अन्दर प्रबन्धन की योग्यता से है।

स्टीव हाईन (2005) के अनुसार भावनात्मक बुद्धि, भावनाओं को महसूस करने, उनका प्रयोग करने, भावनाओं का संचार करने, भावनाओं को पहचानने, भावनाओं को याद रखने, भावनाओं से सीखने, भावनाओं को समझने तथा उनका प्रबन्धन करने की आन्तरिक और जन्मजात क्षमता (Inntate Protential) से है। अपनी परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझाते हुए स्टीव हाईन कहते हैं कि भावनाओं को महसूस करना बच्चों द्वारा अपनी जीवन रक्षा के लिए उठाये गये कदमों में पहला चरण है। अगर वह भयभीत नहीं महसूस करेगा तो वह अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठायेगा। भावनाओं का प्रयोग दूसरा चरण है। भयभीत बालक अपने भय का प्रयोग आवश्यक कार्य करने के लिए करता है। भावनाओं का संचार या सम्प्रेषण; एक भयभीत बालक चिल्लाने या रोने के रूप में करता है। एक तीव्र संवेगात्मक बुद्धि वाला बालक अपने भय का संचार अधिक कुशलतापूर्वक कर सकेगा। इस प्रकार उसके बचने के अवसर अधिक हो जाते हैं। भावनाओं की पहचान—एक तीव्र संवेगात्मक बुद्धि वाला बालक अपने माता पिता की भावनाओं को पहचानना अपेक्षाकृत शीघ्रता से सीख जाता है। भावनाओं की स्मृति; एक तीव्र संवेगात्मक बुद्धि का बालक, इस बात का पूर्ण विवरण याद रखता है कि जब उसके माता-पिता नाराज होते हैं तो वे किस प्रकार दिखते हैं, उनकी आवाज कैसी हो जाती है और उनके अंगों का संचालन किस प्रकार हो जाता है। भावनाओं से सीखना—एक तीव्र संवेगात्मक बुद्धि का बालक इस तथ्य को शीघ्र पहचान लेता है कि उसके कब और क्या करने पर उसके मां-बाप, नाराज होते हैं। भावनाओं का प्रबंधन—एक तीव्र संवेगात्मक बुद्धि का बालक अपनी भावनाओं का प्रबंधन शीघ्रता से सीखता है उदाहरणार्थ वह शीघ्र इस तथ्य को पहचान जाता है कि कब उसका रोना उसके माता-पिता को नाराज करता है वह उस परिस्थिति में भी नहीं रोता है, जबकि रोना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, भावनाओं और उसके अन्तर्संबंधों की समझ जीवन के बाद के चरणों में आती है।

इन समस्त परिभाषाओं के विश्लेषण से एक तथ्य उभरकर आता है कि जहां कुछ शोधकर्ताओं ने संवेगात्मक बुद्धि को कौशलों के रूप में परिभाषित किया है वहीं कुछ

ने इसको प्रभावों के रूप में। लेकिन इन दोनों ही सम्मिलित प्रयासों से संवेगात्मक बुद्धि के सम्प्रत्यय को समझने और स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है।

### अध्ययन की आवश्यकता

जैसा कि स्पष्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि के चार प्रमुख आयाम हैं-

- (i) संवेगात्मक प्रत्यक्षण- इसके अन्तर्गत व्यक्ति दूसरे के चेहरे, शारीरिक हावभाव में भावनाओं की पहचान करता है तथा इसी पहचान के आधार पर उसके मन में खुद की एक छवि बनती है, जो कि स्व-प्रत्यय की एक विमा है।
- (ii) तादात्मीकरण- स्वभाविक रूप से अच्छे स्व प्रत्यय के लिए आवश्यक है। तादात्मीकरण के अभाव में व्यक्ति दूसरे की परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में असफल रहेगा और समाजिक रूप से असहज महसूस करेगा।
- (iii) भावनाओं की समझ, उनके आपसी संबंधों तथा किन प्रतीकों और अर्थों को वे संप्रेषित करती हैं, इसका ज्ञान व्यक्ति के अच्छे स्व प्रत्यय के लिए आवश्यक है।
- (iv) भावनाओं का प्रबंधन भावनाओं के स्वतः के अन्दर तथा दूसरों के अन्दर अपने सामाजिक कार्यों के प्रभावों को समझने हेतु आवश्यक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि और स्व-प्रत्यय एक दूसरे से जुड़े हए हैं।

फेंक (1962) ने स्व प्रत्यय और शैक्षिक उपलब्धि में एक धनात्मक संबंध पाया। स्टेड (1925) ओट्स (1929), लेकी (1945), ब्रुकोवर (1957), लिन्डग्रेन और ग्नीड्स (1963), ब्रुकोवर व अन्य (1964) ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्तित्व के शीलगुण के रूप में स्व-प्रत्यय का शैक्षिक उपलब्धि से सीधा संबंध है। सुजाता साहा (2000) ने स्व प्रत्यय का अध्ययन नियंत्रण के केन्द्र और शैक्षिक उपलब्धि के साथ किया तथा पाया कि शैक्षिक उपलब्धि का स्व-प्रत्यय के साथ उच्च सह संबंध है।

इसी प्रकार संवेगात्मक बुद्धि का बटिन डेलमैन एवं कैटल (1972) ने व्यक्तित्व के कारकों और बुद्धि के साथ अध्ययन किया है। टी.एम. जार्ज (2000) ने संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन नेतृत्व के साथ किया है। मेयर, सैलोबी व कार्लसो (2000) ने

संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन व्यक्तित्व व मानसिक गुण के साथ किया है। ज्योति वशिष्ठ (2004) ने संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन, छात्राध्यापकों के कक्षा व्यवहार तथा व्यक्तित्व के शील-गुण के साथ किया है।

लेकिन हमने कोई ऐसा अध्ययन नहीं पाया जिसमें किसी व्यक्ति के स्व-प्रत्यय तथा संवेगात्मक बुद्धि में संबंध देखा गया है। यह अध्ययन छात्राध्यापकों पर किया गया है, जो कि भविष्य के अध्यापक हैं और जो ऊर्जावान, उत्साही तथा परिवर्तनों के प्रति सुग्राह्य होते हैं। विद्यालय परिसर में जब वे प्रवेश करेंगे तो लगभग 8-10 घंटे छात्रों के साथ व्यतीत करेंगे। इनकी सांवेगिक बुद्धि और स्व-प्रत्यय का बच्चों के साथ होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार इस अध्ययन की आवश्यकता दोनों आधारों पर स्थापित है कि इस संबंध का अध्ययन नहीं हुआ है और इस अध्ययन से छात्राध्यापकों के स्व-प्रत्यय और संवेगात्मक बुद्धि का पता चलता है।

### **समस्या कथन**

छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि उनके आत्म प्रत्यय के संदर्भ में।

### **संक्रियात्मक परिभाषाएं :**

**संवेगात्मक बुद्धि :** संवेगात्मक बुद्धि भावना के चार पक्षों से संबंधित है। इनके नाम हैं- संवेगात्मक पहचान, प्रत्यक्ष और अभिव्यक्ति विचारों का संवेगात्मक प्रवाह, भावनात्मक समझ और भावनात्मक प्रबंधन।

**स्व-प्रत्यय :** स्व प्रत्यय का अर्थ है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रत्यक्षण भावनायें, अभिव्यक्तियां, आकांक्षाएं और व्यक्ति के मूल्य समाहित हैं।

**छात्राध्यापक :** बी.एड. के सत्र 2006-07 के सभी छात्र।

### **अध्ययन के उद्देश्य**

1. संवेगात्मक बुद्धि और स्वप्रत्यय के मध्य संबंधों का अध्ययन।
2. छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि का उनके (i) लिंग और (ii) संस्था के संदर्भ में अध्ययन।
3. छात्राध्यापकों के स्वप्रत्यय का उनके (i) लिंग (ii) संस्था के संदर्भ में अध्ययन।

**परिकल्पनाएँ :** निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया तथा इनका परीक्षण 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर किया गया :

1. छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि और स्वप्रत्यय के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।
2. पुरुष और महिला छात्राध्यापकों की सांवेगिक बुद्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. विभिन्न संस्थानों के छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि में अन्तर नहीं है।
4. पुरुष और महिला छात्राध्यापकों के स्व-प्रत्यय के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
5. विभिन्न संस्थानों के छात्राध्यापकों के स्व-प्रत्यय में सार्थक अन्तर नहीं है।

#### अध्ययन का प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

#### अध्ययन की जनसंख्या और प्रतिदर्श

वाराणसी शहर में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी.एड. कक्षा के छात्र जो सत्र 2006-07 में अध्ययनरत हैं, अध्ययन की जनसंख्या के अन्तर्गत आते हैं। अध्ययन 180 बी.एड. छात्रों - 100 का.हि.वि.वि. (बी.एच.यू.) और 80 मा.का.वि.पी. (एम.जी.के.वी.), के प्रतिदर्श पर किया गया। प्रतिदर्श चयन विधि गुच्छ/समूह/पिण्डीभूत प्रतिदर्श चयन विधि थी क्योंकि छात्रों को उनके संस्थानों द्वारा विभिन्न समूहों में विभक्त कर दिया गया था।

#### आंकड़ों को एकत्र करने हेतु निम्न प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया

1. **सांवेगिक बुद्धि परीक्षण (E.I.Test)-** डा. ज्योति वशिष्ठ (2004) द्वारा विकसित सांवेगिक बुद्धि परीक्षण प्रपत्र का प्रयोग इस अध्ययन में किया गया। इस परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0.79 पाया गया तथा आन्तरिक वैधता 0.889 पायी गयी।
2. **स्व-प्रत्यय सूची (S.C.Scale)-** डा. प्रतिभा देव (1985) द्वारा विकसित स्व प्रत्यय सूची का प्रयोग इस अध्ययन में किया गया। इस सूची की वैधता उच्च है तथा परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा इस सूची की विश्वसनीयता 0.62-0.86 के मध्य है।

### परिणाम और विश्लेषण


इस खण्ड को दो भागों में विभक्त किया गया है। खण्ड 'अ' व खण्ड 'ब'। खण्ड 'अ' के अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ों तथा रेखाचित्रों को रखा गया है और खण्ड 'ब' के अन्तर्गत परिणामों का विश्लेषण किया गया गया है :

#### खण्ड 'अ'

**आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण-** इसके अन्तर्गत आंकड़ों को तालिकाओं और रेखा चित्रों की सहायता से प्रस्तुत किया गया है :


#### स्व-प्रत्यय सूची के प्राप्तांकों का बारम्बारता बंटन-

वर्ग अन्तराल	मध्य बिन्दु	बारम्बारता					सांख्यिकीय मूल्य
		कुल सं0	पुरुष	महिला	का.हि. वि.वि.	मा.गां. का.वि.	
190.200	195	4	3	1	1	3	(सम्पूर्ण) मध्यमान = 253.5
200.210	205	9	8	1	5	4	माध्यका = 248.3
210.220	215	9	8	1	4	5	मानक विचलन = 27.3
220.230	225	10	6	4	8	2	कुकुदता = 0.252 विषमता = 0.05699
230.240	235	25	20	5	12	13	(पुरुष) मध्यमान = 228.76
240.250	245	25	20	6	12	14	मानक विचलन = 34.84
250.260	255	22	15	7	17	8	(महिला) मध्यमान = 258.40
260.270	265	20	16	4	12	8	मानक विचलन = 26.58
270.280	275	19	10	9	11	7	(का.हि.वि.वि.) मध्यमान = 250.40
280.290	285	17	12	4	9	8	मानक विचलन = 26.53
290.300	295	15	10	5	10	5	(मा.गां.का.वि.पी.) मध्यमान = 245.88
300.310	305	5	2	3	2	3	मानक विचलन = 27.74



### संवेगात्मक बुद्धि प्राप्तांकों की बारम्बारता

वर्ग अन्तराल	मध्य बिन्दु	बारम्बारता					सांख्यिकीय मूल्य (सम्पूर्ण)
		कुल सं.	पुरुष	महिला	का.हि. वि.वि.	मा.गां. का.वि.	
150.160	155	15	14	1	9	6	मध्यमान = 183.17 माध्यिका = 179.78 मानक विचलन = 14.9 कुकुदता = 0.253
160.170	165	20	18	2	10	10	विषमता = 0.069 (पुरुष)
170.180	175	38	23	15	22	16	मध्यमान = 170.08 मानक विचलन = 20.12
180.190	185	52	35	17	30	22	(महिला)
190.200	195	36	28	8	21	15	मध्यमान = 187.00 मानक विचलन = 14.25
200.210	205	8	5	3	4	4	(का.हि.वि.वि.)
210.220	215	6	4	2	1	5	मध्यमान = 163.00 मानक विचलन = 25.36
220.230	225	5	3	2	3	2	(मा.गां.का.वि.पी.) मध्यमान = 178.88 मानक विचलन = 16.28



#### प्रतिदर्शों की स्व-प्रत्यय सूची प्राप्तांकों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर

विषय	उप प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t - मान	सार्थकता विश्वसनीयता स्तर पर
संस्था	का.हि.वि.	100	250.04	26.53	1.109	सार्थक नहीं
	मा.गां.का.	80	245.88	27.74		
लिंग	पुरुष	100	228.76	34.84	6.118	सार्थक
	महिला	80	258.40	26.58		

#### संवेगात्मक बुद्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर विश्वसनीय स्तर पर सार्थकता

विषय	उप प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t - मान	विश्वसनीयता स्तर 0.05 पर सार्थकता
संस्था	का.हि.वि.	100	178.88	16.28	5.06	सार्थक
	मा.गां.का.वि.	80	163.00	25.56		
लिंग	पुरुष	100	170.08	20.12	6.317	सार्थक
	महिला	80	187.00	14.25		

परिप्रेक्ष्य

**छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि और स्व-प्रत्यय प्राप्तांकों के मध्य सह संबंध**

चर	संख्या	सह संबंध गुणांक	0.05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थकता
संवेगात्मक बुद्धि	180	'r'=k 0.157626	सार्थक नहीं
स्व-प्रत्यय	180		

**खण्ड 'ब'**

**परिणामों की व्याख्या और विश्लेशण**

**परिणाम** – इस अध्ययन में निम्न परिणाम प्राप्त हुए :

1. छात्राध्यापकों की संवेगात्मक-बुद्धि और स्व-प्रत्यय के मध्य कोई सार्थक धनात्मक सह-संबंध नहीं पाया गया।
2. महिला-छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि, पुरुष छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि से उच्च पायी गई।
3. महिला छात्राध्यापकों का स्व-प्रत्यय, पुरुष, छात्राध्यापकों के स्व-प्रत्यय से उच्च पाया गया।
4. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्राध्यापकों का स्व प्रत्यय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्राध्यापकों से उच्च पाया गया।
5. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
6. छात्राध्यापकों की संवेगात्मक बुद्धि के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

**विश्लेशण**

यह स्पष्ट है कि तीव्र सांवेगिक बुद्धि वाले छात्राध्यापकों के उच्च स्व प्रत्यय के होने की संभावना अधिक नहीं है। छात्राध्यापकों की सांवेगिक बुद्धि और स्व-प्रत्यय पर

लिंग का सार्थक प्रभाव है। छात्राध्यापकों के स्व-प्रत्यय पर संस्थानों का प्रभाव देखा गया है।

सांवेगिक बुद्धि प्राप्तांकों और स्व-प्रत्यय प्राप्तांकों के मध्य अल्प धनात्मक सह संबंधों की कोई सार्थकता नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों का उच्च स्व-प्रत्यय संभवतः वहां के लोकतांत्रिक वातावरण के कारण है। लोकतांत्रिक वातावरण के कारण उनको अपनी अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिलते हैं जिसके कारण उनका स्व-प्रत्यय प्राप्तांक उच्च है। वहीं महिलाओं के सांवेगिक बुद्धि और स्व प्रत्यय के अधिक होने का कारण उनके सपनों का पूरा होना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों और दबावों के अन्तर्गत रहना पड़ता है इसी कारण संभवतः उनकी सांवेगिक बुद्धि उच्च पायी गई।

इस प्रकार वर्तमान अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिंग और संस्थाओं का छात्राध्यापकों के स्वप्रत्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जबकि संस्था का सांवेगिक बुद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि सांवेगिक बुद्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव है।

### सीमायें

इस अध्ययन के एक विहंगावलोकन से इसकी सीमाओं का पता चलता है, जिसके कारण इसके निष्कर्षों के सामान्यीकरण की सीमायें भी स्पष्ट हैं :

- केवल वाराणसी शहर में ही यह अध्ययन किया गया।
- केवल दो विश्वविद्यालयों के छात्राध्यापकों का चयन किया गया।
- शैक्षिक सत्र 2006-07 के छात्रों का ही अध्ययन किया गया, अन्य सत्रों का नहीं।
- यद्यपि कुछ छात्रों ने आदर्शवादी उत्तरों को प्रस्तुत किया जिनको सांख्यिकीय विश्लेषण के समय बाहर किया गया, तथापि अन्य छात्रों द्वारा आदर्शवादी उत्तरों की संभावना का सांख्यिकीय उपचार नहीं किया जा सका।

### अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

अन्य अध्ययनों की तरह, शैक्षिक अध्ययन भी शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए किये जाते हैं। वर्तमान अध्ययन से निम्न निहितार्थ निकाले गये हैं :

- महिला छात्राध्यापिकाओं की उच्च संवेगात्मक बुद्धि होने के कारण उनका कक्षा व्यवस्थापन अच्छा होना चाहिए तथा छात्रों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए।
- महिला छात्राध्यापिकाओं के स्व-प्रत्यय के पुरुषों से अच्छा होने के कारण उनके अच्छे अध्यापक होने की संभावना अधिक है।
- यह अध्ययन बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश के नये मानकों के निर्धारण के साथ-साथ इस पाठ्यक्रम को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

### अध्ययन हेतु सुझाव

चूंकि छात्राध्यापकों की सांवेदिक बुद्धि और स्व प्रत्यय के मध्य अल्प धनात्मक सह संबंध पाया गया जो कि किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से सार्थक नहीं है। अतः अध्ययन को एक बड़े प्रतिदर्श पर दुहराने की आवश्यकता है।

- वर्तमान अध्ययन में केवल वाराणसी शहर के छात्राध्यापक ही लिए गये हैं। इसलिए अन्य विश्वविद्यालयों को समाहित करते हुए अन्य पाठ्यक्रमों पर दुहराने की आवश्यकता है।
- इस अध्ययन का शिक्षण- प्रभावकारिता, निवास स्थान, अध्ययन के क्षेत्र, शैक्षिक उपलब्धि और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर अध्ययन आवश्यक है।

### सन्दर्भ

गुरु गीता (2002): गीता प्रेस, गोरखपुर.

मिश्रा व अन्य (संपा.) (1989): काव्यान्जली, उ०प्र० प्रिन्टिंग प्रेस, इलाहाबाद.

शर्मा, सी.डी. (2000): पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली.

जेम्स, डब्ल्यू (1980): 'प्रिसिपल्स ऑफ साइकोलाजी', न्यूयार्क, हेनरी होल्ड.

कूती, सी० एच० (1902): हयूमन नेचर एण्ड द सोशल आर्डर, ट्रैन्सेक्सन पब्लिशर्स, लन्दन.

सर्विया एण्ड हरडाईक (1953): ए थियरी ऑफ हयूमन मोटिवेशन, साइकोलाजिकल रिव्यू, 50, 4, पृ. 370-396.

- एरिक्सन, ई (1950): चाइल्डहुड एण्ड सोसाईटी, डब्ल्यू. डब्ल्यू. नार्टन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क.
- बुच, एम.बी. (सं): सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन (तृतीय) रा.शै.अ.प.
- परमेश्वरन ई.जी. और बीना, सी० (2002): एन इन्ट्रोडक्सन टू साइकोलाजी, नील कमल पब्लिकेशन्स प्रा० लिमिटेड, हैदराबाद.
- आलपोर्ट, जी० (1961): पैटर्न एण्ड ग्रोथ इन परसनालिटी, होल्ट राइनहार्ट एण्ड विन्सटन, न्यूयार्क.
- बुच, एम०बी० (सं०): सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन (तृतीय), रा.शै.अ.प.
- परमेश्वरन, ई०जी० और बीना, सी. (2002): एन इन्ट्रोडक्सन टू साइकोलाजी, नीलकमल पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद.
- शर्मा, सी०डी० (2000): पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड, न्यू दिल्ली.
- मंगल, एस० के० (2005): एण्डवान्स एजूकेशनल साइकोलाजी, प्रेन्सिसहाल ऑफ इण्डिया प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली.
- नदा, अबी समारा (2003): इमोसनल इन्टेलिजेंस एण्ड एकेडमिक एचीवमेन्ट इन हाई स्कूल स्टूडेन्ट्स, 30.11.2006 को [www.fortunecity.com](http://www.fortunecity.com) पर अवलोकित.
- मास्लो, ए. एच. व मिकाईलमैन, बी. (1941): प्रिंसिपल्स ऑफ एबनारमल साइकोलाजी, हार्पर, न्यूयार्क.
- सलोवी, पी. व मेयर, जे. (1990): इमोशनल इन्टेलिजेन्स : इमेजिनेशन, काग्नीशन एण्ड परसनालिटी, 9(3), 185-211
- मेयर, जे.डी. सलोवी, पी., व कार्ल्सो, डी. (1998बी): द मल्टीफैक्टर इजोशनल इन्टेलिजेन्स इन आर जे. स्टर्नबर्ग (सं.), हैण्डबुक ऑफ ह्यूमन इन्टेलिजेन्स (द्वि.सं.). कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, न्यूयार्क.
- गोलमैन, डी. (1995): इमोसनल इन्टेलिजेन्स : व्हाई इट कैन मैटर मोर दैन आई. क्यू. बैटम बुक्स, न्यूयार्क.
- [www.6seconds.com](http://www.6seconds.com) 12/10/2006 को अवलोकित.
- मेयर, जे. डी., सलोवी, पी. व कार्ल्सो, डी. (1998बी): द मल्टीफैक्टर इमोसनल इन्टेलिजेन्स इन आर. जे. स्टर्नबर्ग (सम्पा.), हैण्डबुक आफ ह्यूमन इन्टेलिजेन्स (द्वि.सं.), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क.

[www.jestor.com](http://www.jestor.com)] 15/12/2006 को अवलोकित

बार आन, र्यूवेन (1996): द इमोशनल कोशेन्ट इनवेन्ट्री (ई क्यू-आई); ए टेस्ट आफ इमोशनल इन्टेलिजेन्स, मल्टी हेल्थ सिस्टम, टेरन्टो.

सलोवी, पी. व मेयर, जे. (1990): इमोशनल इन्टेलिजेन्स : इमेजिनेशन काग्नीशन एण्ड परसनालिटी, 9 (3), 185-211.

बार आन, र्यूवेन (1998): द इमोशनल एण्ड सोशल इन्टेलिजेन्स : इनसाइट फ्राम द इमोशनल कोशेन्ट इन्वेन्ट्री, सी. ए. जोसी-बास, सैन फ्रान्सिस्को.

वशिष्ठ, ज्योति (2004): इमोशनल इन्टेलिजेन्स आफ परस्पेक्टिव टीचर्स इन रिलेशन टू देअर क्लासरूम बिहैवियर, अप्रकाशित शोधग्रन्थ, का.हि.वि.वि.

[www.psych.ubc.ca](http://www.psych.ubc.ca) 18/11/2006 को अवलोकित.

बुच, एम. बी. (संपा): सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन (तृतीय), रा० शै० अनु० प०.

साहा, सुजाता (2000): ए कम्परेटिव स्टडी आफ एकेडमिक एचीवमेंट आफ डिसएबल्ड एण्ड नान डिसएबल्ड स्टूडेन्ट्स विद रिफरेन्स टू देअर सेल्फ-कान्सेप्ट एण्ड लोकस आफ कन्ट्रोल, अप्रकाशित शोधग्रन्थ, का.हि.वि.वि.

वशिष्ठ, ज्योति (2004): इमोशनल इन्टेलिजेन्स आफ परस्पेक्टिव टीचर्स इन रिलेशन टू देअर क्लास रूम बिहैविअर, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, का०हि०वि०वि०.

मेयर, जे. डी., सलोवी, पी. व कार्ल्सो, डी. (1998 बी०): दी मल्टीफैक्टर इमोशनल इन्टेलिजेन्स इन आर. जे. स्टर्नबर्ग (संपा), हैण्डबुक आफ ह्यूमन इन्टेलिजेन्स ( द्वितीय संस्करण), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क.

वशिष्ठ, ज्योति (2004); इमोशनल इन्टेलिजेन्स आफ परस्पेक्टिव टीचर्स इन रिलेशन टू देअर क्लास रूम बिहैविअर, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, का०हि०वि०वि०.



शोध टिप्पणी/संवाद

## अध्यापक शिक्षा में प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

सरिता पांडेय\*

भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेजी शासन काल से हुआ। सन् 1881-82 में दो माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएं खुलीं जिनकी संख्या 1946-47 में बढ़कर 25 हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इनकी संख्या में निमंत्र वृद्धि होती गई तथा सन् 2002 में यह संख्या 2578 हो गई। 4 दिसम्बर 2006 को एन.सी.टी.ई. की वेबसाइट के अनुसार यह संख्या 3248 थी जिसमें उ.प्र. में स्थित माध्यमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 694 थी। उ.प्र. बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008 के विवरणिका के अनुसार इनकी संख्या उ. प्र. में 701 हो गई है जिसमें अब तक और भी वृद्धि हो चुकी होगी। विवरणिका के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं इससे संबंद्ध शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या 41 है। सन् 1998 तक विश्वविद्यालय एवं इससे संबंद्ध शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की कुल संख्या 9 थी तथा सभी महाविद्यालय अनुदानित थे। तत्पश्चात् कोई भी अनुदानित शिक्षक शिक्षा संस्थाएं नहीं खुली अर्थात् जो 32 शिक्षक शिक्षा संस्थाएं खुली वे स्ववित्तपोषित हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे देश में स्ववित्तपोषित शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इन संस्थाओं में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनेक गड़बड़ियों तथा अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं। प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में होने वाले गड़बड़ियों तथा अनियमितताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

\*उपाचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

### प्रवेश प्रक्रिया:

सत्र 2006-2007 तक उ.प्र. के सभी विश्वविद्यालय अपने-अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराते थे। इसमें अनेक अनियमिताएं उत्पन्न हो गई। प्रवेश परीक्षा धन कमाने का साधन बन गया। प्रवेश परीक्षा के दलाल अध्यर्थियों से धन उगाही करके अयोग्य अध्यर्थियों का चयन करवाने लगे। अतः प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा उसमें निहित गड़बड़ियों को दूर करने हेतु उ.प्र. शासन ने राज्य स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराने का शासनादेश जारी कर दिया। परिणामस्वरूप सत्र 2007-2008 से संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही है। इससे परीक्षा में सफलता दिलाने तथा वरीयता सूची में अच्छा रैंक दिलाने हेतु दलालों की दाल गल नहीं रही है। यद्यपि जहाँ-तहाँ अब भी यह सुनने में आता है कि धांधली चल रही है परंतु यदि ऐसा होता भी होगा तो बहुत ही कम होगा। परिणाम भी सामने आया सत्र 2007-2008 में जो छात्र बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किये हैं वो अपनी योग्यता विभिन्न सत्रीय क्रियाकलापों में प्रदर्शित कर रहे हैं।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा से यह लाभ तो हुआ कि योग्य अध्यर्थी बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, परंतु दिक्कतें भी आ रही हैं। इस प्रवेश परीक्षा तथा प्रवेश प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में ही अत्याधिक समय लग रहा है। पिछला पूरा का पूरा सत्र इसी में चला गया। पिछले सत्र में प्रवेश हेतु चार बार काउंसलिंग हो चुकी है। पहली काउंसलिंग दिसंबर 2007 में दूसरी मार्च 2008 में तीसरी मई 2008 में तथा चौथी नवम्बर 2008 में। इस प्रकार अक्टूबर 2007 से नवम्बर 2008 तक अर्थात् पूरे 12 महीने काउंसलिंग में लगे। पांचवीं काउंसलिंग करवाने के लिए भी कुछ स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबंधक कोर्ट से आदेश लेकर आए परंतु वह किन्हीं कारणों से संपन्न न हो सकी। चौथी काउंसलिंग भी प्रबंधकों के दबाव के कारण ही हुई थी।

अतः अब प्रश्न यह उठता है कि जब वर्ष भर प्रवेश कार्य ही चलता रहेगा तो पढ़ाई कब होगी। सत्रीय कार्य कब सम्पन्न कराये जाएंगे तथा परीक्षा कब होगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने तो तृतीय काउंसलिंग तक के प्रवेश प्राप्त छात्रों की वार्षिक परीक्षा दिसंबर 2008 में शुरू करवा दी। इसमें भी वे अध्यर्थी शामिल नहीं हैं जिन्होंने एन.आर.आई./प्रबन्धकीय कोटा से प्रवेश लिया है। जिनकी संख्या पन्द्रह प्रतिशत है क्योंकि अभी तक यह निर्धारित ही नहीं हो पाया है कि ये 15 प्रतिशत अध्यर्थी किस

कोटे से प्रवेश प्राप्त किये हैं। एन.आर.आई. कोटे से अथवा प्रबन्धकीय कोटे से। इनका मामला कोर्ट में विचारधीन है। अतः चौथी काउंसलिंग से प्रवेश प्राप्त छात्रों तथा 15 प्रतिशत अन्य छात्रों की परीक्षा कब होगी। यह निश्चित नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रवेश अथवा परीक्षा के संबंध में कोई नियम नहीं है? प्रबंधकगण जब चाहें तब कोटे से आदेश लाकर इस प्रक्रिया को संचालित करवाते रहें? क्या एन.सी.टी.ई. का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है? इस प्रकार एक ही सत्र में, एक ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त बी.एड. शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश पाए हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग-अलग समय में हो, यह कहां तक न्यायोचित है। कई विश्वविद्यालयों में तो अभी परीक्षा की शुरूआत ही नहीं हुई है। अतः ऐसे छात्र जिनकी परीक्षा नहीं हो पा रही है क्या उनका नुकसान नहीं होगा?

सत्र 2008-2009 का भी यही हाल है, इस सत्र की प्रवेश परीक्षा उन्नीस अक्टूबर 2008 को सम्पन्न हुई। जिसका परीक्षा परिणाम अभी तक, जबकि दिसंबर बीतने जा रहा है, घोषित न हो सका। परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, प्रवेश प्रक्रिया कब सम्पन्न होगी, परीक्षा कब होगी, इसका कोई अता-पता नहीं है। लगता है इसका भी वही हम्म होगा जोकि पिछले सत्र का हुआ अर्थात् एक वर्ष का पाठ्यक्रम दो वर्ष में पूरा होगा।

### **परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया**

अब बात उठती है परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की। यू.जी.सी. नई दिल्ली द्वारा सत्र 2001 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित मॉडल पाठ्यक्रम भेजा गया। जिसमें चार सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रत्येक 100 अंक के जो कि अनिवार्य हैं, दो वैकल्पिक प्रश्न पत्र, प्रत्येक 100 अंक के, एक विशिष्ट प्रश्न 100 अंक का, 400 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु, जिसमें 300 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए तथा 100 अंक आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार पूरे पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु कुल 1100 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा पाठ्यक्रम का समय एक वर्ष निर्धारित है। हमारे देश में अधिकांश जगहों पर बी.एड. का पाठ्यक्रम एक वर्ष का ही है। अतः अब प्रश्न उठता है कि क्या बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु, एक वर्ष की समयावधि उपयुक्त है? जबकि प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने में ही एक वर्ष से अधिक का समय लग जा रहा है। ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की कक्षाएं कब चलेंगी, कक्षा

अभ्यास शिक्षण कब होगा, सामुदायिक क्रियाकलाप कब सम्पन्न होंगे। जबकि केवल कक्षा अभ्यास शिक्षण हेतु ही कम से कम एक माह का समय चाहिए। क्योंकि दो स्कूली विषयों में 20-20 पाठ योजनाओं का कक्षा में अभ्यास शिक्षण किया जाता है जिसके लिए कम से कम 20 कार्य दिवस तो चाहिए ही। सूक्ष्मशिक्षण हेतु भी कम से कम 15-20 दिन चाहिए। साथ ही वर्ष में विभिन्न त्योहारों, ग्रीष्मावकाश, शीतलावकाश आदि के कारण छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ रहती हैं। ऐसे में एक वर्ष में पूरा पाठ्यक्रम ठीक ढंग से संचालित कैसे हो सकता है? अतः ऐसी स्थिति में मूल्यांकन प्रक्रिया भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती और इसकी शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

मूल्यांकन की प्रक्रिया अन्य भी कई बातों से प्रभावित हो रही हैं शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में निरंतर वृद्धि होते रहने के कारण यू.जी.सी. के मानक के अनुसार इन महाविद्यालयों को अध्यापक ही नहीं मिल पा रहे हैं। अतः अध्यापकों के अभाव तथा प्रबंधतंत्र के भारी दबाव के चलते एन.सी.टी.ई. ने अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता में शिथिलता दे दी। परिणाम स्वरूप आज स्ववित्तपेषित शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में केवल एम.ए. शिक्षाशास्त्र और बी.एड. या केवल एम.एड. डिग्री रखने वाला व्यक्ति, बी.एड. कक्षा हेतु अध्यापक बन सकता है। इसके साथ ही शिक्षक संस्थाओं की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण कक्षा शिक्षण अभ्यास हेतु महाविद्यालयों को विद्यालय ही नहीं मिल पा रहे हैं। किसी तरह से कक्षा अभ्यास शिक्षण कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। अधिकांश स्ववित्तपेषित महाविद्यालयों में जब अध्यापक ही निम्न योग्यता वाले तथा अनुभवहीन हैं तो ऐसी स्थिति में कक्षा अभ्यास शिक्षण का पर्यवेक्षण किस प्रकार हो रहा होगा यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अधिकांश महाविद्यालयों में तो केवल खानापूर्ति ही हो रही है जबकि कक्षा अभ्यास शिक्षण, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कक्षा अभ्यास शिक्षण ठीक ढंग से सम्पन्न न होने के बावजूद भी अधिकांश छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में 75-90 प्रतिशत तक के अंक प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रायोगिक परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है।

अब बात उठती है सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन की। वर्तमान में लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि समय से परीक्षाफल घोषित हो सके। अतः अध्यापकगण

विश्वविद्यालय में ही जाकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके अपना काम समाप्त कर देना चाहते हैं। अतः कुछ को छोड़ दें तो अधिकांश अध्यापक 75-100 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक दिन में करते हैं। कोई-कोई अध्यापक तो एक ही दिन में 125 से 150 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी कर देते हैं। अतः यदि एक अध्यापक औसतन प्रतिदिन 5 घंटे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करे तो एक घंटे में वह 15 से 20 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। अर्थात् 3 या 4 मिनट में एक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। इस 3-4 मिनट में ही प्रत्येक प्रश्न के अंत में नम्बर देना तथा मुख्य पृष्ठ पर भी अंकों को लिखकर उसका योग करना होता है। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन कितनी निष्पक्षता के साथ होता होगा, इसमें भी संदेह है। कभी-कभी तो स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी शीघ्र उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अध्यापकों पर दबाव बनाया जाता है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु दबाव बनाते हैं। ताकि वे विभिन्न रिक्त पदों पर अपना आवेदन फार्म भरने हेतु अर्ह हो सकें। दोष उनका भी नहीं है। प्रवेश से लेकर परीक्षा तक समय अधिक लग जाने एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण उनका धैर्य समाप्त हो जाता है और वे परीक्षा सम्पन्न हो जाने के पश्चात् अतिशीघ्र परीक्षाफल प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अध्यापक दबाव में आकर जल्दी-जल्दी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षक शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया हो या परीक्षा की अथवा मूल्यांकन की, हर स्तर पर कुछ न कुछ कमियां तथा दिक्कतें हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बी.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा का होना स्वागत योग्य कदम है परंतु प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु समय का बंधन अवश्य किया जाए तथा उसका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। बी.एड. पाठ्यक्रम दो वर्ष का कर दिया जाए, ताकि सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के अध्यापन तथा प्रायोगिक कार्य एवं सामुदायिक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही शासन द्वारा अभ्यास शिक्षण हेतु माडल स्कूलों की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे माडल स्कूलों की स्थापना हो सके तथा प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को कक्षा अभ्यास शिक्षण हेतु विद्यालय मिल सके तथा उन्हें इस हेतु इधर-उधर, भटकना न पड़े तथा यह कार्य सुचारू ढंग से सम्पन्न हो सके।

इसके साथ ही सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा अब और अधिक नये शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को खोलने के लिए मान्यता प्रदान करने के स्थान पर, जो संस्थाएं पहले ही खुल चुकी हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए।

वर्तमान सत्र (2008-2009) से उत्तर प्रदेश शासन ने प्रबंधकीय कोटा समाप्त कर दिया है यह एक सराहनीय कदम हैं परंतु इसके साथ ही सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में एक समान शिक्षण शुल्क भी शासन द्वारा ही निर्धारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है साथ ही उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए कि अधिक शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर उनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है, ताकि छात्रों का शोषण न हो सके। इस हेतु यह भी आवश्यक है कि इन महाविद्यालयों की समय-समय पर शासन द्वारा गोपनीय विधि से जांच कराई जाए। इस हेतु यह तरीका अपनाया जा सकता है कि विभिन्न अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नावली तैयार करवाई जाए तथा इसकी पूर्ति उन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों से करवाया जाए और अनियमितता पाये जाने पर उस महाविद्यालय के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इससे इन महाविद्यालयों पर कुछ सीमा तक अंकुश लगाया जा सकेगा और ये महाविद्यालय धन कमाने का साधन मात्र न बनकर समाज को अच्छे प्रशिक्षित अध्यापक प्रदान करने में अपना योगदान दे सकेंगे।

### संदर्भ

वार्षिक पुस्तक : भारत 2003

विवरणिका : बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा उ.प्र. 2008

पाण्डेय सरिता (2007) : “अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की भूमिका” परिप्रेक्ष्य: शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ, वर्ष 14, अंक 1 अप्रैल 2007, पृष्ठ सं. 74-75

शोध टिप्पणी/संवाद

## उत्तराखण्ड में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत एड्स शिक्षा एवं जागरूकता अभियान

एन.पी. उनियाल\* और शशि किरन पांडे\*\*

### सारांश

नवसृजित पर्वतीय उत्तराखण्ड राज्य अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही धार्मिक महत्व के कारण भारत में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर भी प्रसिद्ध है। इसके पिकनिक स्पॉटें पर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, जोखिम भी भरपूर मिल रहा है। राजधानी देहरादून के निकट पहाड़ों की रानी मसूरी में सर्वाधिक 671 HIV(+) व्यक्ति हैं। साथ ही हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जनपद/शहर इसके नये केन्द्र बनते जा रहे हैं।

राज्य में अब तक एड्स रोगियों की संख्या 200 के आंकड़े पार करने वाली हैं जिसमें 32 व्यक्ति इस असाध्य रोग के कारण काल के ग्रास में समा चुके हैं। इसलिए प्रस्तुत शोध में शोधार्थियों ने उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं में एड्स रोग के विषय में जागरूकता के अध्ययन का प्रयास किया है क्योंकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी ही ऐसे घटक हैं जो सामाजिक बुराइयों के नियंत्रण एवं उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्ययन के परिणामों से अवगत होता है कि एड्स के विषय में शिक्षक-शिक्षिकायें सामान्य जानकारी तो रखते हैं परन्तु इसके संक्रमण, बचाव एवं रोगी के साथ सामाजिक भेदभाव आदि के विषय में बहुत सी भ्रांतियां भी रखते हैं।

\* अंशकालिक प्रवक्ता, शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर(गढ़वाल) उत्तराखण्ड

\*\* आचार्य एवं विभागाध्यक्षा, शिक्षा-विभाग, ग.वि.वि., बिरला परिसर श्रीनगर(गढ़वाल) उत्तराखण्ड

एड्स अर्थात् एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएन्सी सिन्ड्रोम एक ऐसा रोग है जो HIV (Human Immuno Deficiency Virus) द्वारा फैलता है, यह रोग शरीर की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। एक्वायर्ड इसलिए क्योंकि यह वायरस संक्रमण द्वारा होता है, जन्म से नहीं, इम्यूनो डेफिशिएन्सी का अर्थ है रोग से लड़ने की क्षमता में कमी तथा सिन्ड्रोम इसलिए क्योंकि यह विभिन्न लक्षणों का समूह है। इस विषाणु से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है अधिकतर यह रोग अनुचित व अमर्यादित यौन सम्बन्धों से, गर्भस्थ शिशु को संक्रमित माता से, संक्रमित रक्त या रक्त घटक चढ़ाने से अथवा संक्रमित सुई के प्रयोग से होता है, इसके प्रमुख लक्षण हैं— वजन का घटना, खांसी, बुखार, पेचिश, लिम्फनोड में सूजन आदि। लक्षण उभरने की पूर्व दशा को HIV Positive कहा जाता है। कभी कभी HIV संक्रमण के 8–10 साल बाद इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं है।

लैंगिक भेदभाव के कारण महिलायें संक्रमण के खतरों को कम करने के लिए खुद पहल करने की स्थिति में नहीं है। महिलाओं में संक्रमण होने से बच्चों पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, निरक्षरता के कारण भी महिलाओं में जानकारी का अभाव रहता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 10 में से 9 महिलायें एच.आई.वी. एड्स से परिचित नहीं हैं।

### उत्तराखण्ड में एड्स की वर्तमान स्थिति

निम्नांकित तालिकाओं के द्वारा वर्तमान समय (1 दिसम्बर 2007) तक एड्स की स्थिति का विवरण दिया जा रहा है।

#### तालिका-1

#### उत्तराखण्ड में एच.आई.वी. पाजीटिव व्यक्तियों का जनपदवार विवरण

जनपद	HIV(+) व्यक्तियों की संख्या	जनपद	HIV(+) व्यक्तियों की संख्या	जनपद	HIV(+) व्यक्तियों की संख्या
अल्मोड़ा	25	बागेश्वर	10	चमोली	20
चम्पावत	15	देहरादून	671	हरिद्वार	64
नैनीताल	185	पौड़ी	78	पिथौरागढ़	49
टिहरी	16	उधमसिंह नगर	68	उत्तरकाशी	16

स्रोत— दैनिक अमर उजाला, 1 सितम्बर 2007

तालिका-1 से स्पष्ट है कि राज्य की राजधानी देहरादून में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। इसके अतिरिक्त मैदानी जनपद नैनीताल, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में भी HIV एड्स के आंकड़े बढ़े हैं। इसी प्रकार पहाड़ों में भी पर्यटकों के बढ़ते ग्राफ के साथ ही HIV(+) व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी है। सन्तोष सिर्फ यह है कि जनपद रुद्रप्रयाग में विगत छः वर्षों से कोई भी HIV(+) का केस दर्ज नहीं हुआ है।

### तालिका-2 उत्तराखण्ड में एड्स की स्थिति

वर्ष	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (1 अक्टूबर तक)	योग
कुल केस	05	06	19	48	62	41	181
मौत हुई	02	02	02	09	05	12	32

आंकड़ों का स्रोत- दैनिक अमर उजाला, 1 सितम्बर 2007

तालिका-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष एड्स पीड़ितों की संख्या एवं इसके कारण हुई मौतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो कि इस शांतप्रिय नवोदित पर्वतीय राज्य के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार रही है इतिहास साक्षी है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के द्वारा ही सामाजिक बुराइयों एवं दैवीय तथा मानवीय आपदाओं का सामना किया जाता रहा है बल्कि इनके उन्मूलन के ठोस एवं सार्थक प्रयास भी किये गये हैं।

वर्तमान 21वीं सदी के पूर्वार्द्ध में एड्स को डेंजर जोन में सर्वाधिक युवा व किशोर हैं। इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस नव सृजित उद्योग विहीन पर्वतीय राज्य में पर्यटन सम्बन्धी उद्योग जिसमें रोजगार की असीम सम्भावनाये हैं, यहां के युवा एड्स के प्रति जागरूक होकर उज्ज्वल भविष्य के प्रति निश्चित होकर कर्म कर सकें। शोधकर्ता जानना चाहते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य एड्स जागरूकता कितनी है जिससे शोध के परिणामों से शिक्षा की व्यवस्था करने वाले विषय विशेषज्ञों, नीति निर्धारकों, अधिकारियों को विद्यालयों में इस विषय को पाठ्यक्रम में महत्व देने के सुझाव प्रस्तुत किये जा सकें। इस सन्दर्भ में शोधकर्ता ने उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत

शिक्षकों को एड्स जागरूकता विषय पर एक अध्ययन का प्रयास किया है।

### **शब्दों का परिभाषीकरण**

**एच.आई.वी.-** 'Human Immuno Deficiency Virus' वह वायरस जो एड्स के लिए जिम्मेदार है।

**एड्स (AIDS)-** Accquired Immuno Deficiency Syndroms यह एक यौन संक्रमित बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है।

**एड्स (AIDS) जागरूकता-** एड्स जागरूकता से अभिप्राय शिक्षकों के एड्स बीमारी के विषय में सामान्य जानकारी, कारण, लक्षण, प्रभाव, इलाज एवं दृष्टिकोण तथा विश्वास की जानकारी प्राप्त करना।

**विद्यालयी शिक्षा-** उत्तराखण्ड में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी विद्यालय।

### **अध्ययन के उद्देश्य**

1. विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं में एड्स के विषय में सामान्य जानकारी एवं रोग के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
2. एड्स के संक्रमण, बचाव एवं उपचार के विषय में शिक्षक-शिक्षिकाओं के ज्ञान का अध्ययन करना।
3. सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर एड्स रोगी के विषय में शिक्षक-शिक्षिकाओं के अभिमतों का अध्ययन करना।
4. यौन शिक्षा एवं एड्स रोग के संदर्भ में विद्यालयों की भूमिका के विषय पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

### **परिकल्पना**

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों के आधार पर निम्नांकित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है -

1. विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकायें एड्स, एच.आई.वी. के लक्षण, संक्रमण, बचाव व उपचार की सामान्य जानकारी रखते हैं।

2. शिक्षक-शिक्षिकायें विद्यालयों में यौन शिक्षा की अनिवार्यता एवं एडस के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण रखते हैं।

### शोध की प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन में इन्हुंनी मुक्त विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन केन्द्र बिड़ला परिसर, हे.न.ब. ग.वि.वि., श्रीनगर में बी.एड. द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में पंजीकृत 200 छात्राध्यापकों का चयन किया गया। इन 200 शिक्षक-शिक्षिकाओं में से 142 छात्राध्यापकों ने प्रश्नावली भरकर लौटाई। इस प्रकार अध्ययन में उत्तराखण्ड के विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता, स.आ. एवं शिक्षा मित्रों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यायदर्श विधि के आधार पर किया गया। परिणामों का विश्लेषण शासांतकीय आधार पर किया गया।

### परिणामों का विश्लेषण

निम्नांकित तालिकाओं के आधार पर परिणामों का विश्लेषण किया गया।

#### तालिका-3

#### शिक्षक/शिक्षिकाओं के एडस की सामान्य जानकारी, लक्षण एवं रोग के प्रभाव के सम्बन्ध में उत्तरों का विवरण

	कथन शिक्षकों की संख्या (N=142)	हाँ विकल्पों की संख्या	विवरण प्रतिशत
01	एडस एक यौन रोग है।	126	88.7%
02	एडस रोगी का जीवन सामान्य से भिन्न होता है।	101	71.1%
03	भारत एडस समस्या से मुक्त है।	140	98.6%
04	एडस के उन्मूलन हेतु अशिक्षा का उन्मूलन आवश्यक है।	127	89.4%
05	एडस एच.आई.वी. विषाणु से होता है।	139	97.9%
06	एडस एक बीमारी के बजाय कई बीमारियों के लक्षणों का समूह है।	124	87.3%
07	लिम्फोड में सूजन एडस का प्रमुख लक्षण है।	51	35.9%
08	एडस रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।	138	97.2%

09	एड्स एक जानलेवा बीमारी है।	139	97.9%
10	एड्स के लक्षणों के उभरने से पूर्व की अवस्था HIV(+) कहलाती है।	124	87.3%
11	एड्स का पूर्ण उपचार सम्भव है।	126	88.7%
12	एड्स एक महामारी का रूप ले चुका है।	119	83.8%
13	निमोनिया आदि होने पर एड्स रोगी तत्काल ठीक हो जाते हैं।	139	97.9%
14	एड्स का प्रमुख लक्षण रोगी का वजन घटना है।	130	91.5%
15	एड्स शरीर की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है	142	100%

तालिका-3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 98.6% शिक्षक/शिक्षिकाएं एड्स की भयावहता से अनभिज्ञ हैं। इनका मानना है कि भारत एड्स समस्या से मुक्त है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। अधिकतर शिक्षक एड्स के लक्षणों एवं रोग के प्रभाव की जानकारी रखते हैं। शतप्रतिशत शिक्षक जानते हैं कि एड्स शरीर की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। मात्र 36% ही एड्स रोग की वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं। इस प्रकार इस तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को एड्स रोग के संदर्भ में सामान्य जानकारी हैं। लगभग 80% से अधिक शिक्षक इसके लक्षण एवं प्रभाव के विषय में अवगत हैं। विलियम्स, मिनालकोडी तथा इप्साइवी (2004) ने 75 शिक्षकों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया कि शिक्षक एड्स के प्रति जागरूक हैं वह इसे पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्षधर हैं।

#### तालिका-4

#### एड्स के संक्रमण बचाव एवं उपचार के विषय में शिक्षक/शिक्षिकाओं को उत्तरों का विवरण

कथन शिक्षकों की संख्या (N=k142)	हाँ विकल्पों की संख्या	विवरण प्रतिशत
01 रेड लाइट एरिया एड्स फैलाने में सहायक हैं।	110	77.57%
02 अनैतिक यौन सम्बन्ध एड्स को निमंत्रण है।	125	88.0%
03 NACO एड्स रोकथाम हेतु एक कार्यदायी संस्था है	136	95.8%
04 एड्स की जानकारी ही इसका बचाव है	139	97.9%

05	संक्रमित रक्त से एच.आई.वी. हो सकता है।	138	97.2%
06	Anti Retroviral Treatment (ART) एड्स का इलाज है।	116	81.7%
07	सुरक्षित यौन सम्बन्ध एड्स एच.आई.वी. संक्रमण से बचाते हैं।	138	97.2%
08	HIV पॉजीटिव का झूठा खाने व साथ रहने से यह रोग फैलता है।	126	88.1%
09	एड्स, संक्रमित माँ से उसके गर्भास्थ शिशु को हो सकता है।	137	96.5%
10	एक ही इन्जेक्शन का कई लोगों पर प्रयोग करना उचित है।	135	95.1%

तलिका-4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दो तिहाई अर्थात् 75 प्रतिशत से अधिक शिक्षकगण एड्स के संक्रमण, बचाव एवं उपचार के विषय में जानकारी रखते हैं, जो कि इस पर्वतीय राज्य के शुभ संकेत है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां ग्रामीण आबादी छितरी हुई है यहां के पुरुष रोजगार की तलाश में शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं यदि शिक्षक इस घातक बीमारी की जानकारी रखते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके इस ज्ञान का लाभ स्थानीय समुदाय व छात्रों को भी मिलेगा। नवीनतम आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में से मात्र चार जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल में ही एड्स एच.आई.वी. पाजीटिव पाये गये व्यक्तियों की संख्या अधिक है। इसमें भी मसूरी एवं नैनीताल विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। इसलिए यहां देश विदेश के सैलानियों के आने से एच.आई.वी. के संक्रमण का जोखिम अधिक है जबकि शेष नौ पर्वतीय जनपदों में अभी एच.आई.वी. के प्रसार की सम्भावना न्यून देखी गई है। बधान, लाल एवं कश्यप (2004) ने अपने अध्ययन में पाया कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक यह तो जानकारी रखते हैं कि एड्स लाइलाज बीमारी है लेकिन अधिकतर इसके संक्रमण के विषय में अनभिज्ञ हैं 70 प्रतिशत शिक्षक एड्स एच.आई.वी. पाजीटिव व्यक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं साथ ही 60 प्रतिशत ही छात्रों के बीच इस विषय पर वार्तालाप करने का विचार व्यक्त करते हैं। पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षक एच.आई.वी. पाजीटिव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

### तलिका-5

#### एड्स रोग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के उत्तरों का विवरण

कथन शिक्षकों की संख्या (N=k142)	हाँ विकल्पों की संख्या	विवरण प्रतिशत
01 एड्स रोगी को अन्य लोगों से सामाजिक सम्पर्क बनाने से रोका जाये।	7	4.9%
02 एड्स रोगी समाज का एक घृणित प्राणी है।	10	7.0%
03 एड्स का इलाज व रिपोर्ट गुप्त रखी जानी चाहिए।	69	48.6%
04 HIV(+) महिला से मित्रता की जा सकती है।	120	84.5%
05 एड्स रोगी की सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।	48	33.8%
06 एड्स रोगी की जानकारी गुप्त होनी चाहिए।	15	10.6%
07 HIV(+) पुरुष से मित्रता घातक है।	11	7.7%
08 HIV(+) संक्रमित व्यक्ति का विवाह स्वस्थ व्यक्ति से हो सकता है।	24	16.9%
09 किशोरावस्था में एड्स, होने का खतरा अधिक है।	109	76.8%
10 HIV(+) एड्स रोगी का अलग अस्पताल होना चाहिए।	12	8.5%

तलिका-5 उत्तराखण्ड के निवासियों की भावनात्मकता एवं सामाजिक चेतना तथा शैक्षिक स्तर यह बोध कराती है कि 5 प्रतिशत शिक्षक ही एड्स रोगी के सामाजिक बहिष्कार का समर्थन करते हैं जबकि एड्स रोगी को घृणित प्राणी, उससे मित्रता तथा उसके लिए अलग अस्पताल की व्यवस्था हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं का दृष्टिकोण क्रमशः 7,8 तथा 9 प्रतिशत है। 15 प्रतिशत शिक्षकों का विचार है कि एड्स रोगी की जानकारी गुप्त रखनी चाहिए। बहुसंख्य शिक्षकों को एड्स रोगी व्यक्ति से मित्रता पर कोई एतराज भी नहीं है। 24 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि HIV(+) संक्रमित व्यक्ति का विवाह एक स्वस्थ व्यक्ति से हो सकता है यह एड्स के ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए शिक्षकों के मध्य अभी भी इस विषय पर चर्चा/परिचर्चा की पूर्ण आवश्यकता है इसी में समाज की सुरक्षा है।

### तालिका-6

#### एडस् रोग के प्रति शैक्षिक सन्दर्भ में विद्यालयों की भूमिका के बारे में शिक्षकों के टृष्णिकोण का विवरण

कथन शिक्षकों की संख्या (N=k142)	हाँ विकल्पों विवरण की संख्या प्रतिशत
01 विद्यालय में एडस् सम्बन्धी गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।	138 97.2%
02 एडस् रोगी छात्र को कक्षा में अलग बैठना चाहिए।	03 2.1%
03 मूल्यों की नैतिक शिक्षा देने से एडस् पर नियंत्रण हो सकता है।	100 70.4%
04 समय-समय पर विद्यालयों में एडस् विशेषज्ञों के व्याख्यान होने चाहिए।	141 99.3%
05 योग ध्यान एडस् नियंत्रण में सहायक हैं।	81 57%
06 शिक्षक ही छात्रों को एडस् की जानकारी दे सकते हैं।	139 97.9%
07 एडस् रोगी छात्र स्कूल में प्रतिबन्धित होना चाहिए।	6 4.2%
08 स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए।	125 88%
09 बच्चों को एडस् की जानकारी देना नैतिकता के विरुद्ध है।	5 3.5%
10 SAEP (स्कूल एडस् एजूकेशन प्रोग्राम) प्रभावी नहीं हो रहा है।	138 97.2%

तालिका-6 के निरीक्षण से अवगत होता है कि 97 प्रतिशत शिक्षकों का स्पष्ट मत है कि विद्यालयों में संचालित SAEP (स्कूल एडस् एजूकेशन प्रोग्राम) प्रभावी नहीं हो रहा है वे चाहते हैं कि विद्यालयों कार्यशालायें, गोष्ठीयों आदि का संचालन होना चाहिए। तीन प्रतिशत शिक्षक एडस् रोगी छात्र के कक्षा में अलग बैठने के पक्षधर हैं। अधिकांश शिक्षक छात्रों को एडस्, यौन शिक्षा देने का टृष्णिकोण रखते हैं। उनका विचार है कि शिक्षक ही छात्रों के माध्यम से इस लाइलाज बीमारी को समाज से नष्ट कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में एडस् का ज्ञान किशोरवय छात्रों को होना आवश्यक है।

मैथ्यू व साथी (2006), अहमद और अन्य (2006) तथा वर्मा व साथी (1997) ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालयों में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर छात्रों को एस.टी.डी. के विषय में जानकारी कक्षा शिक्षण के समय उचित शिक्षण विधियों के द्वारा दिया जाने पर छात्र रुचिपूर्वक ज्ञान अर्जित करते हैं। इस प्रकार किशोरों में एस.टी.डी. के संक्रमण पर प्रभावी रोक लग सकती है।

### **निष्कर्ष**

प्रस्तुत अध्ययन से निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-

- शिक्षक एड्स एच.आई.वी. की सामान्य जानकारी रखते हैं परन्तु वे समझते हैं कि भारत इस समस्या से मुक्त है जबकि ऐसा नहीं है। भारत में इस बीमारी का प्रसार तेजी से हो रहा है। इसलिए यह चिन्ताजनक है।
- अधिकांशतः 75 प्रतिशत से अधिक शिक्षक एच.आई.वी. एड्स के संक्रमण, बचाव व उपचार की जानकारी रखते हैं परन्तु इसके संक्रमण पर उनके मध्य कुछ भ्रान्तियां भी हैं वे इसे छूत की बीमारी भी समझते हैं।
- उत्तराखण्ड में कार्यरत शिक्षक एड्स रोगी के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार के पक्षधर हैं। रोगी की पहचान गुप्त रखने का दृष्टिकोण रखते हैं आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से एच.आई.वी. पाजीटिव व्यक्ति की शादी होना गलत नहीं मानते हैं।
- विद्यालय, शिक्षक एवं छात्र-छात्रायें एड्स/एच.आई.वी. को नियन्त्रण में लाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसलिए अधिकांश शिक्षक विद्यालय में यौन शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं।

### **सुझाव**

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे हैं -

- SAEP (स्कूल एड्स एज्यूकेशन प्रोग्राम) की समीक्षा व मानीटरिंग आवश्यक है। शोधार्थी ने स्वयं देखा है कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकास खण्ड में मात्र दो दिन का प्रशिक्षण रखकर खाना पूर्ति की जा रही है। विद्यालयों में इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है।
- प्रार्थनासभा के साप्ताहिक कार्य योजना में एक दिन इस विषय पर अवश्य सभी छात्रों के समक्ष चर्चा-परिचर्चा होनी चाहिए।

- एड्स दिवस पर ‘‘एड्स जागरूकता रैली’’ आयोजित होनी चाहिए।
- इस विषय पर वाद-विवाद, कार्यशाला, पोस्टर प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतियोगिता का स्तर विद्यालय व विकास खण्ड होना चाहिए इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता व चिकित्सक को आमंत्रित करना चाहिए।
- विद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं का एक संगठन एड्स क्लब नाम से बनाना चाहिए यह क्लब स्थानीय मेलों, त्योहारों, रामलीला आदि धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक, रंगमंच के द्वारा सामाजिक जागरूकता ला सकता है। क्योंकि उत्तराखण्ड की संस्कृति में इन मेलों, त्योहारों की एक विशिष्ट परम्परा है इसमें अधिसंख्य लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं।
- विकास खण्ड पर वर्ष में दो दिवसीय प्रशिक्षण में दो छात्र व दो शिक्षक प्रतिभाग करते हैं उक्त अवसर पर चिकित्सक भी रहने चाहिए तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व छात्र को NACO, SACO द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

अन्त में यह सर्वथा सत्य है कि यदि शिक्षक निष्ठा से इस कार्यक्रम (SAEP) को सफल बनानें का बीड़ा उठाये, छात्र क्रियाशील रहें तो यह निश्चित है कि समाज से AIDS/HIV जैसी घातक बीमारी को समूल नष्ट तो नहीं किया जा सकेगा, परन्तु इसके प्रसार पर अंकुश अवश्य लग जायेगा इसके लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है।

शिक्षा द्वारा एड्स से सम्बन्धित विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों की समस्याओं के रूप में इसे भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। ज्ञान का विस्फोट, मीडिया का प्रभाव तथा भविष्य की चिन्ता व अनिश्चितता छात्रों को तनावप्रस्त कर रही है जिसे माता पिता व शिक्षक समझने में असमर्थ हैं। अतः छात्रों में शिक्षा के द्वारा विवेकपूर्ण दृष्टि का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर व संतुलित रह सकें। केवल सूचना प्रदान करना ही काफी नहीं है वरन् उनमें उचित अभिवृत्तियों व दृष्टिकोण का विकास किया जाना आवश्यक है। तभी वह अपनी वृत्तियों पर नियन्त्रण रख सकेगा। उनमें ऐसी क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए जिससे वे शारीरिक व मानसिक

वातावरण सम्बन्धी दबावों का सामना कर सकें, इसके लिये पाठ्यक्रम में धर्म और अध्यात्म को भी स्थान दिया जाना आवश्यक होगा।

### संदर्भ

अहमद, एन.मैथ्यू, सी.जेनसन, एस.फिशर, जे.मूकोमा डबलू, सचालमा एच.पी. (2006) प्रोसेज इबेल्यूसन आफ द टीचर्स ट्रेनिंग फॉर एन एड्स प्रीमेनटिव प्रोग्राम, हेल्थ ऐजूकेशन रिसर्च पृ. 621-632

बधान एस.के., लालजी, कश्यम जी.एल (2004), ए स्टडी ऑफ एवरनेंस एंड एप्टीट्यूड रीगारडिंग एच.आई.वी./एड्स एमांग स्कूल टीचर्स आफ दिल्ली, मिटिंग एबस्ट्रक्ट-इन्टरनेशनल कॉनफ्रेंस, जुलाई 11-16, एम.एम.काजेल नई दिल्ली।

मैथ्यू सी, बून एच फिशर ए.जे. सचालमा एच.पी. (2006): फेक्टर एसोसिएटेड विद टीचर्स इम्पलीमेंसन आफ एच.आई.वी./एड्स ऐजूकेशन इन सेकेण्डरी स्कूल इन केपटाउन, साउथ अफ्रीका, एड्स केआर, वाल्यूम 18(4) पृ. 388-397.

वर्मा रवि.के., सुरेन्द्र एस., गुरु स्वामी.एम. (1997) स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स इन रुरल महाराष्ट्र थिंक आफ एड्स एंड सैक्स, हैल्थ ट्रासमिशन रिव्यू, सप्लीमेंटर टू वाल्यूम 7, पृ. 481-486.

विलियम्स सराह एस, मिनालकोडी वी, इसाइवी एस लीली (2004) एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवडर्स एड्स ऐजूकेशन- एक्सपरीमेंट इन एजूकेशन, वाल्यूम XXXIII (9)

दैनिक अमर उजाला, 1 सितम्बर 2007.

## शोध टिप्पणी/संवाद

# सृजनात्मक और कम सृजनात्मक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति

उषा खरे\*

### सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में जीव विज्ञान विषय में अध्ययनरत +2 स्तर पर सृजनात्मक और कम सृजनात्मक विद्यार्थियों का व्यक्तिगत मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है।

सैद्धान्तिक रूप से सृजनात्मकता के अन्तर्गत स्वनिर्मित डाइवर्जेन्ट चिंतन (केन्द्राविमुख) व कन्वर्जेन्ट चिंतन (केन्द्राभिमुख) परीक्षणों के साथ दस व्यक्तिगत मूल्यों को लिया गया है। न्यादर्श हेतु 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिसमें 17 प्रतिशत उच्च सृजनात्मक एवं 17 प्रतिशत कम सृजनात्मक विद्यार्थी भोपाल संभाग (म.प्र.) के विभिन्न विद्यालयों में +2 स्तर पर जीव विज्ञान विषय लेकर अध्ययन थे।

परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि उच्च सृजनात्मक विद्यार्थियों में स्वास्थ्य मूल्य उच्च पाया गया जबकि कम सृजनात्मक विद्यार्थियों में शक्ति मूल्य उच्च पाया गया। लड़कों की तुलना में जीवविज्ञान विषय में लड़कियाँ अधिक सृजनशील पाई गईं। शहरी विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण विद्यार्थियों में अधिक सृजनशीलता पाई गई। व्यक्तिगत मूल्यों एवं सृजनात्मकता के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं है।

### प्रस्तावना

मानव चिंतन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि सृजनशीलता है, क्योंकि इसी के सहरे मानव जाति वैज्ञानिक तकनीकी को प्राप्त कर अपनी समस्याओं का निराकरण करती है।

\* प्रवाचक, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल (म.प्र.)

ईमेल : usha.khare@yahoo.com

सृजनशीलता के अध्ययन एवं सर्वेक्षण से पता चलता है कि सृजनशीलता की खोज बौद्धिक योग्यता और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के ऊपर जो कि शिक्षा और मनोविज्ञान के विभिन्न कारकों से संबंधित है उनको इस अध्ययन में पर्याप्त महत्व दिया गया है, एवं इनके ऊपर काफी अध्ययन किया गया है, परन्तु अन्तर सामाजिक क्षेत्र में सृजनशीलता से संबंधित बहुत कम अनुसंधान देखने में आये हैं, अतः विभिन्न परिस्थितियों के परिणामों की प्रक्रिया जानने के लिये अंतर सामाजिक क्षेत्र में अध्ययन बहुत आवश्यक था।

### सिद्धान्त

#### सृजनात्मकता

डीहान तथा हैवीघर्स्ट (1961) के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता होती है जो वांछित तथा नवीन वस्तुओं के उत्पादन की ओर ले जाए। यह नवीन उत्पाद सारे समाज के लिए नवीन हो। वर्हीं पार्न्स (1969) के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति अपने उत्पादन में अनोखापन तथा प्रासांगिकता दोनों दिखाता है।

सृजनात्मकता के प्रायः चार तत्व माने गए हैं-

1. प्रवाह (Fluency)— वह सुविधा जिसके द्वारा कई विचार उत्पन्न या व्यक्त किए जा सकते हैं।
2. लचीलापन (Flexibility)— किसी कार्य के प्रति दिए गए सिद्धान्तों, व्यूह रचनाओं या उपनामों की संख्या।
3. मौलिकता (Originality)— एक अनोखा व असाधारण।
4. सुपरिष्कृत (Elaboration)— एक आधारभूत विचार को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता से अधिक दिए गए स्पष्टीकरण।

#### व्यक्तिगत मूल्य

व्यक्तिगत मूल्यों में धार्मिक विश्वास, नैतिक अभिवृत्ति, जीवन दर्शन व राजनैतिक आदर्श सम्मिलित होते हैं। मूल्य जीवन के निदेशक सिद्धांत हैं जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण व समायोजन और संस्कृति के द्वारा संचालित होते हैं। व्यक्ति जो समाज में देखता है और उससे जो अपेक्षा की जाती है उसी

के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों की रचना होती है। विभिन्न कसौटियों के आधार पर डॉ. (श्रीमती) जी.पी. शेरी एवं डॉ. आर.पी. वर्मा की व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली का चयन किया गया जो निम्नानुसार है-

1. धार्मिक मूल्य - “ईश्वर में विश्वास” ईश्वर को समझने व उनसे डरने और धार्मिक पुस्तकों में दिए आदर्श के अनुसार चलने को धार्मिक मूल्य कहते हैं।
2. सामाजिक मूल्य - इस मूल्य की परिभाषा दयालुता, प्रेम, लोगों से सहानुभूति, मानव जाति की सेवा करके ईश्वर की सेवा करना। व्यक्तिगत आरामों का त्याग, आवश्यकताओं की कमी के रूप में की जा सकती है।
3. प्रजातांत्रिक मूल्य - इस मूल्य के लक्षण व्यक्तिगतता की महत्ता, व्यक्तियों के बीच विभिन्नता की अनुपस्थिति, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, रंग, के आधार पर है। इस मूल्य में समान सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक अधिकार होते हैं। इसके अलावा प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति आदर होना और सामाजिक न्यायशीलता होना भी पाया जाता है।
4. सौन्दर्यात्मक मूल्य - सुन्दरता के प्रति आकर्षण, कला से प्रेम, चित्रकला, संगीत, कविता, साहित्य से प्रेम, घर सजावट में रुचि, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में, क्रमबद्धता और स्वच्छता आदि लक्षण सौन्दर्यात्मक मूल्य के अन्तर्गत आते हैं।
5. आर्थिक मूल्य - इस मूल्य का आधार इच्छापूर्ति के लिये धन और भौतिक पदार्थ प्राप्त करना है, वह व्यक्ति जिसमें उच्च धार्मिक मूल्य होते हैं ऐसे कार्य चुनते हैं जिसमें अधिक धन और पदार्थ प्राप्त हों। उसकी प्रवृत्ति धनी व्यक्तियों और उद्योगपतियों की ओर होती है। वह देश की प्रगति में सहायता करता है।
6. ज्ञानात्मक मूल्य - इस मूल्य का आधार किसी क्रिया के सैद्धान्तिक ज्ञान से प्रेम और सत्य की खोज से प्रेम है। वह व्यक्ति जिसमें ज्ञानात्मक मूल्य है, वह बताता है कि किसी कार्य की सफलता के लिये सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक है।
7. आनंदपरकजीवन मूल्य - आनंदपरकजीवन मूल्य की परिभाषा प्रसन्नता के प्रति इच्छा और दुःख के प्रति नकारात्मकता से है। एक आनंदजीवी, भविष्य की बजाय वर्तमान को अधिक महत्व देता है।
8. शक्ति मूल्य - यह वे मूल्य होते हैं, जिनमें दूसरों पर शासन करने और नेतृत्व करने की इच्छा होती है। इस प्रकार के मूल्य वाले व्यक्ति ऐसा कार्य और अवसर चुनते

हैं जिससे स्वयं को प्रमुखता मिले, वह अपनी स्थिति के लिये झूठ भी बोल सकते हैं।

9. पारिवारिक स्तर मूल्य - एक पारिवारिक स्तर के अनुसार संबंध, कार्य भूमिका, व्यवहार पारिवारिक मूल्य कहलाते हैं। भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के विभिन्न लक्षण पारिवारिक स्तर मूल्य के कारण ही हैं। अन्तर्जातीय शादियों के न होने से एक शुद्धता का होना भी इसी पारिवारिक मूल्य के कारण होता है।
10. स्वास्थ्य मूल्य - इसके अन्तर्गत कर्तव्य निभाने के लिये शारीरिक स्वास्थ्य को बनाये रखना है। यह मूल्य आत्मरक्षा में सहायक होता है। उच्च स्वास्थ्य मूल्य वास्तविक उपयोगी, जबकि कम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति दुःखी होता है। यह मूल्य आवश्यक योग्यताओं के विकास में सहायक होता है।

### शैक्षिक परिदृश्य में सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत मूल्य

जीवन में नवीनता मौलिकता एवं रचनात्मक योग्यता का बहुत अधिक महत्व है। जीवन में प्रत्येक नई खोज, मनुष्य के नए ढंग से खोजने का परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक वैज्ञानिकों के खास गुणों को खोजा है जिससे संस्थाओं द्वारा, विद्यालयों द्वारा, समाज तथा वातावरण द्वारा वैज्ञानिकों का सृजन, विकास व चयन किया जा सके।

आधुनिकता संबंधी भ्रामक धारणा तथा विज्ञान और तकनीकी के विकास औद्योगिक प्रसार ने हमारी नैतिक मान्यताओं एवं मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वर्तमान शैक्षिक, सामाजिक व नैतिक व्यवस्थाओं से हमारे विद्यार्थियों के विभिन्न मूल्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वैज्ञानिक सृजनात्मकता के साथ-साथ विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन जीवविज्ञान विषय के क्षेत्र में किया गया अनुसंधान कार्य निश्चित ही +2 स्तर के जीवविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण शोध के रूप में उपयोगी सापने आया है जिसमें नवीन वैज्ञानिक सूक्ष्मबूझ, सूक्ष्म निरीक्षण एवं परिकल्पनाओं के साथ-साथ सृजनात्मक सीखना एवं धार्मिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक, सौन्दर्यात्मक, आर्थिक, ज्ञानात्मक, आनंदजीवनपरक, शक्ति, पारिवारिक स्तर व स्वास्थ्य मूल्यों के साथ खोज और अन्वेषण प्रक्रिया में वैज्ञानिक सृजनात्मक के साथ अन्तः संबंध को देखा गया है।

### न्यादर्श एवं उपकरण

शोधकार्य हेतु 800 विद्यार्थियों का चयन किया जिसमें भोपाल संभाग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से 512 लड़के व 288 लड़कियां थीं। प्रस्तुत शोधपत्र में 17 प्रतिशत उच्च सृजनात्मक छात्र व 17 प्रतिशत निम्न सृजनात्मक छात्र छात्राओं, जो कि जीव विज्ञान विषय +2 पर अध्ययनरत थे, का चयन किया गया।

शोध कार्य हेतु जीवविज्ञान विषय में वैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षण हेतु स्वयं उपकरण विकसित कर प्रस्तुत शोध में उपयोग किया गया। जिसमें भाग 1 डाइवर्जेन्ट थिंकिंग (केन्द्राविमुख) चिंतन योग्यता के परीक्षण हेतु व भाग 2 कन्वर्जेन्ट थिकिंग (केन्द्राभिमुख) चिंतन योग्यता के परीक्षण निर्मित किये गये हैं।

वैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षणों का विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा 0.77 तथा विश्वसनीयता का मान 0.81 प्राप्त हुआ था। तथा अर्द्ध विच्छेद विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक 0.84 तथा विश्वसनीयता का मान 0.90 प्राप्त हुआ।

विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों के परीक्षण हेतु डॉ. श्रीमति जी.पी. शैरी एवं डॉ. आर.पी. वर्मा की व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली के द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों का परीक्षण किया गया। उपरोक्त प्रश्नावली में धार्मिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक, सौन्दर्यात्मक, आर्थिक, ज्ञानात्मक आनंदजीवकपरक, शक्ति, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य मूल्यों का चयन किया गया है।

उपरोक्त व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली का विश्वसनीयता गुणांक 0.82-0.85 है तथा कारक विश्लेषण विधि द्वारा 0.47 से 0.70 है।

### निष्कर्ष तथा विवेचन


विश्लेषित प्रदत्तों को स्वनिर्मित जीवविज्ञान विषय में वैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षण में चयनित 26 कारकों में प्रवाह लचीलापन, मौलिकता के अंको को तथा धार्मिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक, सौन्दर्यात्मक, आर्थिक, ज्ञानात्मक, आनंदजीवकपरक, शक्ति, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य मूल्यों के अंको को उच्च सृजनात्मक समूह तथा कम सृजनात्मक समूहों में विभक्त कर प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं विवेचन तथा परिकल्पनाओं का सत्यापन एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया (तालिका-1)। मुख्यतः प्राप्त परिणाम इस प्रकार है -

## तालिका - 1


मूजनात्मक एवं कम मूजनात्मक विद्यार्थियों का विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, एफ मान, टू टेल मान, संचित प्रसरण अनुमान तथा पृथक प्रसरण अनुमान

वर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	एफ मान	टू टेल मान	संचित प्रसरण अनुमान			पृथक प्रसरण अनुमान
							टी मान	स्वरूप अश	टू टेल मान	
धार्मिक मूल्य	पूजनात्मक	119	11-9412	2-293	0-210	1-10	0-613	1-09	234	0-278
	कम सूजनात्मक	117	11-6239	2-188	0-202	1-10	0-613		1-09	233-19
सामाजिक मूल्य	पूजनात्मक	119	14-2857	3-807	0-349	1-29	0-174	0-27	234	0-790
	कम सूजनात्मक	117	14-4103	3-356	0-349	1-29			0-27	231-37
प्रजातात्त्विक मूल्य	पूजनात्मक	119	13-9828	3-534	0-324	1-11	0-563	0-21	234	0-836
	कम सूजनात्मक	117	14-0256	3-349	0-310				0-21	234-00
सांदर्भात्मक मूल्य	पूजनात्मक	119	11-8908	2-861	0-262	1-22	0-293	1-64	234	0-102
	कम सूजनात्मक	117	11-3077	2-595	0-204				1-64	232-50
आधिक मूल्य	पूजनात्मक	119	11-6134	2-740	0-251	1-00	0-997	0-88	234	0-379
	कम सूजनात्मक	117	11-2919	2-739	0-253				0-88	233-94
ज्ञानात्मक मूल्य	पूजनात्मक	119	14-0252	3-090	0-286	1-36	0-097	1-60	234	0-110
	कम सूजनात्मक	117	14-7265	3-604	0-330				1-61	229-75
आनन्दजीविक प्रकर मूल्य	पूजनात्मक	119	11-3193	3-143	0-288	1-14	0-467	0-53	234	0-600
	कम सूजनात्मक	117	11-1111	2-938	0-272				0-53	233-41
शक्तिसंग्रह मूल्य	पूजनात्मक	119	10-0588	2-747	0-252	1-04	0-846	2-88	234	0-380
	कम सूजनात्मक	117	10-3761	2-797	0-259	1-04	0-846			
पारिवारिक मूल्य	पूजनात्मक	119	10-2353	2-462	0-226	1-13	0-507	1-77	234	0-078
	कम सूजनात्मक	117	10-8205	2-618	0-242				1-77	232-57
स्वारथ्य मूल्य	पूजनात्मक	119	10-8975	2-469	0-226	1-77	0-002	2-05	234	0-294
	कम सूजनात्मक	117	10-2391	3-283	0-304				2-05	215-71

### उच्च सृजनात्मक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों का ग्राफीय प्रदर्शन



### कम सृजनात्मक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों का ग्राफीय प्रदर्शन



वैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षण में चयलित 26 कारकों में प्रवाह, लचीलापन व मौलिकता के अंकों तथा धार्मिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक सौन्दर्यात्मक आर्थिक, ज्ञानात्मक, आनंदजीवकपरक तथा पारिवारिक मूल्यों के अंकों के उच्च सृजनात्मक तथा कम सृजनात्मक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में कोई अंतर नहीं पाया गया किन्तु शक्ति

मूल्य एवं स्वास्थ्य मूल्य के परिप्रेक्ष्य में सार्थक अंतर मिला। कम सृजनात्मक विद्यार्थियों का शक्ति मूल्य उच्च पाया गया।

1. कम सृजनात्मक विद्यार्थियों का मध्यमान 10.0588, मानक विचलन 2.747, मानक त्रुटि 0.252, एफ मान 1.04 तथा टू टेल मान 0.846 पाया गया। जबकि उच्च सृजनात्मक विद्यार्थियों का मध्यमान 10.3761, मानक विचलन 2.797, मानक त्रुटि 0.259, एफ मान 1.04 तथा टू टेल मान 0.846 पाया गया। संचित प्रसरण अनुमान में टी मान 2.88, स्वतंत्र अंश 234 व टू टेल मान 0.380 है एवं पृथक प्रसरण अनुमान में टी मान 2.88, स्वतंत्र अंश 2.33 व टू टेल मान 0.380 पाया गया।

2. अधिक सृजनात्मक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य मूल्य उच्च पाया गया। अधिक सृजनात्मक विद्यार्थियों का मध्यमान 10.6975, मानक विचलन 2.469, मानक त्रुटि 0.226, एफ मान 1.77 व टू टेल मान 0.002 पाया गया। संचित प्रसरण अनुमान में टी मान 2.05, स्वतंत्र अश 234, टू टेल मान 0.293 व पृथक प्रसरण अनुमान में टी मान 2.05 स्वतंत्र अश 215.31 व टू टेल मान 0.294 पाया गया।

## तालिका - 2

**व्यक्तिगत मूल्यों एवं सृजनात्मकता के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं है**

क्र.	विभिन्न व्यक्तिगत मूल्य	प्रवाह	लचीलापन	मौलिकता	विविध कारक	कुल
1	धार्मिक मूल्य	0.235	0.0234	0.0252	0.0274	0.0157
2	सामाजिक मूल्य	0.0231	0.0140	0.0048	0.0047	0.0108
3	प्रजातांत्रिक मूल्य	0.0195	0.0196	0.0158	0.0047	0.0182
4	सौन्दर्यात्मक मूल्य	0.0326	0.0369	0.0159	0.0145	0.0347
5	आर्थिक मूल्य	0.304	0.0191	0.0093	0.0272	0.0276
6	ज्ञानात्मक मूल्य	0.0467	0.0358	0.0606	0.0504	0.0494

क्रमशः

परिप्रेक्ष्य

7	आनंदपरकजीवक मूल्य	0.0386	0.0252	0.0049	0.0104	0.0285
8	शक्ति मूल्य	0.020	0.0319	0.0118	0.0128	0.0257
9	परिवार मूल्य	0.235	0.0327	0.0230	0.0222	0.0342
10	स्वास्थ्य मूल्य	0.0231	0.1048	0.0196	0.0196	0.0506

सार्थक-सह-संबंध - 719 स्वतंत्र अंश के लिये 0.5 स्तर पर 0.077 तथा 0.01 स्तर पर 0.100 है।

**व्याख्या** – उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि 719 स्वतंत्र अंश के 0.05 स्तर पर सार्थक सह-संबंध 0.077 है तथा 0.01 स्तर पर सार्थक सह-संबंध 0.100 है। परन्तु स्वास्थ्य मूल्य का लचीलापन से सार्थक संबंध अधिक 0.1048 प्राप्त हुआ जो कि सारणी के मान से अधिक है। बाकी अन्य व्यक्तिगत मूल्यों के साथ सृजनात्मक के घटक का सार्थक सह-संबंध कम है। अतः निष्कर्ष के रूप में व्यक्तिगत मूल्यों एवं सृजनात्मकता के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं है।

### भावी अनुसंधानों के लिए सुझाव

- प्रस्तुत शोध कार्य +2 स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत मूल्यों से संबंधित है, इसे अन्य कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ऊपर किया जा सकता है।
- मनोविज्ञान के अन्य चरों, जैसे आत्मसंबोध, आर्थिक, सामाजिक स्तर, चिंता, लोकस ऑफ कन्ट्रोल पर भी वैज्ञानिक सृजनात्मकता से संबंध स्थापित कर अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध में शहरी ग्रामीण एवं लड़के-लड़कियों की तुलना की गई है। इसे अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

### संदर्भ

अलपोर्ट, जी.डब्ल्यू. वर्नन, पी.ई., एंड लिंडजे, जी. स्टडी आफ वैल्यूज मैनुअल आफ डायरेक्शन,  
बोस्टन, हार्टन मिफलिन, (1951)

बद्रीनाथ, एस. एंड सत्य नारायण, एस.बी. कोरेलेट्स आफ क्रिएटिव थिंकिंग आफ हाई स्कूल  
स्टूडेंट क्रिएटिव न्यूजलेटर, वाल्यूम-7 एंड 8, नं. 2 एंड 1, (1979)

बेरॅन, एफ. “क्रिएटिविटी: व्हाट रिसर्च सेज अबाउट इट, नीज 50, 17, 19, (1961)

कैम्पे, जे.पी., “क्रिएटिविटी एंड सौलिवंग ऑफ स्कूल प्राब्लम” जे.एड.रेस. 59, 4: (1965)

मैकीनॅन, डी.डब्ल्यू., द नेचर एंड नेचर ऑफ क्रिएटिव टेलेंट ‘एन. फिजियोलॉजिट 17:484,  
95 (1962).

मेहदी, बी., “वर्बल एंड नॉन वर्बल टैस्ट ऑफ क्रिएटिविटी” आगरा: नेशनल साइकोलॉजिक  
कोर्पोरेशन (1973)

पत्रिक, सी., व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? फिजियोलॉजिकल लाइब्रेरी: न्यूयार्क (1956).

प्रिंस, जी.एम. “द प्रक्रिट्स आफ क्रिएटिविटी” एन.वाई.: हार्पर एंड रो (1972)

शोध टिप्पणी/संवाद

## माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन

मधु साहनी\*

### सारांश

मूल्यों में आ रही गिरावट के कारण आज मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है। अपने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए उन मूल्यों की पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है जिनके लिए भारत विश्वभर में जाना जाता रहा है। प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन किया गया है। इसके माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में कौन से मूल्य उच्च स्तर के एवं कौन से निम्न स्तर के हैं और क्या लिंग के आधार पर मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है? अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक मूल्य सर्वोच्च एवं धार्मिक मूल्य निम्नतम हैं तथा कलात्मक मूल्य, शक्ति मूल्य एवं ज्ञानात्मक मूल्यों के संदर्भ में लिंग के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है।

व्यक्ति की जीवन शैली, क्रियाशैली, क्रिया विधि, विचार प्रक्रिया व अन्य महत्वपूर्ण सन्दर्भों में मूल्यों का अपेक्षित महत्व है। मूल्य वे हैं जो अभीष्ट है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय पसन्द किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, सम्मानित किया जाए, जिसकी इच्छा की जाए और जिसका अनुमोदन किया जाए। दार्शनिक दृष्टिकोण से मूल्य विद्वतापूर्ण मान्य प्रमाण है कि क्या वांछनीय है चाहे वह व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, इसके आधार पर ही विकल्प बनाए जाते हैं एवं निर्णय लिए जाते हैं जो कार्य

\*प्रवक्ता, वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक  
ई-मेल madhusahni.2007@rediffmail.com

हेतु प्रेरित करते हैं। मासंला ने उद्घृत किया है कि 'व्यक्ति को विद्यामिन व खनिज लवणों के समान ही जीवन दर्शन व मूल्यों की आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसके मूल्यों की परिपृष्ठि नहीं होती उसका जीवन निरर्थक होता है।'

शिक्षा जो कि व्यक्ति का जीवन सार्थक बनाती है, उन्नतिशील राष्ट्र की नीव है। चूंकि मूल्य ही वे आदर्श हैं जो व्यक्ति एवं समाज के विकास को सुनिश्चित करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा केवल विद्यार्थियों में परम्परागत जीवन मूल्यों को हस्तान्तरित ही नहीं किया जाए वरन् नए जीवन मूल्यों का भी बीजारोपण किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में शोधार्थी ने यह अनुमान किया कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल्यों को जानना आवश्यक है। किशोरावस्था के विद्यार्थियों के मूल्यों की जानकारी ही प्राप्त करना अत्यावश्यक समझा गया क्योंकि इस अवस्था में, गलत धर्मिक, सामाजिक जनतांत्रिक आदि मूल्यों के कारण, वे गलत मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जानने की आवश्यकता भी अनुभव की गई कि क्या छात्र और छात्राओं के मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, क्यों कि दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। यह कुछ प्रश्न एवं ज्ञानासायें थीं जिनके समाधान हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया।

### शोध के उद्देश्य

1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के मूल्यों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

### अध्यापन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

### न्यादर्श एवं न्यादर्शन तकनीक

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के लिए रोहतक जिले के चार सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में से दसवीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों को लिंग के आधार पर स्तरीय यादृच्छिक न्यादर्श विधि से निम्न प्रकार से चुना गया :

विद्यालय का नाम	संख्या		कुल
	छात्र	छात्राएं	
जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोहतक	25	25	50
सैनी हाई स्कूल, रोहतक	25	25	50
वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोहतक	25	25	50
विश्वकर्मा हाई स्कूल, रोहतक	25	25	50
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

### उपकरण

विद्यार्थियों में निहित मूल्यों के मापन हेतु डा. जी.पी. शेरी और डा. आर.पी. वर्मा द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इस प्रश्नावली में 10 मूल्यों का समावेश है - धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, आर्थिक मूल्य, ज्ञानात्मक मूल्य, सुखात्मक मूल्य, शक्ति संबंधी मूल्य, पारिवारिक प्रतिष्ठा संबंधी मूल्य और स्वास्थ्य संबंधी मूल्य।

### सांख्यिकीय प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन संदर्भ में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों में मध्यमान एवं मानक विचलन तथा निर्वचनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों में टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है।

### प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचन

उपरोक्त उद्देश्य हेतु सर्वप्रथम प्रदत्त एकत्रित किए गए तत्पश्चात् लड़के एवं लड़कियों के दस मूल्यों के मध्यमान, मानक विचलन ज्ञात किए गए जिन्हें तालिका-1 में प्रस्तुत किया गया है। छात्र और छात्राओं के विभिन्न प्रकार के मूल्यों संबंधी मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु 'टी' प्राप्तांक निकाला गया जिसे तालिका-2 के माध्यम से अंकित किया गया है।

### तालिका 1

#### छात्र और छात्राओं के विभिन्न प्रकार के मूल्य संबंधी प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन

मूल्य	मध्यमान		मानक विचलन	
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
धार्मिक	9.18	9.50	2.13	3.70
सामाजिक	9.23	9.69	2.12	2.34
जनतांत्रिक	9.23	9.68	2.10	2.39
कलात्मक	14.07	15.85	3.05	3.06
आर्थिक	12.65	12.13	2.87	2.95
ज्ञानात्मक	17.28	16.21	3.66	2.81
सुखात्मक	13.28	13.74	3.14	2.39
शक्ति संबंधी	14.27	11.25	2.60	3.18
पारिवारिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी	12.18	12.93	3.64	3.70
स्वास्थ्य सम्बन्धी	9.21	9.69	3.65	3.06

छात्र और छात्राओं में विभिन्न मूल्यों के मध्यमानों पर दृष्टिपात करें तो तालिका-1 से यह स्पष्ट होता है कि सभी विद्यार्थियों (छात्र और छात्राओं) में ज्ञानात्मक मूल्य सर्वोच्च तथा धार्मिक मूल्य निम्नतम है। छात्रों में शक्ति संबंधी मूल्य दूसरे स्थान पर कलात्मक मूल्य तीसरे स्थान पर सुखात्मक मूल्य चौथे स्थान पर आर्थिक मूल्य पांचवें स्थान पर पारिवारिक मूल्य छठे स्थान पर सामाजिक और जनतांत्रिक मूल्य सातवें स्थान पर तथा स्वास्थ्य संबंधी मूल्य आठवें स्थान पर है। तालिका 1 से यह भी परिलक्षित होता है कि छात्राओं में कलात्मक मूल्य दूसरे स्थान पर सुखात्मक मूल्य तीसरे स्थान पर पारिवारिक मूल्य चौथे स्थान पर आर्थिक मूल्य पांचवें स्थान पर शक्ति संबंधी मूल्य छठे स्थान पर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मूल्य सातवें स्थान पर तथा जनतांत्रिक मूल्य आठवें स्थान पर है।

**तालिका-2**  
**छात्रों एवं छात्राओं में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का टी-अनुपात मान**

मूल्य	वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य
धार्मिक	छात्र	100	9.18	2.13	
	छात्राएं	100	9.50	3.70	.75
सामाजिक	छात्र	100	9.23	2.12	
	छात्राएं	100	9.69	2.34	1.46
जनतांत्रिक	छात्र	100	9.23	2.10	
	छात्राएं	100	9.68	2.39	1.41
कलात्मक	छात्र	100	14.07	3.05	
	छात्राएं	100	15.87	3.06	4.12*
आर्थिक	छात्र	100	12.65	2.87	
	छात्राएं	100	12.13	2.95	1.26
ज्ञानात्मक	छात्र	100	17.28	3.6	
	छात्राएं	100	16.21	2.81	2.32*
सुखात्मक	छात्र	100	13.28	3.14	
	छात्राएं	100	13.74	2.39	1.17
शक्ति	छात्र	100	14.27	2.60	
	छात्राएं	100	11.25	3.18	7.35*
पारिवारिक प्रतिष्ठा संबंधी	छात्र	100	12.18	3.64	
	छात्राएं	100	12.93	3.70	1.44
स्वास्थ्य संबंधी	छात्र	100	9.21	3.65	
	छात्राएं	100	9.69	3.06	1.007

\*0.01 सार्थकता स्तर

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विद्युत होता है कि

- छात्रों एवं छात्राओं के धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सुखात्मक मूल्य व पारिवारिक प्रतिष्ठा संबंधी मूल्यों के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है।

- छात्रों एवं छात्राओं में कलात्मक मूल्य संबंधी मध्यमानों में सार्थक अंतर है क्योंकि लड़कियों का मध्यमान मूल्य (16.25) छात्रों के मध्यमान मूल्य (14.07) की अपेक्षा अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा कलात्मक मूल्य उच्चतर है।
- छात्रों एवं छात्राओं के ज्ञानात्मक मूल्य संबंधी मध्यमानों में सार्थक अंतर है। छात्रों का ज्ञानात्मक मूल्य संबंधी मध्यमान (17.28) छात्राओं के मध्यमान (16.21) की अपेक्षा अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा ज्ञानात्मक मूल्य उच्चतर है।
- छात्रों एवं छात्राओं के शक्ति मूल्य संबंधी मध्यमानों में भी सार्थक अंतर है। छात्रों का शक्ति मूल्य संबंधी मध्यमान (14.27) छात्राओं के मध्यमान (11.25) की अपेक्षा अधिक है, अतः छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा शक्ति मूल्य उच्चतर है।

### निष्कर्ष एवं व्याख्या

1. प्रस्तुत शोध के परिणाम ये दर्शाते हैं कि सभी विद्यार्थियों (लड़के व लड़कियों) में धार्मिक मूल्य का निम्नतम स्थान है अर्थात् विद्यार्थी धार्मिक ग्रन्थों में प्रदत्त नियमानुसार कार्य करने, ईश्वर की पूजा करने, सत्य बोलने आदि अपेक्षाकृत कम विश्वास करते हैं। तालिका 1 से यह भी परिलक्षित होता है कि सभी विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य और स्वास्थ्य संबंधी मूल्य भी निम्नतर हैं अर्थात् विद्यार्थियों में दूसरे लोगों के प्रति सहिष्णुता, कृपा, प्रेम आदि की भावनाएं लिंग, भाषा, धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेद-भाव ना करना, इन मूल्यों का अभाव है वे अपने विकास व गुणों का प्रयोग करने हेतु शरीर का स्वस्थ होना परमावश्यक नहीं समझते। तालिका 1 से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक मूल्य उच्चतम है अर्थात् विद्यार्थी सैद्धांतिक विचारों द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु ज्ञान को अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान समझते हैं।

निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है आधुनिक शिक्षा बच्चे का बौद्धिक विकास तो करती है जब कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसके सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी पक्षों का विकास कर सके।

2. कलात्मक मूल्य छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा अधिक है अर्थात् छात्राएं चित्रकला, पेटिंग, संगीत, नृत्य, कविता एवं साहित्य, सपफाई प्रबंध की व्यवस्था आदि से छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रेम करती है।
3. आर्थिक मूल्य को लेकर छात्रों एवं छात्राओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् धन एवं सम्मान प्राप्ति की इच्छा लिंग द्वारा प्रभावित नहीं होती।
4. छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा ज्ञानात्मक मूल्य अधिक पाया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि छात्र छात्राओं की अपेक्षा सैद्धांतिक विचारों द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु ज्ञान को अधिक मूल्यवान समझते हैं।
5. छात्रों एवं छात्राओं के सुखात्मक मूल्य में कोई अंतर नहीं है अर्थात् वर्तमान को भविष्य से अधिक मूल्यवान समझाना, दुख की उपेक्षा करना आदि के प्रति दृष्टिकोण लिंग द्वारा प्रभावित नहीं होता।
6. छात्राओं की अपेक्षा छात्रों में शक्ति संबंधी मूल्य अधिक पाया गया अर्थात् छात्र छात्राओं की अपेक्षा दूसरों पर शासन करने व दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के अधिक इच्छुक है।
7. छात्र एवं छात्राओं में पारिवारिक प्रतिष्ठा संबंधी मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाना, परिवार के मान मर्यादा बनाए रखना आदि के प्रति दृष्टिकोण लिंग द्वारा प्रभावित नहीं होता।
8. छात्र एवं छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ तथा सकारात्मक दृष्टिकोण भी लिंग द्वारा प्रभावित नहीं होता।

### **व्यावहारिक शैक्षिक सुझाव**

1. ‘व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास’ - शिक्षा के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों में उचित मूल्यों को विकसित किया जाए। क्योंकि शिक्षा को परिवर्तन के सशक्त साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है इसलिए मूल्यों के विकास में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः विद्यालयों में मूल्य शिक्षा प्रदान किए जाने पर अत्याधिक बल दिया जाना

चाहिए। मूल्य शिक्षा में जानने (व्यवहार का ज्ञानात्मक पक्ष), अनुभव करने (भावनात्मक पक्ष) तथा करने (क्रियात्मक पक्ष) की तीनों मानव इन्ड्रियों व क्षमताएं शामिल होती हैं। मूल्य शिक्षा अधिगम में सम्पूर्ण क्षेत्र को ढक लेता है, यथा तर्क पूर्ण चिन्तन को विकसित करना, भावनाओं को शिक्षित करना और इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करना।

2. जिन विद्यार्थियों में पहले से ही गलत प्रकार के दृष्टिकोण बन चुके हैं, उन्हें विविध विधियों जैसे :-

- उपदेश-आदर्श विधि
- प्रभावित करने की तकनीक
- तादात्म्य या पहचान विधि
- साहचर्य विधि
- सवांतन विधि
- साक्षात्कार विधि
- कहानी सुनाने की पद्धति
- दृष्ट्यन्त कथा सुनाने की पद्धति
- मनो-अभिनय विधि
- किसी की भूमिका का अभिनय करना

आदि द्वारा बदला जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी उचित मूल्यों का अभाव है उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

3. आजकल सभी देशों में ‘सही प्रकार के विकास करने’ (sustainable development) पर बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है कि विद्यार्थियों में उचित मूल्यों पर विकास किया जाए।

4. इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अध्यापक स्वयं अपने चरित्र के उदाहरण और ज्ञान पर अपनी अधिकार-कुशलता से विद्यार्थियों को प्रभावित कर सकता है। अतः प्रत्येक विषय के अध्यापक का कर्तव्य

है कि वह अपना विषय पढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि कब, कहाँ व कैसे किस मूल्य का बच्चों में विकास किया जा सकता है। उसे सर्वप्रथम स्वयं अपेक्षित मूल्यों को आत्मसात करना होगा। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा।

5. मूल्यों का विकास वातावरण के जटिल नेटवर्क से प्रभावित होता है जिसमें परिवार और समाज भी आते हैं। परिवार समाज की उपव्यवस्था है इसलिए बच्चों में उचित मूल्यों के विकास के लिए उसका उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। माता-पिता के अतिरिक्त प्रबुद्ध नागरिक भी ‘मूल्य शिक्षा’ प्रदान कर सकते हैं। अतः विद्यालयों को यथासम्भव इनका सहयोग लेना चाहिए।
6. बच्चे के सामने उत्तम मूल्यों के जीवान्त या साक्षात् उदाहरण अध्यापक तथा माता-पिता द्वारा प्रस्तुत होते हैं अतः यह आवश्यक है कि उनके लिए अनुस्थापक कार्यक्रम (orientation program) का आयोजन किया जाए। इस तरह के कार्यक्रमों का लक्ष्य उन्हें बच्चों को उचित मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में निम्न से अवगत करवाना हो सकता है :

  - मूल्यों के प्रति संवेदना विकसित करना।
  - अपने जीवन के सर्वोच्च आदर्शों के विचार के अनुसार सही प्रकार के मूल्यों को चुनने की कुशलता विकसित करना।
  - उन चुने हुए मूल्यों को आत्म-सात्योकरण करना।
  - उनको अपने जीवन में ढालना और उनके अनुसार जीवन में निरन्तर व्यवहार करना।

7. ‘मूल्य शिक्षा’, जो कि पिछले कुछ वर्षों से विद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है, का भी अनवरत मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि अपेक्षित परिणाम सामने आ सके। इसलिए नवीन चैकलिस्टों तथा रेटिंग स्केलों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अध्यापक मूल्यों की दृष्टि से बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन कर सके। अध्यापक स्वतः निरीक्षण द्वारा भी विद्यार्थियों के समग्र व्यवहार का अध्ययन कर यह जान सकता है कि उन्होंने मूल्यों को कहाँ तक आत्मसात किया है।

**संदर्भ**

ओड, एल.के. (1989) रिसर्च डायमैन्शस ऑफ एजूकेशन फार हयूमन वेल्यूस। द जनरल ऑफ इंडियन एजूकेशन, 14(5), पृ. स. 2-5.

श्रीवास्तव, ए.आर. (1975) ए स्टडी ऑफ वैल्यूस एण्ड ऐटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेन्ट टिचर्स, एम.एड. डिज़रेट्शन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय।

चिंतक और चिंतन

## पावलो फ्रेरे के शैक्षिक चिन्तन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

देवेंद्र सिंह\* और सीमा सिंह\*\*

### भूमिका

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली सोदेश्य प्रक्रिया है। इसे जीवन की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि सबका विकास मनुष्य करता है लेकिन मनुष्य का विकास शिक्षा करती है। मानव विकास एवं मानवीय जीवन की गुणवत्ता को बनाये रखने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट दिशा देती है। इसलिए सभी चिन्तक शिक्षा से संबंधित एवं सदर्भित रहे हैं। पावलो फ्रेरे वैश्विक जगत के ऐसे ही चिन्तक हैं। वैसे तो उनके शैक्षिक विचारों (शिक्षा का सम्प्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यचर्चा, विद्यालय की अवधारणा, अनुशासन) का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतीकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन शोधकर्ता द्वारा फ्रेरे के विचारों के स्रोत (प्राथमिक एवं द्वितीयक) आधारित साहित्य के पुनरावलोकन के पश्चात् प्रस्तुत शोध पत्र में फ्रेरे के शैक्षिक चिन्तन पर वृहद् ढंग से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

### पावलो फ्रेरे की कृतियाँ

पावलो फ्रेरे वैश्विक संदर्भ के शैक्षिक चिन्तक, शिक्षक एवं शिक्षाशास्त्री हैं जिन्होंने दुनिया भर के प्रगतिशील जनवादी और समाजवादी शिक्षकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। उत्पीड़ितों की मुक्ति के लिए सामाजिक रूपान्तरण की आवश्यकता और उसमें शिक्षा की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान कर उन्होंने अपने आचरण (चिन्तन और कर्म) से उत्पीड़ितों के शिक्षाशास्त्र का निर्माण किया है जो शिक्षा की

\* रीडर, शिक्षा संकाय, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया, उ.प्र.

\*\*रिसर्च फेलो, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया, उ.प्र.

मात्र पद्धति ही नहीं बल्कि शैक्षिक दर्शन और सांस्कृतिक कर्म का सिद्धान्त है। पावलो फ्रेरे ने कुछ पुस्तकें स्वयं लिखी हैं:

पावलो फ्रेरे के विचार उनकी प्रमुख अधोलिखित कृतियों के अन्तर्गत स्थापित हैं:

1. एजुकेशन ऐज ए प्रेक्टिस ऑफ फ्रीडम (1967, 1974)
2. कल्चरल ऐक्शन फार फ्रीडम (1968, 1970)
3. पेडागाजी ऑफ आप्रेस्ट (1968, 1970)
4. एक्स्टेंशन आर कम्यूनिकेशन (1969, 1973)
5. दि पोलिटिकल लिटरेसी प्रोसेस (1970)
6. एजुकेशन फार क्रिटिकल कान्सशनेस (1973)
7. पेडागाजी इन प्रोसेस : दि लेटर्स टू गिनी बिसाऊ (1978)
8. दि इम्पार्टेन्स आफ दि एक्ट आफ रीडिंग (1982)
9. दि पालिटिक्स आफ एजुकेशन : पावर, कल्चर एंड लिबरेशन (1985)
10. पेडागाजी आफ दि सिटी (1991, 1993)
11. पेडागाजी आफ दि होप (1992)
12. पेडागाजी आफ फ्रीडम (1997)
13. पेडागाजी आफ दि हर्ट (1997)
14. पेडागाजी आफ इंडिगेशन (2000-2004)
15. वी मेक दि रोड बाई वाकिंग : कनवरसेशन्स आन एजुकेशन एंड सोशल चेंज (1990)

(पावलो फ्रेरे.काम)

उपरोक्त कृतियों के अतिरिक्त पावलो फ्रेरे ने अन्यके साथ मिलकर कुछ कृतियों की रचना की है जो अधोलिखित हैं:

1. लर्निंग टू क्वेंशचन्स : ए पेडागाजी आफ लिबरेशन (1985)
2. लिटरेसी : रीडिंग दि वर्ड एंड दि वर्ल्ड (1987)
3. पेडागाजी फार लिबरेशन : डायलाग्स आन ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन (1987)
4. फ्रेरे फार दि क्लासरूम : ए सोर्सबुक फार लिबरेटरी टीचिंग (1987)
5. टीचर्स ऐज इन्टेलेक्चुअल : टुवार्ड्स अ क्रिटिकल पेडागाजी आफ लर्निंग (1988)
6. कल्चरल वार : स्कूल एंड सोसाइटी इन दि कन्जर्वेटिव री स्ट्रेशन 1969-1984 (1988)
7. मेन्टरिंग दि मेन्टर : ए क्रिटिकल डायलाग विथ पावलो (1990)

8. पावलो फ्रेरे अन हायर एजुकेशन (1994)
9. आईडियोलाजी मैटर्स (1997)
10. क्रिटिकल एजुकेशन इन दि न्यू इन्फार्मेशन एज (1998)

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो सिर्फ अन्य द्वारा पावलो फ्रेरे के संदर्भ  
एवं विचार के ऊपर लिखी गयी हैं जो अधोलिखित हैं:

1. पावलो फ्रेरे : हिज लाइफ, वर्क्स एंड थाट (1977)
2. पावलो फ्रेरे एंड दि कान्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल लिटरेसी (1982)
3. इश्यूज इन फ्रेरेरियन पेडागाजी (1996, 1999)
4. पालिटिक्स ऑफ लिबरेशन : पाथ्स फ्राम फ्रेरे (1994)
5. पावलो फ्रेरे : ए क्रिटिकल इनकाउण्टर (1993)
6. द लिंगेसी आफ पावलो फ्रेरे : ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ हिज कन्ट्रीव्यूशन (1998)
7. दि टेक्स्ट्स आफ पावलो फ्रेरे (1993)

(रिव्यूज आफ पावलो फ्रेरे.काम)

### शिक्षा की अवधारणा

शिक्षा किसी राष्ट्र विशेष की अनिवार्य आवश्यकता है। क्योंकि इसमें निरन्तर गरिमापूर्ण चिन्तन निहित होता है। इसीलिए इसे मानव जीवन की गुणवत्ता हेतु प्रयोगशाला माना जाता है। यदि हमारा विकल्प मनुष्य के लिए है तो शिक्षा मुक्ति के लिए सांस्कृतिक कारबाई है और इसीलिए शिक्षा की अवधारणा मात्र सूचना नहीं, वरन् जानने की क्रिया है न कि कंठस्थ करने की। इसीलिए पावलो फ्रेरे के चिन्तन और कर्म में शिक्षा मात्र पद्धति ही नहीं वरन् शिक्षा का दर्शन और सांस्कृतिक कर्म का सिद्धान्त है।

(फ्रेरे 1973, 1993)

सामाजिक रूपान्तरण में शिक्षा की क्रान्तिकारी भूमिका है, क्योंकि शिक्षा महज ज्ञान का लेन-देन नहीं है बल्कि ऐतिहासिक रूप से आवश्यक राजनीतिक गतिविधि है तथा क्रान्तिकारी सांस्कृतिक कर्म हैं। शिक्षित होने का मतलब मनुष्य (इंसान) बनना है और पूर्णतर मनुष्य तभी बना जा सकता है, जब अमानुषिक बनाने वाले उत्पीड़नकारी यथार्थ को पूर्णतः बदल दिया जाय। अतः शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण के लिए किया जाने वाला नैतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कर्म है, जिसमें शिक्षक और छात्र परस्पर संवाद और संप्रेषण करते हुए यथार्थ आचरण करते हैं।

(सिन्हा 1995)

### शिक्षा की अवधारणा

शिक्षा के उद्देश्य शैक्षिक मूल्य से संबंधित होते हैं। पावलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का मानवतापूर्ण विकास है एवं लोगों का मानुषीकरण (ह्यूमनाइजेशन) करना है। जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। शिक्षा को सामाजिक जीवन पद्धति के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। लेकिन आधारभूत विचार यह है कि जिस समाज में प्रभुत्वशाली अभिजनों का एक अल्प तंत्र बहुसंख्यक जनता पर शासन करता है वह अन्यायपूर्ण तथा उत्पीड़नकारी समाज होता है। ऐसे समाज की व्यवस्था मनुष्य को वस्तु में बदलकर उन्हें अमानुषिक बनाती है, जबकि मानव का ऐतिहासिक व अस्तित्वमूलक कर्तव्य पूर्णतर मनुष्य (सभ्य एवं सुसंस्कृत) बनना है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों अमानुषिक होते हैं। अतः शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य लोगों का मानुषीकरण करना एवं अमानुषीकरण को पूर्णतः समाप्त करना होना चाहिए। जो सामाजिक रूपान्तरण द्वारा सम्भव है। हालांकि मानुषीकरण एवं अमानुषीकरण के ये दोनों विकल्प वास्तविक हैं तथापि मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य (इंसान) बनना ही है। इस प्रकार अमानुषीकरण एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य होते हुए भी कोई प्रदत्त नियति नहीं, बल्कि उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम है, जो उत्पीड़ितों को हिंसक बनाती है और बदले में उनको यह हिंसा उत्पीड़ितों को अमानुषिक बनाती है। वह मनुष्य जो अभी अपूर्ण है और अपनी अपूर्णता को जानता है अगर अमानुषिक हो सकता है तो मनुष्य भी बन सकता है।

अमानुषीकरण के कारण व्यक्ति ‘खामोशी की संस्कृति’ में रहने लगता है। इस प्रकार पावलो फ्रेरे अमानुषीकरण एवं खामोशी की संस्कृति को दूर करने के लिए शिक्षा को परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

(कोलिन्स-1977)

खामोशी की संस्कृति में जनता ‘मूक’ होती है अर्थात् अपने समाज के रूपान्तरण में रचनात्मक रूप से भाग लेने से उन्हें रोका गया है और इसलिए उन्हें अपने होने से रोका गया है। निरक्षर लोग जानते हैं कि वे ठोस मनुष्य हैं। खामोशी की संस्कृति जिसमें वे संदिग्ध द्वैत प्राणी हैं, उसमें वे यह नहीं जान पाते कि मनुष्य के कार्य रूपान्तरणशील, रचनात्मक और पुनर्रचनात्मक होते हैं। इस संस्कृति की मिथक के साथ-साथ अपनी स्वयं की ‘स्वभाविकहीनता’ के मिथक से पराभूत, वे नहीं जानते हैं कि संसार में उनके किये गये कर्म भी रूपान्तरणशील हैं।

(पावलो फ्रेरे, 1997)

## शिक्षण विधि

पावलो फ्रेरे अपने शिक्षण विधि के अन्तर्गत जननशील शब्द संकेतीकरण एवं विसंकेतीकरण का जिक्र करते हैं। आक्षरिक भाषा के जननशील शब्द को किस तरह विखंडित किया जाता है और नये शब्द का निर्माण किया जाता है।

### जननशील शब्द

साक्षरता पाठ्यक्रम के शुरूआती अनुसंधार के दौरान ‘भाषिक सार्वभौम’ से एक त्रिआक्षरिक शब्द का चयन किया। उदाहरण FAVELA (स्लम)

### संकेतीकरण

एक स्लम में मनुष्य की अस्तित्वपरक स्थिति के महत्वपूर्ण पहलू की कल्पना करना। इस संकेतीकरण में जननशील शब्द को सम्मिलित किया जाता है। ज्ञानवान कर्ता अर्थात् शिक्षक और शिक्षार्थी जानने की क्रिया में जिसे संवाद में प्राप्त करते हैं, उनके बीच मध्यस्थ ज्ञेय वस्तु के रूप में संकेतीकरण कार्य करता है।

### सैद्धांतिक संदर्भ

संस्कृति परिचर्चा मण्डल जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी वस्तुगत स्लम यथार्थ के संकेतीकरण के माध्यम से स्लम यथार्थ के कारणों के बारे में संवाद में लगे रहते हैं। जानने का यह कार्य यथार्थ की वास्तविक उजागर होती है और यथार्थ पर पढ़े मिथकीय आवरण को अलग करने लगती है। यह ज्ञानात्मक संक्रिया शिक्षार्थी की यथार्थ की व्याख्या को सिर्फ उसकी राय तक सीमित रखने से अधिक आलोचनात्मक ज्ञान में रूपांतरित करने में समर्थ बनाती है। इस प्रकार सैद्धांतिक संदर्भ के रूप में संस्कृति परिचर्चा मण्डल एक ऐसा विशेषकृत परिवेश है जहाँ हम स्लम के ठोस संदर्भ से प्राप्त तथ्यों को आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करते हैं। उन तथ्यों को प्रतिरूपित करने वाला संकेतीकरण ही ज्ञेय वस्तु है। संकेतीकृत पूर्णता को विखण्डित करना और पुनः उसे साथ-साथ रखना (पूर्ण बनाना) विसंकेतीकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानवान कर्ता जानने का प्रयत्न करते हैं।

### विसंकेतीकरण के चरण

1. ज्ञानवान कर्ता पूर्ण संकेतीकृत को विखंडित करने की संक्रिया प्रारम्भ करते हैं।
2. स्लम की अस्तित्वपरक स्थिति के पूर्ण विश्लेषण के द्वारा बाद में जननशील

और उससे जो लक्षित होता है, उनके बीच के अर्थगत संबंध को यह स्थापित करता है।

3. स्थिति में शब्द को देखने के बाद, स्थिति के बिम्ब के बिना दूसरी स्लाइड प्रक्षेपित की जाती है, जिस पर केवल शब्द व्यक्त होता है। FAVELA
4. जननशील शब्द अपने अक्षरों (लैलसांइसमे) में तत्काल अलग-अलग हो जाते हैं। (FA-VE-LA)
5. तत्काल प्रथम अक्षर के 'परिवार' (थंउपसल) को दर्शाया जाता है। (FA, FE, FI, FO, FU)
6. इसके बाद शब्द के दूसरे अक्षर का परिवार प्रस्तुत किया जाता है- (VA, VE, VI, VO, VU)
7. इसके बाद शब्द के तीसरे आधार पर परिवार (LA, LE, LI, LO, LU)

इन स्लाइड को 'खोज की स्लाइड' कहा जाता है। इसके बाद शिक्षक, शिक्षार्थियों से पूछता है, क्या आपके विचार में हम (कभी क्या आपके विचार में आप कभी न कहें) इन टुकड़ों से कुछ न रच सकते हैं। सीखने का यह निर्णायक क्षण होता है। यह वह क्षण हैं जब पढ़ना-लिखना सीखने वाले अपनी भाषा में शब्दों के आक्षरिक संयोजन को खोजते हैं। तत्पश्चात् शिक्षार्थी छोटी टिप्पणी लिखना शुरू कर देते हैं, यद्यपि वे संकेतीकरण में प्रतिरूपित वास्तविक संदर्भ पर विचारविमर्श और आलोचनात्मक विश्लेषण को जारी रखते हैं।

(फ्रेरे-1970, 1993, पारख, 1997)

### **पाठ्यचर्या एवं विषय वस्तु**

पावलो फ्रेरे शिक्षा के सिद्धान्त के लिए पाठ्यचर्या में शिक्षण विधि की संवादात्मक एकता पर बल देते हैं। फ्रेरे के लिए शिक्षा की अभिक्रमित पाठ्यचर्या एवं राजनैतिक क्रिया समान चीज है। इसीलिए वे शिक्षक को कलाकार एवं राजनेता मानते हैं। शिक्षक एवं राजनेताओं के अनुरूप वर्तमान, समसामयिक एवं सांदर्भिक पाठ्यचर्या होती है। शिक्षा की अभिक्रमित पाठ्यचर्या शिक्षक एवं लोगों द्वारा यथार्थ का अन्तर्संबंध है। शैक्षिक कार्यक्रम की अन्तर्वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्यों के बीच मध्यस्था करने वाले यथार्थ की ओर तथा शिक्षकों और जनता द्वारा किये जाने वाले उस यथार्थ के बोध की ओर देखना चाहिए। जनता के पास 'उत्पादक मूल विषयों' का विशाल

तंतुजाल होता है जिसे फ्रेरे ने मूल विषयों की समष्टि का नाम दिया है। स्वतंत्रता के व्यवहार के रूप में शिक्षा संवाद से आरम्भ होती है और संवाद आरम्भ होता है थीमेटक यूनिवर्स के अनुसंधान से। अतः अनुसंधान की पाठ्यचर्या भी संवादात्मक ही होनी चाहिए इससे जनरेटिव थीम्स को खोजने का अवसर तो मिलता ही है, इन जनरेटिव थीम्स से संबंधित जनता की अभिज्ञा को उद्दीपित करने का अवसर भी मिलता है। संवादात्मक शिक्षा के मुक्तिदायी उद्देश्य की संगति में अनुसंधान की वस्तु मनुष्य नहीं, बल्कि वह विचार भाषा है जिसका प्रयोग मनुष्य यथार्थ की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। इस अनुसंधान की वस्तु उस बोध के विभिन्न स्तर हैं जिन पर मनुष्य यथार्थ का अवबोधन करते हैं और इस अनुसंधान की वस्तु उस बोध के विभिन्न स्तर हैं जिन पर मनुष्य यथार्थ का अवबोधन करते हैं और इस अनुसंधान की वस्तु है विश्व के संबंध में लोगों की दृष्टि जो उनके 'जनरेटिव थीम्स' का स्रोत होती है।

(फ्रेरे, 1973, सिन्हा, 1995)

किसी युग की विशेषता होती है विचारों अवधारणाओं, आशाओं, संदेहों, मूल्यों व चुनौतियों की वह द्वन्द्वात्मक अन्योन्यक्रिया जिसमें ये सब चीजें अपने विरुद्धों से संघर्ष करती हुई अपनी परिपूर्णता की दिशा में बढ़ने का प्रयास करती है। इनमें से बहुत से विचारों, मूल्यों अवधारणाओं और आशाओं का तथा मनुष्य के पूर्ण मानुषीकरण में आने वाली बाधाओं का भी, जो ठोस निरूपण होता है उससे युग के मूल विषय संघटित होते हैं। इन मूल विषयों में ऐसे अन्य मूल विषय भी अन्तर्निहित होते हैं, जो विरोधी या सर्वथा विपरीत होते हैं। लेकिन उनसे भी पता चलता है कि उस युग के कार्यभार क्या थे जिन्हें पूरा किया जाना था। इस प्रकार ऐतिहासिक मूल विषय कभी अलग-अलग, स्वाधीन संबंधीन या स्थिर नहीं होते। वे अपने विरुद्धों से निरन्तर द्वन्द्वात्मक अन्योक्रिया करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये मूल विषय मनुष्य-विश्व संबंध के अलावा और कहीं भी नहीं पाये जा सकते। किसी युग के अन्योन्यक्रियारत मूल विषयों का सम्मिश्रित समूह ही 'मूल विषयों की समष्टि' (थीमेटिक यूनिवर्स) है।

मनुष्य जब द्वन्द्वात्मक अन्तर्विरोध में इस 'यूनिवर्स आफ थोम्स' से टकराते हैं तो वे भी उतने ही अन्तर्विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं। मूल विषय यथार्थ की अभिव्यक्ति होते हैं, अतः यथार्थ में जैसे अन्तर्विरोध होते हैं, वैसे ही इन मूल विषयों में आपसी विरोध होते हैं। अब यह विरोध गहराता है तो मूल विषय मिथकों का रूप धारण करने लगते हैं और यथार्थ का भी मिथकीकरण होने लगता है। इससे अविवेक और संकीर्णतावाद का वातावरण बनता है। यह वातावरण मूल विषयों को उनके गम्भीर अर्थों

से रिक्त और उनकी गतिशीलता से जो उनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वंचित कर दिये जाने का खतरा पैदा करता है। ऐसी स्थिति में मिथक गढ़ने वाला अविवेक स्वयं एक आधारभूत मूल विषय बन जाता है। इसका विरोधी मूल विषय होता है विश्व के प्रति एक आलोचनात्मक और गतिशील दृष्टिकोण, जो यथार्थ पर पड़े परदे हटाने, मिथकीकरण के मुखौटे उतारने और मानवीय कार्यभार को सम्पूर्णतः सम्पन्न करते का प्रयास करता है। जिसका अर्थ होता है मनुष्यों की मुक्ति के लिए यथार्थ का स्थाइ रूपान्तरण। जनरेटिव थीम्स मूल विषय संकेन्द्रित वृत्तों में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हुए मिल जाते हैं।

पावलो फ्रेरे विषय वस्तु को ऐतिहासिक व सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं मानते हैं। उदाहरणार्थ यदि विद्यार्थी को जीव विज्ञान पढ़ाना है तो उससे केवल देश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बात करना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी नहीं किया जा सकता कि ऐतिहासिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य को उपेक्षित कर जीव विज्ञान ही पढ़ाता जाये। इस प्रकार पाठ्यचर्चा में विद्यार्थियों को यह बताया जाये कि जीव विज्ञान विषय अपने आप में कुछ नहीं है। यदि कोई शिक्षक इस ढंग से जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान या अन्य विषय पढ़ाता है तो विद्यार्थियों की आलोचनात्मक क्षमता बढ़ती है और यह जानकारी कर पाता है कि जीव विज्ञान व अन्य विषय सामाजिक जीवन से अलग नहीं हैं। इस प्रकार पावलो फ्रेरे अपनी पाठ्यचर्चा एवं विषय वस्तु में अन्तर अनुशासनिक उपागम सामान्य से विशिष्ट की तरफ एवं संदर्भ पर बल देते हैं।

### शैक्षिक व्यवस्था

पावलो फ्रेरे का मानना है कि उत्कृष्ट शैक्षिक व्यवस्था के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक परिवेश का होना आवश्यक है। बिना अध्यापक, विद्यार्थी एवं उद्देश्य के कोई भी शैक्षिक व्यवस्था नहीं हो सकती और इसे उक्त परिस्थिति के आगे जाना ही होगा। शैक्षिक परिवेश में प्रविधियों एवं तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है और इन सबको मिलाकर एक प्रक्रिया निहित होती है शिक्षक को शैक्षिक कार्यक्रम की विषय-वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए। यहाँ संदर्भ यह जानने का है कि कार्यक्रम कैसे तैयार किया जाय, किसके पास कार्यक्रम चुनने की क्षमता है, विषय-वस्तु का चयन कैस किया जाय, विषय-वस्तु को संगठित करने का क्या तरीका है, सबसे पहले विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान का आंकलन किया जाय, पावलो फ्रेरे का मानना है कि शैक्षिक व्यवस्था उपरोक्त संदर्भों का उत्तर

निश्चित रूप से प्राप्त होना चाहिए। जो शिक्षक पढ़ाता नहीं वह मृत प्रायः है। यदि वह शिक्षित है तो उसे कुछ न कुछ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। शिक्षक के लिए केवल विषयवस्तु की जानकारी ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसे पेड़गाजी की भी अद्यतन जानकारी ही नहीं अपितु प्रयोग पद्धति भी आवश्यक है। उसे केवल विषय-वस्तु की ही नहीं बल्कि इसके ऐतिहासिक संदर्भ की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी उत्कृष्ट गुणात्मक शैक्षिक व्यवस्था बनी रह सकती है।

(हार्टन एवं फ्रेरे 1990, पृष्ठ-81)

### अनुशासन

पावलो फ्रेरे बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुशासन को सीमांकन के दायरे में रखने का सुझाव देते हैं। बालकों को अपने विस के लिए अपनी सीमा को पहचानना होगा। सीमा के अभाव में स्वतंत्रता नहीं रह जाती। इसमें व्यवस्थापकों के लिए आना कर्तव्य का निर्वाह करना भी असम्भव हो जाता है। माता-पिता के अनुशासन के बिना बालक का सही दिशा में विकास नहीं हो पाता। यह कोई हिसाब-किताब नहीं है कि  $4 \times 4 = 16$  होता है। शिक्षण संस्था में शिक्षक द्वारा लगाई गयी सीमाओं के बिना विद्यार्थी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। शिक्षक को ये सीमायें जबरन आरोपित करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ- यदि विद्यार्थी स्वतंत्रता के नाम पर मनमाने ढंग से कक्षा के बाहर और अन्दर आते-जाते रहें तो किसी भी शिक्षक के लिये पढ़ाना सम्भव नहीं होगा। शिक्षक यदि पहले ही दिन यह नहीं कह पाये ‘‘नहीं यह असम्भव है, आपको मेरे ही समान समय पर आना और जाना होगा।’’ उस शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के मन में क्या सम्मान होगा जो कभी समय पर नहीं आते और कक्षा में नहीं आने के लिए विद्यार्थियों से समझौता कर लेते हैं जो शिक्षक गुपचुप रूप से विद्यार्थियों को अगली कक्षा में न आने के लिए उकसाते हैं, उन्हें सम्मान प्राप्ति को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अपने नियंत्रण या अधिकार की सीमा लांघ चुके हैं। स्वतंत्रता (स्वच्छंदतायुक्त) इस प्रकार के आदेश का सम्मान नहीं करती और इससे संबंध ध्वस्त हो जाते हैं। इसप्रकार पावलो फ्रेरे माता-पिता, शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच समन्वयकारी स्वतंत्रतायुक्त अनुशासन पर बल देते हैं जिसमें संबंधित की सीमा एवं भूमिका निश्चित हो।

(बेल, गैवेंटा, पीटर्स 2003)

### विद्यालय

विद्यालय के बारे में पावलो फ्रेरे के विचार पाश्चात्य चितंक इवान इलिच मे विचार से प्रभावित है। फ्रेरे का मानना था कि स्कूल या विद्यालय के बाहर की शिक्षा जैसे कोई

चीज हो सकती है। पावलो फ्रेरे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस बात को लेकर है कि उन्होंने शैक्षिक जगत में इस विचार को स्थापित किया है कि प्रयोगात्मक शिक्षा जैसी कोई चीज हो सकती है। पावलो फ्रेरे विद्यालय में प्रचलित शिक्षा को वर्णनात्मक मानते हैं। यदि विद्यालय के अन्दर या बाहर किसी भी स्तर के शैक्षिक-छात्र संबंध का विश्लेषण किया जाय तो इसकी प्रकृति वर्णनात्मक है, अर्थात् विद्यालय में प्रचलित शिक्षा भी वर्णन के रोग से पीड़ित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि फ्रेरे के विचार इवान इलिच से प्रभावित हैं। शैक्षिक भूमिका का निर्वाह करने में विद्यालय अनुपयुक्त हैं। इवान इलिच के अनुसार- ‘‘विद्यालयों के अन्तर्गत समानता के अवसर देने की बजाय अधिक स्वस्थ, धनी एवं अच्छे घरानों के बालकों को प्रश्रय एवं वरीयता प्राप्त होती है। यहाँ ज्ञान को एक वस्तु माना जाता है जिसे छोटी-छोटी पुड़ियों में बंद करके वितरित करना संभव है तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उपलब्ध होती है। यह जीवन की मांगों को पूरा करने में अपर्याप्त है।’’

(गजराडो, 2000)

पावलो फ्रेरे भी पूर्ण कालिक संस्थागत शिक्षा के विरोधी हैं क्योंकि उनका मानना है विद्यालय शिक्षा अमानुषीकरण को बढ़ावा दे रही है इसलिए विद्यालय से बाहर की शिक्षा जैसी कोई चीज हो सकती है।

### शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध

संस्था के बाहर का हो या अन्दर का यदि किसी भी स्तर के शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध का विश्लेषण किया जाय तो दोनों के बीच संबंध की प्रकृति मूलतः वर्णनात्मक है। एक ओर वर्णनकारी कर्ता (शिक्षक) होता है और दूसरे ध्रुव पर श्रवणकारी वस्तुएं (छात्र) मूल्य हों या यथार्थ को प्रत्यक्ष आयाम, जिनका वर्णन किया जाता है, वर्णन की प्रक्रिया में निर्जीव व अश्मीभूत हो जाती है। अतः शिक्षा भी वर्णन के रोग से पीड़ित है। शिक्षक यथार्थ के विषय में इस तरह बोलता है, मानो वह (यथार्थ) कोई गतिहीन, स्थिर, खानों में बंटी हुई और ऐसी चीज हो, जिसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती हो या वह फिर किसी ऐसे विषय का प्रतिपादन करता है, जिसका छात्रों के अस्तित्वगत अनुभव से कोई संबंध नहीं होता। उसका काम है अपने वर्णन की अन्तर्वस्तुओं से छात्रों को भर देना और वे अन्तर्वस्तुएं यथार्थ से कटी हुई होती हैं। इस प्रक्रिया में शब्दों से उनका ठोसपन गायब हो जाता है और वे ऐसा खोखला वाग्जाल बन जाते हैं, जो यथार्थ से अलग होता है और अलगाव पैदा करता है। अतः इस वर्णनात्मक शिक्षा की प्रमुख विशेषता शब्दों की निनादिता होती है, न कि उनकी रूपान्तरकारी शक्ति। ‘‘चार चौके

सोलह होते हैं, पारा की राजधानी बेलैम है।'' छात्र इन बातों को सुनता है, रटता है और यह जाने बिना इन्हें दोहराता है कि 16 और राजधानी का क्या सम्प्रत्यय है। वर्णनकर्ता शिक्षक छात्रों को वर्णित वस्तु की यांत्रिक ढंग से रट लेने की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ छात्रों को पात्र या बरतन बना देता है जिन्हें शिक्षक द्वारा भरा जाना होता है। जो इन पात्रों को जितना ज्यादा भर सके वह उतना ही अच्छा शिक्षक, जो जितने ज्यादा दब्बूपन के साथ स्वयं को भरने दे, वे उतने ही अच्छे छात्र।

(उपाध्याय, 1995, पृष्ठ-52)

### धार्मिक शिक्षा

मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से तीन पक्ष हैं- प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। उसने इन तीनों के उन्नयन के लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ सिद्धान्त एवं नियम निश्चित किये हैं। इनमें से आध्यात्मिक सिद्धान्तों और नियमों का पालन करना धर्म कहलाता है। धर्म एक प्रकार से नैतिक संहिता एवं उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन जीने के ढंग है। यही आचरण ही सर्वोच्च धर्म है। पावलो फ्रेरे सुर्संगति एवं सहनशीलता को धार्मिक गुण मानते हैं। वे विचारों (धार्मिक) को जबरन थोपने के पक्ष में नहीं थे। जो व्यक्ति अपने को आरोपित करने का प्रयास करता है, कभी-कभी उसका व्यवहार या दृष्टिकोण गैर जिम्मेदाराना हो जाता है, किन्तु कभी-कभी आरोपण न करना आरोपण से भी बुरा होता है परन्तु यदि आप आरोपित नहीं करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं तो आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी निर्मित नहीं कर रहे हैं। निर्माण की दृष्टि से यह खराब है।

(फ्रेरे-2003, पृष्ठ-183)

### आलोचनात्मक मूल्यांकन

पावलो फ्रेरे का चिन्तन विकसित एवं विकासशील देशों के लिए सांदर्भिक रूप से उपादेय है, क्योंकि फ्रेरे के अनुसार-

- शिक्षा सिर्फ सूचना का पर्याय न होकर मुक्ति की सांस्कृतिक कार्रवाइ वै एवं जानने की क्रिया है।
- शिक्षा प्रणाली में पुस्तकीय ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान एवं स्मरण का कोई स्थान नहीं है।
- पावलो फ्रेरे के शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य अमानुषीकरण को समाप्त करके व्यक्ति पूर्णतः मानुषीकरण करना।
- प्रचलित शिक्षा पद्धति- बैंकीय शिक्षा को फ्रेरे 'मृत्यु प्रेम' मानते हैं, वहीं समस्या

- उठाऊ शिक्षा जो मानुषीकरण से संबंधित है, को 'जीवन प्रेम' मानते हैं
- तत्कालीन शिक्षा प्रणाली वर्णन के रोग से पीड़ित हैं
  - शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध के लिए अनुशासन के अन्तर्गत 'सीमा' का होना अनिवार्य है।
  - शैक्षिक विचारधारा में ऐतिहासिक भौतिकवाद, हेगेल का द्वन्द्ववाद, अस्तित्ववाद और दृश्य प्रपञ्चशास्त्र का उत्कृष्ट नवोन्मेषकारी संश्लेषण है।
  - उत्पीड़ितों की सामाजिक रूपांतरण से होगी और सामाजिक रूपांतरण में शिक्षा की क्रान्तिकारी भूमिका है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान का स्थानांतरण मात्र न होकर एक संज्ञानात्मक क्रिया है एवं ऐतिहासिक रूप से आवश्यक राजनीतिक गतिविधि तथा क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्म है।
  - शिक्षा की समस्या उठाऊ पद्धति में शिक्षा 'छात्रों का शिक्षक' नहीं रह जाता और छात्र 'शिक्षक के छात्र' नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को शिक्षित करने वाले तथा शिक्षित होने वाले 'शिक्षक-छात्र' और 'छात्र-शिक्षक' बन जाते हैं। इसप्रकार दोनों अपना तथा समाज का रूपांतरण करते हैं।
  - साक्षरता पढ़ना, लिखना एवं समझना न होकर सिर्फ सैद्धांतिक अवधारणा न होकर मुक्ति की सांस्कृतिक कारवाई है, जिसमें विवेकीकरण एवं आलोचनात्मक चेतना निहित है, जिसका उद्देश्य मानुषीकरण है।
  - पावलो फ्रेरे के विचार इवान इलिच, जान पाल सात्र एवं इरिक फ्राम से विचारों एवं सैद्धान्तिक अवधारणाओं से संबंद्ध हैं।
  - पावलो फ्रेरे के चिन्तन की चर्चित कृति 'पेडागाजी आफ आप्रेस्ड' शिक्षा की पूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत करती है क्योंकि वह सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र न होकर उसमें शिक्षा का दर्शन एवं सांस्कृतिक कर्म का सिद्धान्त है।
  - पावलो फ्रेरे का चिन्तन अनिवार्यतः सांदर्भिक रूप से उपादेयता समाहित किये हुए हैं, तथापि उनके चिन्तन का अनुप्रयोगात्मक पक्ष न्यून हैं क्योंकि-
  - पावलो फ्रेरे का चिन्तन मूलतः इस बिन्दु पर आधारित है कि हम या तो उत्पीड़ितों के साथ हैं या उनके विरुद्ध यह शिक्षण प्रारम्भ करने का महत्वपूर्ण संदर्भ हो सकता है, लेकिन अक्षरशः यह सामान्यतया (राजनीतिक) विश्लेषण ही है।
  - पावलो फ्रेरे का उपागम संरचित शैक्षिक परिस्थितियों के लिए निर्मित है। प्रारम्भ बिन्दु अनौपचारिक हो सकता है लेकिन शैक्षिक परिदृश्य औपचारिक ही होता है। (टेर्र - 1993) दूसरे शब्दों में उसका उपागम पाठ्यचर्चा आधारित है, लेकिन

शिक्षक सिखाने योग्य क्षण से संबंधित होता है, लेकिन जब हम केंद्रित करते हैं तो दूसरे के साथ वार्तालाप को उपेक्षित कर देते हैं।

- समस्या उठाऊ पढ़ति में विचारों एवं मूल्यों की ‘स्मगलिंग’ होती है। फ्रेरे के उपागम में ‘अंश’ का अन्तर है, प्रकार का नहीं। जिस व्यवस्था की फ्रेरे आलोचना करते हैं।

(टेलर-1993, प147-148)

- फ्रेरे का साक्षरता प्रतिमान भी समस्याओं को समेटे हुए है। जब हम उत्तर राज्यों के राजनैतिक योजना को लेते हैं तो फ्रेरे का विश्लेषण संज्ञानात्मक विकास एवं साक्षरता एवं तार्किकता का संबंध संदेहास्पद होता है।

(स्ट्रीट-1983, पृष्ठ-14)

उनका कार्य स्वायत्तशासी प्रतिमान के मान्यताओं से असहाय सा होता है।

अंतिम आलोचना पावलो फ्रेरे के चिन्तन की मौलिकता से संबंधित है। टेलर (1993) के अनुसार फ्रेरे का चिन्तन सब पदार्थों का सर्वोत्तम भाग ग्रहण करने वाला दार्शनिक की भाँति है। ‘पेडागाजी आफ आप्रेस्ड’ की संरचना सामान्यतर रूप से कोसिक के ‘डाइलेक्टिक आफ कान्क्रीट’ (स्पैनिश भाषा में 1960 में प्रकाशित) से संबंधित है। दूसरी तरफ उनके विचार मार्टिन बूबर एवं इरिक फ्राम से लिये गये हैं।

### निष्कर्ष

पावलो फ्रेरे (19 सितम्बर 1921 से 2 मई 1997) का शैक्षिक सफर अत्यन्त ही तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों का आइना है। जिसमें उनका शैक्षिक चिन्तन स्पष्ट झलकता है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व (चिन्तन और कर्म) की वैश्विक जगत में सांदर्भिक व अनुप्रयोगात्मक उपादेयता बनी रहेगी। पावलो फ्रेरे का मानना है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शिक्षा का मुख्य आधार है, मनुष्य का विश्वास, विश्वास भी यह कि सीखने वाला यह मानने लगे कि उसे अपने देश, उसे अपने महाद्वीप और अपने विश्व की समस्याओं पर विचार करने का अधिकार है, शिक्षा तो एक प्रकार का प्रेम-कर्म है और प्रेम में साहस आवश्यक है इसलिए शिक्षा के प्रति प्रेम का आधार साहस है। शिक्षा कभी यथार्थ के विश्लेषण से घबराती या डरती नहीं है। यदि वह सत्य प्रकट करने का दर्द या डर पालेगी तो शिक्षा न रहकर पाखण्ड रह जायेगी और सृजनात्मक संवाद शिक्षा से समाप्त हो जायेगा। इसलिए शिक्षा को लोक तांत्रिक प्रक्रिया के समन्वय का कार्य करना होगा।

(पलाश-1993)

अतः शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण के लिए किया जाने वाला नैतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कर्म है जिसमें शिक्षक और छात्र परस्पर संवाद व संप्रेषण करते हुए यथार्थ पर चिन्तन और कर्म करते हैं तथा समाज का रूपान्तरण करते हैं। निष्कर्षतः पावलो फ्रेरे का चिन्तन, जब भी शिक्षण-अधिगम में नव प्रयोग होगा, उसकी सांदर्भिक उपादेयता बनी रहेगी।

### संदर्भ

- ठेर्र, सी.ए. (1993) फ्राम दि पेडागाजी आफ आप्रेस्ड टू ए लूट कान्टीन्यूआ, दि पोलिटिकल पेडागाजी आफ पावलो फ्रेरे, लन्दन : रूटलेज।
- टेलर, पी. (1993) द टेक्स्ट्स आफ पावलो फ्रेरे, वकिंघम : ओपेन यूनिवर्सिटी प्रेस पृष्ठ 93 पारख, जवरीमल्ल (1992) प्रौढ़ साक्षरता : मुक्ति की सांस्कृतिक कार्यवाही नई दिल्ली : ग्रन्थ शिल्पी पृष्ठ 78-79
- फ्लाश (1993) शिक्षा एवं लोकतंत्र, म.प्र. राज्य शिक्षक एंव प्रशिक्षक मण्डल, भोपाल, अगस्त-सितम्बर 1993, पृष्ठ-18
- फ्रेरे पावलो (1973) एजुकेशन फार क्रिटिकल कान्सशनेस, न्यूयार्क : कान्टीन्यूयम सीरीज पृ. 23
- फ्रेरे पावलो (1970) पेडागाजी आफ आप्रेस्ड, पेनगुइन बुक्स एजुकेशन सीरीज
- फ्रेरे पावलो (1997) पेडागाजी आफ दि हर्ट, न्यूयार्क : कान्टीन्यूयम सीरीज
- बेल ब्रेंडा, गैवेटा, जान एंड पीटर्स, जान (2003) चलकर राह बनाते हम शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर वार्तालाप, नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान पृष्ठ-107
- वालिया, शेली, पेडागाजी आफ सोशल लिबरेशन, दि हिन्दू 2 जनवरी 2005
- स्ट्रीट, बी.बी. (1984) लिटरेसी इन थियरी एंड प्रेक्टिस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
- हार्टन, एम एंड पावलो फ्रेरे (1990) वी मेक दि रोड बाई वाकिंग कनवरसेशन्स आन एजुकेशन एंड सोशल चेंज, फिलाडेल्फिया, टेम्पूल युनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 81
- सिन्हा, कुमुद (1995) कम्परेटिव स्टडी आफ गांधी एंड फ्रेरे, नई दिल्ली, कामनवेल्थ पब्लिशर
- गजराडे, मारसीलो (2000) इवान इलिच, प्रासपेक्ट्स, दि क्वाटरली रिव्यू आफ कम्परेटिव एजुकेशन, पेरिस : यूनेस्को।
- कोलिन्स, डेनिस ई (1977) पावलो फ्रेरे : हिज वर्क्स, लाइफ, एंड थार्ट्स, न्यूयार्क : पावलिस्ट प्रेस।

## समीक्षालेख

# आरक्षण नीति पर शिक्षकों का सम्यक दृष्टिकोण

एस.एम.आई.ए. जैदी\*

आरक्षण नीति और शिक्षक लेखक: नीरज प्रिया, प्रकाशक: रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण: 2007 पृष्ठ 250, मूल्य 425/-

हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लिए गए अनेक महत्वपूर्ण फैसलों में फैसला पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करना या इस सिलसिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अलग आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। हालांकि शुरू में यह प्रावधान केवल दस वर्ष के लिए था परंतु समय पर संशोधन करके इस प्रावधान की अवधि को आगे बढ़ाया जाता रहा है और देश की स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद आज भी यह आरक्षण जारी है। यह मुददा काफी समय से चर्चा का विषय रहा है और अब भी इस पर चर्चा होती रहती है कि क्या आरक्षण का समय प्रावधान अब भी जारी रहना चाहिए या फिर इस पर पुनर्विचार करने या इसको समाप्त करने की आवश्यकता है।

समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण नीति के समर्थक भी हैं और इसका विरोध करने वाले भी, और दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क इस प्रावधान को जारी रखने और समाप्त करने के विषय में दिए जाते रहे हैं। यह बात विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर शिक्षित लोगों के क्या विचार हैं और खास तौर पर वे शिक्षित लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है और वे लोग जो आरक्षण की परिधि से

\* प्रोफेसर और अध्यक्ष, शैक्षिक योजना विभाग, न्यूपा, नई दिल्ली

बाहर हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी विषय पर एक शोध कार्य है जिसमें आरक्षण नीति के विषय पर शिक्षकों का विचार जानने का प्रयास किया गया है। ये शिक्षक जिनके विचार पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं स्कूलों में पढ़ाने वाले भी हैं और कालेजों में पढ़ाने वाले भी।

पुस्तक में आरक्षण नीति व उससे जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से अध्ययन का केंद्र शिक्षक को बनाया गया है। विशेष तौर पर इस अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या यह आरक्षण जैसे मुद्दे पर उनकी सोच पर उनकी जातीय श्रेणी का प्रभाव पड़ता है अथवा यह सोच एक उस शिक्षित वर्ग की है जो भारतीय समाज में श्रेणी से उपर उठकर एक लोकतांत्रिक व समता व्यापी राष्ट्र का नागरिक है।

पुस्तक की लेखिका ने दिल्ली के स्कूलों और कालेजों के शिक्षकों के विचारों का अध्ययन किया है। अध्ययन में दिल्ली क्षेत्र के चार भागों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम) में प्रत्येक क्षेत्र से पांच-पाँच स्कूलों का चयन किया गया जिसमें से दो बालिकाओं के दो बालकों के और एक सह-शिक्षा स्कूल लिया गया है। इस प्रकार कुल 20 स्कूलों का चयन करके प्रत्येक स्कूल से 12 शिक्षकों को रैंडम विधि से चुना गया। इस प्रकार कुल 240 शिक्षकों (स्कूल स्तर के) का चयन किया गया और इनमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इसमें आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल 80 कालेजों में से 8 कालेजों का चयन किया गया जिनमें 4 महिला और 4 सहशिक्षा कालेज थे। प्रत्येक कालेज से रैंडम विधि द्वारा 15 शिक्षकों का चयन करके कुल 120 कालेज शिक्षकों को अध्ययन नमूने में शामिल किया गया है। इस प्रकार इस पुस्तक में प्रस्तुत अध्ययन में कुल 360 शिक्षकों को चुना गया जिनमें से स्कूलों के 240 और कालेजों के 120 शिक्षक थे। परंतु पुस्तक के अनुसार कुल शिक्षक जिनसे इस शोध कार्य के लिए संपर्क किया जा सका उनकी संख्या 240 थी जिनमें 175 स्कूल शिक्षक और 65 कालेज शिक्षक थे। अतः यह अध्ययन कुल 240 शिक्षकों के द्वारा दिए गए विचारों पर आधारित है।

अध्ययन में चयन किए गए नमूने में दिल्ली के कुल 20 स्कूल लिए गए हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस नमूने का चयन करने के लिए दिल्ली के कुल स्कूलों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यह 20 स्कूल दिल्ली के कुछ स्कूलों का ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार 80 में से 8 कालेजों को चुना गया और इस चयन का आधार क्या था यह भी स्पष्ट नहीं है और क्या यह 8 कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों का ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त शायद यह बेहतर होता कि स्कूल और कालेज से समान संख्या में शिक्षक चुने जाते ताकि उनका तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता। अध्ययन में शामिल कुल शिक्षकों में 73 प्रतिशत स्कूल के और 27 प्रतिशत कालेज के शिक्षक हैं।

लेखिका ने अध्ययन में पाया कि शिक्षा व पद आरक्षण नीति के संबंध में व्यक्ति की जानकारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। शैक्षिक योग्यताओं में अंतर का न पाया जाना दर्शाता है कि शिक्षा आरक्षण जैसे मुद्रे व्यक्ति को संवेदनशील नहीं बना पाती तथा उनकी जानकारी को बढ़ा नहीं पाती। इसमें अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ज्यादातर तथ्यों के संबंध में पुरुष शिक्षकों का ज्ञान महिला शिक्षकों से बेहतर है जो आरक्षण से जुड़े पहलुओं के संबंध में महिलाओं की उदासीनता को दर्शाता है। इस अध्ययन के आधार पर लेखिका के अनुसार आरक्षण नीति के संबंध में शिक्षित वर्ग, विशेषकर महिला व सामान्य श्रेणी अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों की सोच भ्रम पर टिकी है। शिक्षा भी उन्हें इन तथ्यों से अवगत नहीं करा पाती। अध्ययन के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि ऐसे मुद्रों पर व्यक्ति अपने अनुभवों से ही सीखता है तथा शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में विस्तार करने में काफी हद तक नाकाम दिखाई देती है।

आरक्षित समूह के बारे में शिक्षकों के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित समूहों को लेकर समाज में प्रचलित अधिकांश धाराओं के संबंध में शिक्षक वर्ग की सोच आज भी समाज के अन्य वर्गों जैसी ही स्टीरियोटाइप है जबकि कुछ धारणाओं जैसे उनके बुद्धिमान, योग्य व मेहनती होने के संदर्भ में शिक्षकों की सोच में मामूली परिवर्तन आया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षक वर्ग की जातीय श्रेणी आरक्षण व आरक्षित समूहों के संदर्भ में उनकी सोच को प्रभावित

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा शिक्षा उनकी सोच में परिवर्तन करने में काफी हद तक नाकाम रही है।

अध्ययन में एकत्र किए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अभिभावकों की तरफ से मार्गदर्शन और अनुकूल मनोवृत्ति का अभाव व छात्रों की कमजोर आर्थिक दशा छात्रों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा के अभाव व प्रभावहीन शैक्षिक उपलब्धि के प्रमुख कारण हैं। यह बात अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है कि अध्ययन में प्राप्त आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा संस्थानों में जातिवाद, विशेषकर छुआछूत की प्रथा आज भी कायम है तथा यह काफी हद तक शिक्षकों के बीच विद्यमान है। प्राप्त आंकड़े इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि शिक्षक छात्रों के साथ उनकी जातीय श्रेणी के आधार पर भेदभाव करते हैं जो अपने आप में चिंता व चिंतन का विषय है। शिक्षकों के द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शिक्षक आज भी अपनी जातीय श्रेणी से बंधे हुए हैं तथा छात्रों के प्रति उनकी सोच व उनके प्रति किया जाने वाला उनका व्यवहार काफी हद तक उनकी जातीय श्रेणी से प्रेरित होता है।

शोध कार्य पर आधारित पुस्तक के अनुसार आरक्षित श्रेणी के शिक्षित वर्ग को लगता है कि उन्हें आज भी हर क्षेत्र में व हर स्तर पर आरक्षण की आवश्यकता है परंतु अनारक्षित श्रेणी का शिक्षित वर्ग उन्हें शिक्षा में तो (विशेषकर सामान्य शिक्षा में) आरक्षण दिये जाने के पक्ष में है परंतु वे नौकरी के क्षेत्र में (विशेषकर पदोन्नति में) आरक्षण के विरुद्ध हैं। दोनों ही श्रेणियों के शिक्षकों की प्रतिक्रिया में असुरक्षा का भाव दिखाई देता है। आरक्षित श्रेणी के लोगों को लगता है कि वे आरक्षण सुविधा के बिना किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं दूसरी ओर अनारक्षित श्रेणी के लोगों को लगता है कि नौकरी में कड़ी प्रतियोगिता के कारण आरक्षित समूह उनका हक छीन लेते हैं तथा उनसे अयोग्य व जूनियर होने के बावजूद पदोन्नति के कारण उनसे आगे निकल जाते हैं जिससे वे मनौवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जाते हैं।

लेखिका का मानना है कि आज भी दलितों व पिछड़ों में शिक्षा का अभाव है, शिक्षक (विशेषकर उच्च जाति के) इनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। मातृभाषा में शिक्षण का अभाव तथा दोहरी शिक्षा प्रणाली का भी आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में रूकावट बनते हैं। अतः लेखिका का सुझाव है कि समाज में सभी के लिए एक जैसी विद्यालयी

व्यवस्था करके, स्कूल-कालेजों व अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था करके शिक्षकों को इनके प्रति संवेदनशील बनाकर व इनमें शिक्षा का प्रसार करके वर्तमान शिक्षा को आरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध दर्शाता है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं आरक्षण नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने व आरक्षित श्रेणी के लोगों की दशा में उस हद तक सुधार अथवा परिवर्तन करने में नाकाम नजर आती है, जहां उन्हें आरक्षण जैसी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस न हो। साथ ही हामरी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज के लाभान्वित तबके को इनके प्रति उस हद तक संवेदनशील बनाने में नाकाम रही है जहां वे इनके लिए आरक्षण जैसे उपायों को उचित मानते हुए इस नीति को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग देते।

आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों के अनुभवों को दर्शाते हुए अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता व दूसरों के प्रति उनका व्यवहार समाज में उनको सम्मान व प्रतिष्ठा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जाति व जनजाति तथा उनका आकर्षक व्यक्तित्व भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं परंतु आर्थिक रूप से सम्पन्नता उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलवाने में बहुत ही कम भूमिका निभाती है।

इस शोध में प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि आरक्षण जैसे विवादित मुद्दे पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया मुख्यतः उनकी जातीय श्रेणी से ही नियंत्रित व प्रभावित होती है। शिक्षा, पद, लिंग व आयु जाति आधारित मुद्दे पर उनकी सोच को प्रभावित करने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वर्तमान शिक्षा अन्य श्रेणी के व्यक्ति को समाज में दलित व शोषित वर्ग की समस्याओं को महसूस करने, उनकी आवश्यकताओं को समझने व उनसे जुड़ी नीतियों के संबंध में जानकारी हासिल करने के प्रति जागरूक बना पाने में असफल रही है।

शोध से पता चलता है कि यद्यपि अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों का एक समूह आरक्षित श्रेणी के छात्रों की शैक्षिक योग्यता व आरक्षण नीति के प्रति उदारवादी सोच रखता है परंतु शोध के नतीजे यह भी दर्शाते हैं कि शिक्षा आज भी समाज में सार्थक

परिवर्तन करने में काफी हद तक नाकाम रही है। यह शिक्षकों को समाज के दलित वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाने में असफल रही है।

लेखिका ने पुस्तक के अंतिम पृष्ठों में आरक्षण नीति से संबंधित भावी शोध के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं जो कि इस अध्ययन का एक सार्थक और महत्वपूर्ण योगदान है।